खण्ड-155, अंक-2
सोमवार, 14 भाद्रपद, शक संवत् 1877
(5 सितम्बर, 1955 ई0)

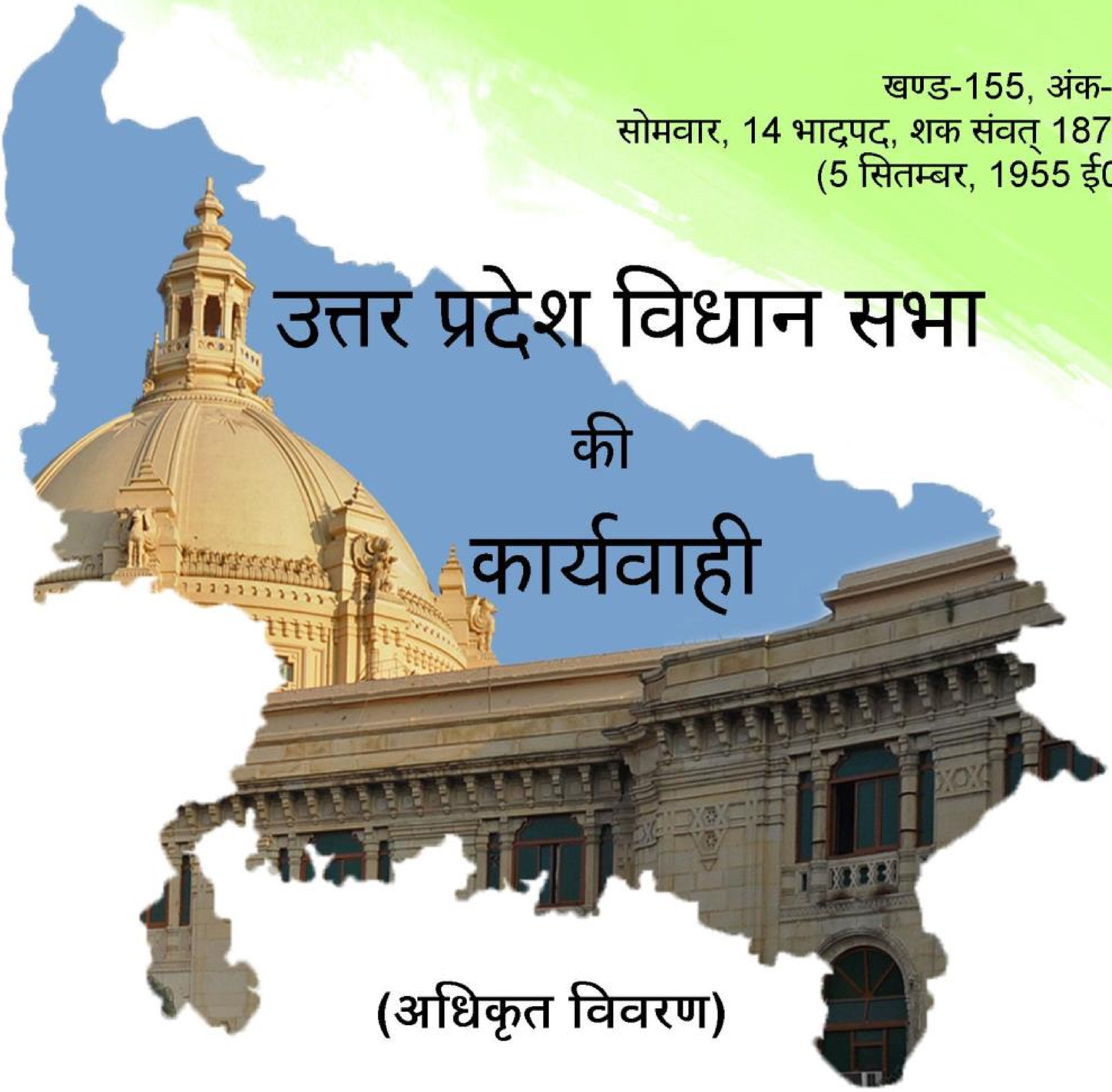

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 155 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ५ सितम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३१)

अक्षयवरसिंह, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री

छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
ठालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, ी
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री

भुवर जी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीश्रीवास्तव,
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ५ सितम्बर, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

हरिजन औद्योगिक शिक्षण केन्द्र, नैनीताल का कार्यारम्भ

**१-- श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)--क्या सरकार को ज्ञात है कि हरिजन औद्योगिक शिक्षण केन्द्र नैनीताल की ओवरसियर्स कोर्स की कक्षायें मध्य अगस्त, १९५५ तक प्रारम्भ होने को थीं, लेकिन वहां पर अब तक अध्यापकों तक का कोई प्रबन्ध नहीं है। यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--जी हां, कक्षाएं २० अगस्त तक प्रारम्भ होने को थीं। अध्यापकों की नियुक्तियां हो चुकी हैं किन्तु उनमें से अधिकांश ने नैनीताल पहुंच कर अभी तक पद ग्रहण नहीं किया है।

**२--श्री पुत्तूलाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष औद्योगिक शिक्षण केन्द्र नैनीताल में ओरवरसियर्स कोर्स की कक्षा के लिये कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया और उनमें से कितने विद्यार्थी शिक्षण केन्द्र पर अब तक शिक्षा पाने-हेतु पहुंचे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--२५ छात्रों को प्रवेश की स्वीकृति दी गई थी। २७-८-१९५५ तक १७ छात्र केन्द्र पर पहुंचे हैं।

**३ -श्री पुत्तूलाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो छात्र औद्योगिक शिक्षण केन्द्र नैनीताल के लिये चुने गये हैं उनको वह शिक्षण-काल में क्या-क्या सुविधाएं देगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--प्रत्येक छात्र को निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त होंगी--

१--३५ रु० माहवार की छात्रवृत्ति
२--निःशुल्क छात्रावास
३--निःशुल्क चिकित्सा
४--मुफ्त कारखाने की वर्दी
५--पुस्तकालय तथा खेलकूद

श्री पुत्तूलाल--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन अध्यापकों की नियुक्ति की गई है, उनके पदग्रहण की अन्तिम तारीख कौन-सी निर्धारित की गयी थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--उनको १५ जुलाई, सन् १९५५ को लिखा गया था कि वे जल्द से जल्द वहां ज्वाइन कर लें।

श्री पुत्तूलाल--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है, उन्होंने २० अगस्त तक अपना पद ग्रहण क्यों नहीं किया ?

श्री हरगोविन्दसिंह--अब वे लोग पहुंच रहे हैं, उनसे एक्सप्लेनेशन तो नहीं पूछा गया है कि आपने निश्चित समय के अन्दर क्यों नहीं ज्वाइन कर लिया।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस औद्योगिक केन्द्र में भर्ती होने के लिये क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---ओवरसियर्स ट्रेनिंग के लिये हाई स्कूल रखा गया है ।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इस केन्द्र में शिक्षा प्राप्त ओवरसियर को वही ग्रेड मिलेगा जो कि रुड़की वाले को प्राप्त होता है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--ग्रेड के सम्बन्ध में तो कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस केन्द्र के लिये जो प्रिंसिपल होने वाले थे उनकी नियुक्ति हो गयी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--जी हां ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या यह बात सही है कि उसके लिये जो प्रिंसिपल साहब नियुक्त हुए हैं वे हमारी इस गवर्नमेंट के एक रिटायर्ड अफसर हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---जी हां ।

श्री पुत्तूलाल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जब २० अगस्त तक वहां अध्यापकों का प्रबन्ध नहीं था तो २० अगस्त को छात्रों को क्यों बुला लिया गया था ?

श्री हरगोविन्दसिंह--यह समझा जाता था कि सब तय हो जायगा, इसलिये बुला लिया गया था ।

तारांकित प्रश्न

बरेली, मिर्जापुर और बाराबंकी जिलों में खेती के नये फार्म

*१---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली, मिर्जापुर और बाराबंकी में सन् १९५० और सन् १९५४ ई० के बीच में ५० एकड़ से अधिक के अलग-अलग कुल कितने खेती के नये फार्म स्थापित हुये ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)---जिला बरेली, मिर्जापुर और बाराबंकी में सन् १९५० से सन् १९५४ के बीच में ५० एकड़ से अधिक के निम्नलिखित खेती के नये फार्म स्थापित हुये हैं---

बरेली	..	..	.. ७९	फार्म
मिर्जापुर	..	..	.. ७	फार्म
बाराबंकी	..	..	.. ६	फार्म

*२---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**---क्या सरकार एक ऐसा विवरण मेज पर रखने की कृपा करेगी कि जिससे यह पता चले कि ये फार्म किसके नाम से हैं, कितने-कितने एकड़ के हैं और उनकी सरकारी मालगुजारी क्या है ?

श्री हुकुमसिंह--आवश्यक सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गयी है ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ १६१-१६९ पर)

*३--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले वर्ष गेहूं, धान, आलू, ज्वार और गन्ने की एक एकड़ में अधिकतम पैदावार कितनी हुई ?

श्री हुकुमसिंह--प्रान्तीय फसल प्रतियोगिता के अन्तर्गत सन् १९५३-५४ में गेहूं, धान, आलू, ज्वार और गन्ने की एक एकड़ में सबसे अधिक पैदावार निम्नप्रकार थी--

			मन	सेर	छटांक	तोला
गेहूं	..	..	६४	११	७	४ १/२
धान	..	..	५७	३५	३/५	
आलू	..	..	६१२	१२	११	
ज्वार	..	..	५४	३	३१/३	
गन्ना	..	..	१६२०	०	०	

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--यह जिला मिर्जापुर में जो ४०७९ एकड़ के फार्म की ८२५ रु० मालगुजारी निर्धारित की गई है, यह सरकार द्वारा किस प्रकार से निर्धारित की गई है ?

श्री हुकुमसिंह--यह सरकार की तरफ से ही तय हुई होगी, सरकार ही तय करती है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--यह जो नये फार्म हैं एक आना, दो आना और ३ रुपए फी एकड़ मालगुजारी पर हैं, क्या इनकी मालगुजारी का फिर से रिवीजन करने का सरकार का इरादा है ?

श्री हुकुमसिंह--ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐक्ट में है कि ४० साल तक कोई इजाफा नहीं हो सकेगा ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--यह जो फार्म हैं, क्या सरकार का ऐसा इरादा है कि उनकी उच्चतम सीमा निर्धारित करके, बाकी जमीन उन लोगों को दी जाय जिनके पास जमीन कम है या बिलकुल नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह--यह सवाल कई बार सदन के सामने आचुका है और इस सम्बन्ध में सरकार की नीति स्पष्ट रूप से बताई जा चुकी है कि ऐसा कोई ख्याल अभी नहीं है ।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)--क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह ४००० एकड़ के फार्म की ८२५ रुपया मालगुजारी सर्किल रेट के हिसाब से है या स्पेशल रेट से है ?

श्री हुकुमसिंह--कयास यही है कि स्पेशल नहीं है ।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें जो अनाज दिये हुए हैं उनकी औसत पैदावार क्या है ?

श्री अध्यक्ष--प्रश्न स्पष्ट नहीं है, होल्डिंग के बारे में जिक्र नहीं है ।

श्री रतनलाल जैन--जहां पर अधिकतम पैदावार इतनी है, मैं पूछना चाहता हूं कि औसत पैदावार हमारे प्रान्त में कितनी है ?

श्री हुकुमसिंह--नोटिस पाने पर जरूर बतलाऊंगा ।

श्री भगवानसहाय--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह ४,००० एकड़ का जो फार्म है वह किसके नाम है और किसको दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह--संलग्न पत्र में नाम दर्ज है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इन अधिकतम पैदावार वालों को कोई पुरस्कार दिया गया है, यदि हां, तो किनको कितना-कितना ?

श्री हुकुमसिंह--इनाम जरूर दिया गया है, तफसील नहीं बता सकता ।

गंगा की बाढ़ से विशुनपुर और कुंडी ामों को क्षति

*४--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--क्या ज्वालापुर परगने के बिशुनपुर और कुंडी नाम के दो गांव गंगा की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गये हैं ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--गत वर्ष गंगा की बाढ़ से विशुनपुर और कुंडी ग्रामों को क्षति पहुंची थी ।

*५--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाढ़ से इन दोनों गांवों की कितनी एकड़ जमीन बह गई है ?

श्री चरणसिंह--बाढ़ के कारण ग्राम विशुनपुर की ८० एकड़ तथा ग्राम कुंडी की ४० एकड़ भूमि बह गई थी ।

*६--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार इन दोनों गांवों के निवासियों को कहीं और बसाने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक और कहां ?

श्री चरणसिंह--गांव के निवासी पथरी जंगल में बसने की इच्छा रखते हैं, परन्तु पथरी जंगल में बहुत सी भूमि अन्य कार्य के लिये वृक्ष हीन की जा चुकी है, इसे और अधिक वृक्ष हीन करना भूमि कटाव में सहायक होगा ; अतः पथरी जंगल में भूमि का प्रबन्ध नहीं किया जा सकेगा । परन्तु इस बात की जांच की जा रही है कि कोई अन्य भूमि खंड इस कार्य के लिये उपलब्ध किया जा सकता है या नहीं । ग्रामवासियों को इस वर्ष के वर्षाकाल में आवश्यकतानुसार सुरक्षित स्थान पर हटाने की व्यवस्था कर दी गई है ।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि इस वर्षा में उस गांव के रहने वाले कहां रहे ?

श्री चरणसिंह--कलेक्टर ने इस वर्षा के आने से पहले इन सवालों का जवाब हमारे पास भेजा था और उन्होंने यह कहा था कि पास के जो गांव हैं उनमें स्त्रियों को, बूढ़े पुरुषों को और बच्चों को पहले से भेज देने की व्यवस्था कर रहे हैं और पशुओं के लिये पथरी फारेस्ट में चराने का इंतजाम करने की तजवीज है और चरवाहों के लिये २० झोपड़ियां भी डालने की तजवीज है । अब उस तजवीज पर कितना अमल हुआ अगर यह जानना चाहते हैं तो उसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार को ज्ञात है कि यह प्रश्न पिछले साल दिया गया था तब से गंगा की धारा इतनी चौड़ी हो गई है कि सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जिलों के ६० गांव खतरे में पड़ गये हैं ?

श्री चरणसिंह--कितने गांव खतरे में पड़ गये हैं यह तो मैं इस समय नहीं बता सकता लेकिन इतना जरूर जाहिर होता है कि गंगा पिछले साल से सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के कुछ गांवों को काट रही है । पिछले साल कुछ काटे और इस साल भी कुछ काटे हैं ।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार उस धारा पर बांध बनाने का विचार रखती है, ताकि गांवों की रक्षा हो सके ?

श्री चरणसिंह--अभी तो फिलहाल किसी बांध बनाने के मसले पर गौर नहीं किया जा रहा है, लेकिन इस पर गौर किया जा सकता है ।

अल्मोड़ा जिले के भूमिहीनों को खेती के लिये भूमि

*७--**श्री गोवर्धन तिवारी** (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, ५३ से मार्च, ५४ तक अल्मोड़ा जिले के कितने भूमिहीनों ने खेती करने के लिये तराई में भूमि देने की प्रार्थना सरकार से की है ?

श्री चरणसिंह--जनवरी, १९५३ ई० से मार्च, १९५४ ई० तक अल्मोड़ा जिले के ५९६ भूमिहीनों ने खेती करने के लिये तराई में भूमि देने की प्रार्थना की थी ।

*८--**श्री गोवर्धन तिवारी**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त कितने प्रार्थियों को तराई में कितनी एकड़ भूमि किस स्थान में अब तक प्रदान की गई ?

श्री चरणसिंह--उपर्युक्त प्रार्थियों में से ११ को तराई के निम्नलिखित स्थानों में कुल ४१२ बीघा ९ बिस्वा भूमि प्रदान की गई--

तहसील	भूमि पाने वालों की संख्या	क्षेत्रफल
१--बाजपुर	५	२६६ बीघा १६ बिस्वा
२--खटेमा (टनकपुर)	५	१३८ बीघा १९ बिस्वा
३--सितारगंज	१	६ बीघा १४ बिस्वा
योग	११	४१२ बीघा ९ बिस्वा

श्री गोवर्धन तिवारी--इन भूमिहीनों को अभी तक जमीन नहीं मिली । क्या सरकार उनको भूमि देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह--जैसा मैंने कुछ दिन हुये एक सवाल के जवाब में बताया था कि गवर्नमेंट बहुत से भूमिहीनों को जमीन देने का विचार रखती है और अभी एक योजना पर हुक्म भी जारी हो चुका है और उसकी तकसीम के लिये भी अफसरान को लिखा जा चुका है । लेकिन जिन लोगों ने यहां जमीन की दरख्वास्त दी थी या इनको वहां मिली या नहीं, इसके लिये पहले से नहीं कहा जा सकता ।

श्री गोवर्धन तिवारी--जिन ११ व्यक्तियों को भूमि दी गई उनमें से कितने लोग वहां बसे ?

श्री चरणसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर माननीय मित्र को इसमें शक है तो फिर गवर्नमेंट को विचार करना होगा कि किसी को जमीन दी जाय या न दी जाय ?

श्री गोवर्धन तिवारी--इसमें शक की कोई बात नहीं है । मैं तो अध्यक्ष महोदय, केवल यह जानना चाह रहा हूं कि उनमें से कितने लोग वहां बस सके ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं । न यह सवाल था और न इस तरह की इत्तिला हासिल की गई ।

*९-१०--**श्री रणंजयसिंह** (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)--[१२ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

नैनीताल तराई-भावर किच्छा में पोलिटिकल सफरर, शरणार्थी और सैनिकों को खेती की सुविधायें

*११--श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल तराई-भावर किच्छा में कितने पोलिटिकल सफरर, रिफ्यूजी तथा सैनिक खेती कर रहे हैं और कितने वहां पर आबाद हैं ?

श्री चरणसिंह--नैनीताल तराई भावर किच्छा में ६७० पोलिटिकल सफरर, २,७३७ रिफ्यूजी तथा १८० सैनिक खेती कर रहे हैं और उनमें से ५३४ पोलिटिकल सफरर २,६८१ रिफ्यूजी तथा १६३ सैनिक वहां पर आबाद हैं।

*१२--श्री रामसुभग वर्मा--क्या सरकार को मालूम है कि उन लोगों के जिम्मे कुल कितना कर्जा लगान तथा बीज के रूप में अब तक बाकी है और उन बाकी रकमों की वसूली के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री चरणसिंह--इन लोगों के जिम्मे ३,७६,३११ रुपया लगान के रूप में और २,५३,७३१ रुपया बीज के रूप में बाकी है। इस सभी धनराशि की वसूली के लिये अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं।

लगान की वसूली के लिये यह भी व्यवस्था की गई है कि जिन काश्तकारों पर सन् १३५७-१३५८ फसली का लगान बाकी है वह प्रति वर्ष दुगुना लगान अदा करें जब तक कि सब बकाया चुकता न हो जाय। बाकी के काश्तकार चालू साल का पूरा लगान तथा एक साल का आधा लगान पिछले वर्षों की बकाया के मद में अदा करेंगे जब तक कि कुल बकाया लगान साफ नहीं हो जाता है। इस प्रकार ४ वर्ष में पूरा लगान वसूल हो जाने की आशा है।

श्री रामसुभग वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बाकी लोगों के आबाद न होने का कारण क्या है ?

श्री चरणसिंह--अब कारण तो उनके निजी अपने अलग-अलग हैं, लेकिन खेती उनकी तरफ से कोई न कोई कर रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय माल मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन लोगों के जिम्मे जो कर्जा, लगान और बीज की कीमत बाकी है उसका क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह--अधिकतर नादेहन्दी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय माल मंत्री ऐसी कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो नहीं दे सकने के लायक है उनका देय धन माफ किया जा सके ?

श्री चरणसिंह--मालगुजारी की माफी के लिये कुछ नियम लैंड रेवेन्यू मैनुअल में दिये हुए हैं। उनके अधीन कोई केस आता है तो माफी हो जाती है। इसके अलावा कोई बकाया ज्यादा कर ले और न दे तो कभी माफी नहीं हो सकती और न माफी दी जायगी।

श्री रामसुभग वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वहां जो ट्यूबवेल लगाये गये हैं, उनसे पानी लेने की अलग से कीमत नहीं लेती है ?

श्री चरणसिंह--कीमत लेती है फिर भी वह सुविधा में गिना जाता है। इसलिये सभी जगह किसान चाहता है कि उसके यहां नहर और ट्यूबवेल हो जायं। और जब चाहता है तो वह जानता है कि आबपाशी की दर देनी पड़ेगी।

कोलोनाईजेशन विभाग के अधीन ग्रामों की लगान की दरों में अन्तर

*१३--श्री रामसुभग वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल तराई भावर किच्छा में नये और पुराने निवासियों के खेत का लगान सर्किल रेट से नहीं है और दोनों के लगान में अन्तर है ? यदि हां, तो कितने का और क्यों ?

श्री चरणसिंह--नैनीताल जिले की तराई तहसील किच्छा के गांवों में जो सुपरिन्टेंडेंट तराई भावर गवर्नमेंट स्टेट के अधीन है, नये और पुराने दोनों प्रकार के कृषकों से लगान सर्किल रेट के अनुसार लिया जाता है और इस लगान में कोई अन्तर नहीं है परन्तु उन ग्रामों में जो कोलोनाइजेशन विभाग के अधीन हैं पुराने कृषकों से सर्किल रेट के अनुसार २) से ३।।) तक प्रति एकड़ की दर से लिया जाता है और नये कृषकों से ५) से ७) प्रति एकड़ तक लिया जाता है। इस अन्तर का कारण यह है कि नये काश्तकारों को भूमि साफ करके और ट्रैक्टर से तोड़ कर प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त उनको अन्य सुविधायें जैसे, सड़क, अस्पताल, स्कूल, अन्टीमलेरिया उपकरण, ट्यूबवेल्स इत्यादि की भी दी गई हैं।

नगरों में रोडवेज की गाड़ियां तथा उन पर आय व व्यय

*१४--श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)--क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन शहरों में अलग-अलग कितनी-कितनी रोडवेज की गाड़ियां चल रही हैं ?

श्री चरणसिंह--उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में रोडवेज की गाड़ियां रोजाना चलती हैं। गाड़ियों की संख्या प्रत्येक शहर के सामने अलग-अलग दर्ज है:--

(१)	इलाहाबाद	९
(२)	बनारस	१२
(३)	बरेली	४
(४)	लखनऊ	३६

*१५--श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)--सरकार को उनसे १९५३-५४ में अलग-अलग क्या आय हुई और उन पर अलग-अलग क्या व्यय करना पड़ा ?

श्री चरणसिंह--रोडवेज के प्रत्येक सिटी सर्विस के आय-व्यय के आंकड़े निम्न प्रकार हैं --

सिटी बस सर्विस	आय	व्यय
	रु०	रु०
(१) इलाहाबाद	२,४३,४००	२,३२,८०१
(२) बनारस	२,२७,०९१	२,३९,७९९
(३) बरेली	८३,९३४	८०,१६७
(४) लखनऊ	९,७८,०६७	९,७४,०१०

माधुरी कुंड फार्म पर क्वार्टरों की लागत और किराया

*१६--श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माधुरी कुंड फार्म पर वर्कशाप फोरमैन और लेबर क्वार्टर्स कब और किस विभाग के प्रबन्ध में बने और उन पर अलग-अलग क्या लागत आई ?

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या १४-१५ श्री रामदास आर्य ने पूछे।

श्री हुकुमसिंह--यह इमारतें १९४९-५० में बनना शुरू हुई थीं और १९५१-५२ में पूर्ण हुई। यह भूतपूर्व कृषि इंजीनियरिंग विभाग के प्रबन्ध में बनाई गयी थीं। इनकी अलग-अलग लागत इस प्रकार है--

		रु०
(१)	एक इमारत वर्कशाप इस लागत में ४११ रु० बाउन्डरी केन्सिंग का शामिल है ..	.. १९,१८२
(२)	एक चार्जमैन क्वार्टर ..	.. ९,७६५
(३)	चार मैकेनिक क्वार्टर ..	.. १४,५९६
(४)	६ वर्कमैन क्वार्टर ..	.. ११,०६४
	योग ..	५४,६०७

*१७--**श्री श्रीचन्द्र**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन क्वार्टर्स का मासिक किराया क्या है और यह किराया किस आधार पर लगाया गया है ?

श्री हुकुमसिंह--इन क्वार्टर्स के स्टैन्डर्ड मासिक किराये, जो निर्माण की लागत के आधार पर निश्चित किये जाते हैं इस प्रकार हैं--

		रु०	आ०	पा०
एक चार्जमैन क्वार्टर	.. ..	४८	१३	०
एक वर्कमैन क्वार्टर	.. ..	९	४	०
एक मैकेनिक क्वार्टर	.. ..	१८	४	०

परन्तु कर्मचारियों से केवल उनके वेतन का १० प्रतिशत ही किराये के तौर पर लिया जाता है जो स्टैन्डर्ड रेंट से कम है। जो किराया इस समय लिया जाता है उसका ब्योरा माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत अनुसूची में दिया है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ १७० पर)

*१८--**श्री श्रीचन्द्र**--क्या सरकार को ज्ञात है कि क्वार्टर्स में अभी तक सब जगह पर प्लास्टर इत्यादि नहीं हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह--इन सब क्वार्टर्स का प्लास्टर हो चुका है और फर्श पक्के हैं।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन क्वार्टर्स में प्लास्टर और फर्श १९५०-५१ और ५२ में ही समाप्त कर दिये गये थे या बाद में ?

श्री हुकुमसिंह--नहीं। इस साल रिपेयर के सिलसिले में समाप्त हुआ है।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन मकानों के बनाने का ठेका किसी ठेकेदार को दिया गया था या कृषि इंजीनियरिंग विभाग ने स्वयं ही ये क्वार्टर्स बनाये थे ?

श्री हुकुमसिंह--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

रामपुर जिले के जिलेदारों द्वारा गबन तथा पाकिस्तान पलायन

*१९--**श्री कृष्णशरण आर्य** (जिला रामपुर)--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले से दो जिलेदार सरकारी रुपये का गबन कर के पाकिस्तान को भाग गये हैं ?

श्री चरणसिंह--जी हां। रामपुर जिले से ३ जिलेदार सरकारी रुपये का गबन करके पाकिस्तान भाग गये हैं।

*२०--**श्री कृष्णशरण आर्य**--यदि हां, तो कब, उनके क्या नाम हैं तथा कितना-कितना रुपया लेकर भागे ?

श्री चरणसिंह--(१) जिलेदार श्री अख्तर अली खां नवम्बर, १९५२ में २,१०५ रु० १५ आने लेकर,

(२) श्री खुरशीद अली खां जुलाई, १९५४ में १३,७५० रुपये ६ पाई लेकर तथा,

(३) श्री नफीस अहमद खां अक्तूबर, १९५४ में १०,२०० रुपये १ आना ६ पाई लेकर भाग गये।

श्री कृष्णशरण आर्य--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन जिलेदारों से जमानत कितनी ली जाती है और इनको अनुमानतः कितना लगान वसूल करना पड़ता है ?

श्री चरणसिंह--जमानत की कितनी रकम ली जाती है मैं यह नहीं कह सकता। लेकिन अनुमानतः २७ हजार रुपया लगान का उनको वसूल करना पड़ता है।

श्री कृष्णशरण आर्य--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वे जितनी रकम ले कर भागे हैं वह एक ही फसल की वसूलयाबी की है या कई फसलों से लगातार बाकी चली आ रही थी ?

श्री चरणसिंह--मैं समझता हूं कि एक ही फसल की होगी क्योंकि १५-१५ दिन के अन्दर अपना हिसाब देना पड़ता है और इस कारण किसी बकाया रकम का प्रश्न साधारणतया नहीं उठता है।

श्री कृष्णशरण आर्य--क्या यह सत्य नहीं है कि यह रकम जो १०,००० या १३,००० की है, यह कई सालों से बाकी चली आ रही थी।

श्री चरणसिंह--मैंने कहा कि नियम के अनुसार कई फसलों का बकाया उनके पास नहीं होना चाहिये, लेकिन जो माननीय मित्र कहते हैं उनकी बात को असत्य कहने के लिये तैयार नहीं हूं, अगर वह चाहेंगे तो मैं इसकी तहकीकात करवा लूंगा।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो लोग रुपया लेकर भागे हैं उसकी कोई प्रापर्टी हमारे देश में है या नहीं ?

श्री चरणसिंह--डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो पत्र लिखा है उससे तो ऐसा मालूम होता है कि कुछ की तो अपनी ही जायदाद मकफूम थी, मारगेज थी। इससे जाहिर होता है कि जमीन थी। और अगर उनके पास न होगी तो जो श्योरिटीज थे उनके पास जायदाद होगी।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह लोग अकेले ही भागे हैं या परिवार के साथ ?

श्री चरणसिंह--यह मैंने तहकीकात नहीं की।

श्री कृष्णशरण आर्य--इस बात का क्या प्रमाण है कि यह लोग पाकिस्तान भाग गये या रामपुर में ही छिपे हुये हैं ?

श्री चरणसिंह--अगर माननीय दोस्त से उनका कुछ ताल्लुक हो तो सुराग दे सकते हैं। वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इत्तला कर दें, लेकिन उसकी इत्तला यही है।

*२१--**श्री कृष्णशरण आर्य**--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले में कुल कितने जिलेदार हैं तथा उन सब के नाम क्या-क्या हैं ?

श्री चरणसिंह--रामपुर जिले में कुल ७५ जिलेदार हैं, जिनके नाम संलग्न सूची में हैं।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ १७१-१७२ पर)

श्री कृष्णशरण आर्य---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इनमें से जो कुछ मुअत्तल हैं यह किन कारणों से मुअत्तल किये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष---उसी के लिये इतनी बड़ी लिस्ट आपने मालूम की है सबकी मुअत्तिली के कारणों के लिये अलग सवाल करना पड़ेगा।

झांसी जिले में सरकारी ट्रैक्टरों द्वारा जुताई

*२२---**श्री रमानाथ खैरा** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)---क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महरौनी तहसील, जिला झांसी में सरकारी ट्रैक्टरों द्वारा भूमि जुताई कार्य के संबंध में उन्होंने ट्रैक्टर अधिकारियों को आदेश दिया था कि केवल उन्हीं किसानों की भूमि जोती जाय जो स्वीकृति दें ?

श्री हुकुमसिंह---जी हां।

*२३---**श्री रमानाथ खैरा** (अनुपस्थित)---क्या सरकार को मालूम है कि संबंधित अधिकारियों ने अधिकांश किसानों की भूमि उनके लिखित व मौखिक विरोध के बावजूद भी जोती ?

श्री हुकुमसिंह---जी नहीं।

झांसी जिले के भूमिहीनों को दी गई परती जमीन

*२४---**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में कुल कितनी परती जमीन है और उसमें से कितनी जमीन भूमिहीनों को दी गई है ?

श्री चरणसिंह---झांसी जिला में स्थित गांव समाजों में कुल ७,७५,१४१ एकड़ परती भूमि निहित है जिसमें से १६ अगस्त सन् १९५५ तक कुल ९,७०७ एकड़ भूमि भूमिहीन मजदूरों को और ५,५४० एकड़ अन्य व्यक्तियों को दी गई है।

श्री गज्जूराम---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो जमीन परती पड़ी हुई है उसको वह भूमिहीन किसानों को दिलाने का विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह---श्रीमन्, इस संबंध में जमींदारी उन्मूलन और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १९८ है जिसके अधीन गांव समाज को जमीन दूसरे लोगों को दे देने का अख्तियार है, ऐक्ट बना हुआ है। उनको अख्तियार तमीजी है, डिस्क्रिशन है। चाहे दें या न दें। कोई यहां से आदेश या डाइरेक्टिव भेजने का सवाल नहीं उठता।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माल मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रत्येक भूमिहीन परिवार को कितने एकड़ जमीन दी गई है ?

श्री चरणसिंह---ऐक्ट के मातहत सवा छः एकड़ से ज्यादा किसी को नहीं दी जा सकती। अब यहां कितनी कितनी दी गई है यह नहीं मालूम। सवा छः एकड़ या उससे कम दी गई होगी।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी को कुछ इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि प्रधानों ने स्वयं पट्टे कर लिये हैं या अपने रिश्तेदारों को कर दिये हैं ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, झांसी जिले के संबंध में जहां तक मुझको याद है अब तक कोई शिकायत ऐसी नहीं मिली। और अगर प्रधानों ने अपने रिश्तेदारों को जमीन दे दी है तो उनको दे सकते थे अगर वे भूमिहीनों में आते थे, उनका रिश्तेदार हो जाना कोई कसूर नहीं है।

खितवांस, जिला झांसी में शरणार्थियों से बची हुई जमीन

*२५--**श्री गज्जूराम**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम खितवांस, तहसील ललितपुर, जिला झांसी में ट्रैक्टर द्वारा जो जमीन जोती गई है वह कितनी है ?

श्री हुकुमसिंह--खितवांस, तहसील ललितपुर, जिला झांसी में ट्रैक्टर द्वारा ५११ एकड़ भूमि जोती गई।

*२६--**श्री गज्जूराम**--क्या सरकार को ज्ञात है कि वह जमीन शरणार्थियों के लिये थी और उसमें काश्त हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह--हां, यह भूमि ३३ शरणार्थी परिवारों के लिये दी गई थी, चूंकि अब केवल ६ परिवार रह गये हैं जो कि १२५ एकड़ पर कृषि करते हैं और शेष भूमि अन्य परिवारों के भाग जाने के कारण, काश्त रहित हो गई है।

श्री गज्जूराम--क्या सरकार जो ३८६ एकड़ जमीन खाली पड़ी है वहां के भूमिहीन किसानों को देने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह--अभी यह सवाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ग्राम पुरा, जिला मुरादाबाद के निवासियों को तकावी के लिये प्रार्थना

*२७--**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पुरा, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद के कितने व्यक्तियों ने वर्ष १९५४ ई० की फसल रबी के ओलों व वर्षा द्वारा खराब होने के कारण तकावी चाही थी और उनमें से कितने व्यक्तियों को तकावी दी गई है ?

श्री चरणसिंह--१९५४ ई० में रबी फसल के ओलों तथा वर्षा से नष्ट हो जाने पर ग्राम पुरा, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद के ७३ व्यक्तियों ने तकावी के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे। उन व्यक्तियों ने या तो गलत कारण बता कर या बिना कारण बताये हुये तकावी लेनी चाही थी। इसलिये उनकी दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं और उन्हें तकावी नहीं दी गई।

बाढ़ग्रस्त जिलों में ग्राम सभाओं द्वारा नाव निर्माण

*२८--**श्री रामसुभग वर्मा**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष बाढ़-ग्रस्त जिलों में कितनी गांव सभाओं ने सरकारी सहायता लेकर कितनी नावें तैयार कराईं ?

श्री चरणसिंह--गत वर्ष बाढ़-ग्रस्त जिलों में ८० ग्राम सभाओं ने सरकारी सहायता से ८९ नावें बनवाईं।

*२९--**श्री रामसुभग वर्मा**--क्या यह सही है कि कुछ ग्राम सभाओं ने सरकारी सहायता प्राप्त होने पर भी नावें नहीं बनवाईं ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं। परन्तु कुछ ग्राम सभाओं को सरकारी सहायता नहीं दी जा सकी क्योंकि ये ग्राम सभायें नावों का आधा मूल्य और बाकी उनके रख-रखाव का खर्च करने पर तैयार नहीं हुईं।

*३०--**श्री रामसुभग वर्मा**--क्या यह सत्य है कि कुछ ग्राम सभाओं ने नावें बनवाईं, लेकिन उनको सरकारी सहायता मांग करने पर भी नहीं दी गई ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं।

श्री रामसुभग वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किन-किन जिलों में कितनी-कितनी नावें बनवाईं गईं ?

श्री चरणसिंह--जी आजमगढ़ में १४, गाजीपुर में १, सीतापुर में २२, गोरखपुर में ५, बलिया में २४, देवरिया में १९, फर्रुखाबाद में २ और गोंडा में २।

श्री रामसुन्दर पान्डेय--क्या माल मंत्री बतायेंगे कि जो नावें बनवाई गईं उनमें सरकार की कितनी सहायता मिली है और गांव सभाओं ने कितना दिया है ?

श्री चरणसिंह--एक नाव अनुमानतः ८०० रुपये में बन जाती है। चार सौ रुपया गांव सभाओं को पेशगी जमा करना होता है और यह जिम्मेदारी लेनी होती है कि वह इन नावों की मालिक हो जायेगी तथा उसका रख-रखाव वही करेगी और आधा रुपया सरकार देती है। पिछले साल बजट में ५० हजार रुपया रखा गया, बजट ३१ मार्च को मंजूर हुआ और ५ अप्रैल को आर्डर जारी हुये। १२५ नावें बन सकती थीं, उनमें से ७९ बन गईं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--चूंकि ग्राम सभाओं के पास रुपये की कमी है तो क्या सरकार इधर पिछले तजुरबे के आधार पर अपने धन के अंश में कुछ परिवर्तन करने का विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह--१२५ के लिये रुपया रखा गया था जिसमें से ७९ नावें बन गईं। तो मैं नहीं समझता कि इस पर कोई विशेष विचार करने की जरूरत है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार को मालूम है कि पडरौना केन कोआपरेटिव सोसाइटी ने तीन गांव सभाओं के लिये रुपया दे कर नावें बनवाने का प्रस्ताव पास किया था लेकिन तहसीलदार ने उसको रिजेक्ट कर दिया ?

श्री चरणसिंह--इतनी तफसील तो मुझे नहीं मालूम है।

हमीरपुर और सुमेरपुर के बीच बस दुर्घटना

*३१--**श्री जोरावर वर्मा**--क्या सरकार को मालूम है कि १९ मार्च सन् १९५५ को हमीरपुर के निकट कानपुर क्षेत्र की एक बस दुर्घटना के कारण ३ व्यक्तियों की तत्काल घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और २७ अन्य मुसाफिर सख्त घायल हो गये हैं, जिनकी हालत अत्यन्त चिन्ताजनक है ?

श्री चरणसिंह--१९ मार्च, १९५५ को ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई।

*३२--**श्री जोरावर वर्मा**--क्या सरकार इस दुर्घटना के कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह--प्रश्न ही नहीं उठता।

*३३--**श्री जोरावर वर्मा**--क्या सरकार इन तीनों मृतक व्यक्तियों और अन्य घायल मुसाफिरों का परिचय-पत्र मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह--प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९ तारीख या उसके आस-पास हमीरपुर और सुमेरपुर के बीच में इस प्रकार की कोई दुर्घटना हुई जिसमें ३ आदमियों की तुरन्त मृत्यु हो गई है और २७ व्यक्ति घायल हो गये हैं ?

श्री चरणसिंह--जी, सवाल में १९ मार्च था। १९ मार्च को नहीं हुई, आस-पास जरूर दुर्घटना हुई और उसमें यह बात ठीक है कि ४ आदमी मर गये।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय यातायात मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो आदमी उस दुर्घटना में मर गये उनके परिवार वालों को कुछ मुआविजा दिया गया ?

श्री चरणसिंह--मुआविजा देने का सवाल विचाराधीन है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कोई गलती ड्राइवर की इस दुर्घटना में थी या नहीं वह मुआविजा के मुस्तहक अन्त में करार दिये जायेंगे या नहीं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९ मार्च के आस-पास जो दुर्घटना हुई उसका कारण क्या था ?

श्री चरणसिंह--सामने से एक साइकिल वाला गलत दिशा में आ रहा था, गाड़ी के ड्राइवर ने बचाने की कोशिश की, उसमें दुर्घटना हो गयी।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात की कोई इंक्वायरी की है कि उस समय ड्राइवर मैक्जिमम स्पीड से ज्यादा स्पीड पर चला रहा था ?

श्री चरणसिंह--इस सिलसिले में पूरी इंक्वायरी हुई है, स्पीड वगैरह भी उस इंक्वायरी के अन्दर शामिल होगी लेकिन आया कितनी स्पीड उसकी थी या नहीं, इस वक्त नहीं कह सकता। इस सिलसिले में विस्तार से नियम बने हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक सब-इन्सपेक्टर या उससे ऊंचे पुलिस अधिकारी को और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आदमी को अपने साथ या किसी मैजिस्ट्रेट के साथ शामिल करके इन्क्वायरी कराते हैं।

बदायूं जिले में तकावी की वसूली की रीति

*३४--**श्री शिवराजसिंह यादव** (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि १९४९ में कुयें बनाने तथा कृषि हेतु दी गई तकावियों को एक किस्त में मार्च, १९५५ में वसूल करने का प्रयास जिला बदायूं में किया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह--१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ६(ङ) के अधीन जमींदारी उन्मूलन के पूर्व की तकावी की एक ही किस्त में वसूली के आदेश सब जिलों को जारी किये गये थे। मार्च, १९५५ में जिला बदायूं में भी उक्त धारा के अधीन १९४९ में कुयें बनाने तथा कृषि हेतु दी गई तकावी की वसूली का प्रयास एक ही किस्त में किया गया। परन्तु भूतपूर्व मध्यवर्तियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये सरकार ने ३० मार्च, १९५५ को एक आदेश जारी किया जिसके अनुसार भूमि-व्यवस्था कमिश्नर ने समस्त जिलाधीशों को यह आदेश दिया कि भूतपूर्व मध्यवर्तियों के तकावी के करजे की वसूली जो जमींदारी उन्मूलन के पूर्व के हैं आवश्यकतानुसार किस्तों द्वारा की जाय।

*३५--**श्री शिवराजसिंह यादव** (अनुपस्थित)--क्या संबंधित जिला अधिकारियों के पास उक्त तकावियों के संबंध में इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र आये हैं कि प्रार्थियों ने कोई तकावी नहीं ली और सरकारी लेखा इस संबंध में अशुद्ध है ?

श्री चरणसिंह--यह सही है कि उक्त तकावियों के संबंध में कुछ प्रार्थना-पत्र इस आशय के आये हैं कि प्रार्थियों ने तकावी नहीं ली है पर जिन प्रार्थियों ने ऐसे प्रार्थना-पत्र दिये हैं उनसे वसूली स्थगित कर दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। ऐसी तकावियों का संबंध कृषि इंजीनियरिंग विभाग से था।

*३६--**श्री शिवराजसिंह यादव** (अनुपस्थित)--क्या सरकार उक्त तकावियों को नियमानुसार छोटी-छोटी इन्स्टालमेंट में लेने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह--प्रश्न ३४ के उत्तर से स्पष्ट है कि उक्त तकावियों की वसूली आवश्यकतानुसार किस्तों में ही की जायगी।

हमीरपुर जिले में ओला वृष्टि से क्षतिग्रस्त ग्रामों को सहायता

*३७--श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अभी हाल ही में हमीरपुर जिले में हुई ओला वृष्टि से वहां की फसल की भीषण हानि हुई है ?

श्री चरणसिंह--जिला हमीरपुर की तहसील राठ के कुछ भाग में १६ मार्च, १९५५ को ओला पड़ा था और जो फसल खेतों में कटने से बच रही थी उसको क्षति पहुंची ।

*३८--श्री तेजप्रतापसिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह हानि कितने गांवों में और कितनी हुई है ?

श्री चरणसिंह--कुल २३ गांवों में ओला गिरने की सूचना मिली थी जिनमें से ११ गांवों में हानि नगण्य रही । शेष १२ गांवों में हानि का विवरण इस प्रकार है:--

प्रभावित गांवों की संख्या			हानि की मात्रा
६	..	..	रुपये में ६ आना
४	..	..	रुपये में ८ आना
२	..	..	रुपये में १२ आना या अधिक

*३९--श्री तेजप्रतापसिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इससे क्षतिग्रस्त लोगों की सहायतार्थ सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह--जिन गांवों में हानि की मात्रा रुपये में ६ आने या उससे अधिक है उनकी मालगुजारी की वसूली स्थगित है । इसको माफ कर देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री तेजप्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो ११ गांव बतलाये गये हैं, जिनमें हानि नगण्य रही है उनमें कुछ काश्तकारों की फस्ल पूरी की पूरी चौपट हो गयी है, उनको कोई माफी देने पर विचार करेगी सरकार ?

श्री चरणसिंह--जी, मैंने नगण्य कहा है, तो उसका मतलब यह नहीं है कि सारे गांव के पड़ते पर वह नगण्य नुकसान बैठता है । नियम यह है कि खातेवार नुकसान आंका जाता है । तो वहां ११ गांवों में किसी काश्तकार का ६ आने या उससे अधिक नुकसान नहीं हुआ ।

श्री तेजप्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो माफी कर देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है इस पर कब तक विचार हो जायगा ?

श्री चरणसिंह--जब नुकसान हुआ उस समय मालगुजारी वसूल नहीं की जा रही थी । मालगुजारी वसूल होती है अप्रैल और मई में । १९ मई को आर्डर जारी हो गया है कि मालगुजारी स्थगित कर दी गयी, वसूली अभी चल रही है । एक दफा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आती है, फिर फाइनल रिपोर्ट आती है । अब फाइनल रिपोर्ट भी आ गयी है और ५०५ रु० कुल मालगुजारी बैठती है ।

इलाहाबाद नैनी इंडस्ट्री एरिया

*४०--श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार इलाहाबाद के नैनी इंडस्ट्री एरिया को बन्द करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह--जी नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ४० श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछा ।

मथुरा जिले में रेगिस्तान निरोधक कार्य

*४१—श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में रेगिस्तान को रोकने तथा ऊसर को खत्म करने के लिये कोई कार्य किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या क्या ?

श्री हुकुमसिंह—मथुरा जिले में रेगिस्तान को रोकने के लिये तीन विभागों द्वारा पेड़ लगाने का कार्य किया गया है।

१—वन विभाग
२—उद्यान विभाग
३—पंचायत विभाग

१—वन विभाग ने निम्नलिखित स्थानों में पेड़ लगाये हैं :—

			एकड़
(१) बृन्दाबन	..	१९५३	४९९
(२) फरह	..	१९५४	२१५
(३) वाद	..	१९५४	८२
(४) नन्दगांव	..	१९५४	८०
(५) कोकलाबन	..	१९५४	१००
(६) कोटवन	..	१९५४	१५०
(७) गोवर्द्धन	..	१९५३–५४	३००
			१,४२६

सड़कों के किनारे लगाये गये पेड़ निम्नलिखित हैं:—

(१) मथुरा-आगरा सड़क	..	१७ मील १ फर्लांग
(२) मथुरा-बृन्दाबन सड़क	..	४ मील ४ फर्लांग
(३) गोवर्द्धन से बरसाना सड़क	..	१२ मील २ फर्लांग
		३३ मील ७ फर्लांग

इसके अतिरिक्त मथुरा-गोवर्द्धन सड़क पर १३ मील, मथुरा-देहली सड़क पर १० मील में आगामी वर्ष में पेड़ लगाये जायंगे।

२—उद्यान विभाग की ओर से निम्नलिखित कार्य हुये हैं :—

(१) नजूल ब्लाक मथुरा	१९५३–५४	६० एकड़	९,३१९ पेड़
	१९५४–५५	९५ एकड़	
(२) चांदमारी ब्लाक मथुरा	१९५४	४० एकड़	२,९१३
(३) औरंगाबाद ..	१९५४	६५ एकड़	४,६११ पेड़
		२६० एकड़	१६,८४३ पेड़

(४) गोवर्द्धन ब्लाक

१—गोवर्द्धन ..	१९५४–५५	१७ एकड़	६७२ पेड़
२—आन्योर ..	१९५३–५४	२० एकड़	१,४९६ पेड़
	१९५४–५५	१३ एकड़	
३—गोविन्द कुंड ..	१९५३–५४	५ एकड़	२४६ पेड़
४—पूंछरी ..	१९५३–५४	४० एकड़	१,६४६ पेड़
		९५ एकड़	४,०६० पेड़

५--गोचर भूमि ब्लाक बृन्दावन	१९५३-५४	२० एकड़	२,०२३ पेड़
	१९५४-५५	२३ एकड़	
६--दौताना ब्लाक	१९५३-५४	८ एकड़	३०८ पेड़

कुल ४०६ एकड़ भूमि में २३,२३४ पेड़ लगे और इस वर्ष माधुरी कुन्ड से २४० एकड़ में पेड़ लगाने की योजना है।

३--पंचायतों द्वारा १९५४-५५ में १,१०७·४८ एकड़ भूमि में श्रमदान द्वारा पेड़ लगे जिसमें १७,९०२ फलदार एवं ९६,४३१ पेड़ जलाने की एवं इमारती लकड़ी के हैं। कुल वृक्ष १,१४,३३३ हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जितने पेड़ लगाने की बात की गयी है उतने बीज बोये गये या पेड़ लगाये गये ?

श्री हुकुमसिंह--बीज बोने की बात मैंने कही नहीं, मैंने तो पेड़ लगाने की बात कही।

श्री रामहेतसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पेड़ लगाने की स्कीम है वह पूरी तरह से सफल हो सके उसके लिये पानी को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह--अगर मथुरा जिले में पानी नहीं है तो उसका भी प्रबन्ध करेंगे ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पेड़ लगाये गये हैं हजारों यह किसी नरसरी से लाकर लगाये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह--मुख्तलिफ नरसरियों से लगाये गये हैं और बहुत सी जगह नरसरी तैयार की गई।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो पेड़ लगाये गये हैं यह कितने मूल्य के हैं यानी कितना खर्चा हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह--काफी खर्चा हुआ।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो पेड़ लगाये गये इनमें कितने पनपे और कितने सूख गये ?

श्री हुकुमसिंह--काफी तादाद में पनपे।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने इस बात की जांच कराई है कि इन पेड़ लगाने से रेगिस्तना के प्रसार में कितनी रुकावट हुई है ?

श्री हुकुमसिंह--बढ़ नहीं पाया है अभी तक।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मंत्री जी गत साल बरसाना प्लांटेशन देखने गये थे लेकिन जब वह वहां पहुंचे तो एक भी पेड़ उनको वहां नहीं मिला ?

श्री चरणसिंह--जी हां, यह बात दुरुस्त है। १९५१ में मैं बरसाने गया था वहां एक छोटे से प्लाट में पेड़ लगाये गये, बाद में मैं पहुंचा तो पेड़ नहीं थे। इनके बाद उनको सख्त सजा

दी गई, डिसमिसल भी हुआ एक दो का और भी सजायें दी गईं, रिटायरमेंट वगैरह भी हुये। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो माननीय मित्र सवाल कर रहे हैं तो मालूम होगा कि वहां पर सारी स्कीम में काफी कामयाबी हुई है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पेड़ पंचायतों द्वारा लगाये गये हैं उनकी रक्षा का क्या प्रबंध है ?

श्री हुकुमसिंह--गांव पंचायतें करती हैं ? फेंसिंग वगैरह उन्होंने लगवा रखा है हमने जा कर देखा था।

आजमगढ़ जिले के लोहरा आदि ग्रामों में सूखे के कारण छूट

*४२--**श्री व्रजविहारी मिश्र** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले के फूलपुर उत्तरी क्षेत्र में ग्राम लोहरा के आस-पास करीब १०-१५ गांवों में इस वर्ष सूखे के कारण खरीफ की कोई फसल नहीं हुई ?

श्री चरणसिंह--आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के उत्तरी क्षेत्र में ग्राम लोहरा तथा समीपस्थ १४ गांवों में खरीफ १३६२ फसली की केवल अगहनी धान की फसल अल्प-वृष्टि के कारण नहीं हुई, शेष फसलों को कोई हानि नहीं हुई।

*४३--**श्री व्रजविहारी मिश्र** (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त क्षेत्र के निवासियों ने अपने क्षेत्र के सदस्य, विधान सभा द्वारा जिलाधीश के यहां लगान की छूट के सम्बन्ध में मांग प्रस्तुत की थी ?

श्री चरणसिंह--केवल ग्राम कनेला के निवासियों का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें सूखा से हुई क्षति के कारण भूमि कर में छूट देने के लिये प्रार्थना की गई थी।

*४४--**श्रीव्रजविहारी मिश्र** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त क्षेत्र में लगान में कितनी छूट दी गई है ?

श्री चरणसिंह--उक्त क्षेत्र के १५ गांवों में खरीफ १३६२ फसली में १४९० रु० १० आ० की मालगुजारी में छूट दी गई।

इटावा जिले में पशु-चिकित्सालय व कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र

*४५--**श्री मिहरबानसिंह** (जिला इटावा)--क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के अन्तर्गत भर्थना कस्बे में जो पशु-चिकित्सालय भवन बना है उसे क्या वे स्टाफ देकर चालू करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह--पहली अगस्त, १९५५ से चिकित्सालय चालू किया जा चुका है।

*४६--**श्री मिहरबानसिंह**--क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वह कसबा भर्थना में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र भी खुलवाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह--जी नहीं।

श्री मिहरबानसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले में कितने कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र हैं और कहां-कहां पर हैं ?

श्री हुकुमसिंह--एक सेंटर महेवा में है और उसका सब-सेंटर इटावा है और एक औरैया में है। इस तरह से तीन हैं।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ४२-४४ श्री झारखंडे राय ने पूछे।

श्री मिहरबानसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनमें कितने प्रतिशत कामयाबी हासिल हुई है ?

श्री हुकुमसिंह--५० प्रतिशत से ऊपर ।

गोरखपुर रोडवेज द्वारा कन्डक्टरी की ट्रेनिंग

*४७--श्री राजवंशी (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर रोडवेज की तरफ से सन् १९५३-५४ में कितने आदमियों को कन्डेक्टरी की ट्रेनिंग दी गई और उनमें से कितने को काम पर ले लिया गया ?

श्री चरणसिंह--१४९ आदमियों को कन्डक्टरी की ट्रेनिंग दी गई और उनमें से ९५ को काम पर ले लिया गया ।

*४८--श्री राजवंशी (अनुपस्थित)--क्या सरकार को यह मालूम है कि जिनको पहले ट्रेनिंग दी गई उनको अभी तक काम नहीं मिला और जिन्होंने बाद में ट्रेनिंग पाई उन्हें काम पर ले लिया गया ?

श्री चरणसिंह--जी हां । जो आदमी अपनी बारी पर काम पर न लिये गये वे या तो चुनाव के समय उपस्थित न हो सके या जब बुलाये गये तब उपस्थित न हुये ।

बनारस तहसील म भूमिधरी सनदें

*४९--श्री लालबहादुरसिंह (जिला जौनपुर)--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बनारस तहसील में अब तक दसगुना जमा किये हुये कितने खातों की भूमिधरी सनद अब तक नहीं मिली हैं ?

श्री चरणसिंह--तहसील बनारस में २१९ खाते ऐसे हैं जिनमें दसा गुना जमा बतलाये जाने के बावजूद भी भूमिधरी सनदें नहीं दी गईं ।

श्री लालबहादुरसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो १९ खाते बतलाये गये हैं कि अभी तक इनके लोगों को सनद नहीं मिली है तो यह किस तारीख तक के आकड़े हैं ?

श्री चरणसिंह--अगर मैं इस सवाल को सही समझा तो माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि कब यह रुपया जमा हुआ था । यह तो मैंने जवाब में बतलाया कि जिनकी बाबत कहा जाता है कि रुपया जमा हुआ, एक्चुअली रुपया जमा हुआ या नहीं, यह तो अभी डिस्प्यूट में है । अगर रुपया जमा हुआ होगा तो वह सन् १९५० तक ही हुआ होगा । श्रीमन्, वहां तहसील में कुछ हिसाब में गड़बड़ी पायी गई । उसमें एक तहसीलदार को सस्पेंड किया गया और एक तहवीलदार और मुन्सरिम पर मुकदमा फौजदारी चल रहा है । इन २१९ आदमियों में ८५ ऐसे किसान हैं जिनकी आंशिक रकम जमा हुई है । कुछ रुपये के गबन होने की जानकारी के बाद इन तीन अधिकारियों पर मुकदमा चल रहा है । अगर यह साबित हो जायगा कि किसी किसान ने रुपया जमा किया है तो उसको सनद दे दी जायगी और उनकी मालगुजारी जिस रोज सनद जारी होनी थी उस रोज से लेकर अब तक मुजरा दी जायगी ।

श्री लालबहादुरसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो गबन हुआ है उसके अलावा भी जो रुपया जमा हुआ है उसकी सनद नहीं दी गयी है या सिर्फ जो गबन हुआ है उसी की बाकी है ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ४७-४८ श्री रामसुभग वर्मा ने पूछे ।

श्री चरणसिंह--यह तो नहीं कहा जा सकता कि २१९ आदमियों ने जो सनद के मुताल्लिक रुपया जमा किया बकाया भी उनकी तरफ से आया या नहीं। गवनमेंट की तरफ से कलेक्टर को कहा जायगा कि वह फिर तहकीकात करायें और जिनकी बाबत उनकी अपनी तसल्ली हो जाय तो वह उनको सनद जारी कर दें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार इसकी जांच माल विभाग के अलावा किसी दूसरे अधिकारी से कराने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह--जो कोई गबन होता है तो उसकी तहकीकात पुलिस ही करती है और पुलिस ही मुकदमा चलाती है। यहां पर भी पुलिस की तरफ से मुकदमा चल रहा है।

श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में जो तहसीलदार सस्पेंड किया गया है क्या वह अभी तक सस्पेंड है या उसको बहाल कर दिया गया है ?

श्री चरणसिंह--वह अभी तक सस्पेंड है। मुकदमा चल रहा है।

तमकुही तथा तरयासुजान केन यूनियनों की गन्ना बाहर भेजने की प्रार्थना

*५०--**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि तमकुही (सेवरही) तथा तरया सुजान, जिला देवरिया की केन यूनियनों ने अपना गन्ना बाहर भेजने को केन कमिश्नर से प्रार्थना की परन्तु उनकी प्रार्थना मंजूर नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह--हां, तरयासुजान तथा तमकुही (सेवरही) केन यूनियनों की प्रार्थना पर केन कमिश्नर द्वारा पूर्णरूपेण विचार किया गया था। गन्ने की मात्रा जो यूनियनों ने आंकी थी उसके सम्बन्ध में सेवरही मिल ने विरोध प्रकट किया और जांच के पश्चात् यह प्रतीत हुआ कि सेवरही मिल स्वयं ही अपने क्षेत्र का गन्ना मध्य अप्रैल तक पेरने में समर्थ हो सकेगी। इसलिये किसी अन्य मिल को उक्त क्षेत्रों से गन्ना भेजने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

*५१-५२--**श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय** (जिला गोरखपुर)--[८ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या १०--११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गोरखपुर जिले के बीजगोदाम

*५३--**श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में कुल कितने और कहां-कहां बीज गोदाम हैं और उनमें किस-किस वैरायटी के बीज हैं ?

श्री हुकुमसिंह--आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १७३-१७८ पर।)

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नौतनवां और ब्रजमनगंज में जो बीजगोदाम हैं उनमें आवश्यकतानुसार धान देने में कमी पड़ जाती है ?

श्री हुकुमसिंह--ऐसी रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं आयी है।

पूरनपुर, जिला पीलीभीत के मकान बेचने व खरीदने वालों की बेदखली

*५४--**श्री मुनीन्द्रपालसिंह** (जिला पीलीभीत)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश जरे चहारम एबोलीशन ऐक्ट, १९५१ के पास होने के बाद भी जिला पीलीभीत में पुरनपुर कस्बे के मकान बेचने व खरीदने वालों को जमींदार के हक में बेदखल किया गया ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ५० श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछा।

श्री चरणसिंह--जिला पीलीभीत के पूरनपुर कस्बे में मकान बेचने व खरीदने वालों को जमींदारों के हक में बेदखल किये जाने की सूचना सरकार को अवश्य मिली, परन्तु इन बेदखलियों का कोई सम्बन्ध उत्तर प्रदेश जरे चहारुम उत्पादन अधिनियम, १९५१ से नहीं है।

*५५--**श्री मुनीन्द्रपालसिंह**--क्या सरकार ने उक्त कस्बे के निवासियों को अपनी चिट्ठी नं० ११-पी/१-ए, तारीख १२ नवम्बर, १९५२, रेवेन्यू (ए) डिपार्टमेंट द्वारा आश्वासन दिया था कि यह ऐक्ट पूर्णरूपेण उनके अधिकारों की रक्षा करता है ?

श्री चरणसिंह--जी हां।

श्री मुनीन्द्रपालसिंह--क्या सरकार इन लोगों को कंपेन्सेट कराने का विचार रखती है जिनके अधिकारों की रक्षा नहीं हुई ?

श्री चरणसिंह--अब इसका मैं क्या जवाब दूं। गवर्नमेंट की तरफ से कम्पेन्सेशन देने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उनकी बेदखली के कौन-कौन कारण हैं ?

श्री चरणसिंह--बेदखली के कारण यह हैं कि एक आदमी जमींदार से जमीन लेकर मकान बनाता है और एग्रीमेंट डीड में हक इन्तकाल नहीं लेता है और फिर भी उसको मुन्तकिल कर देता है तो उसको कानूनन जमींदार को बेदखल कराने का हक हासिल है।

श्री मुनीन्द्रपालसिंह--सवाल ५५ के जवाब में जो जी० ओ० है उसके सिलसिले में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरणसिंह--यह जी० ओ० १२ नवम्बर, सन् ५२ को प्रेम प्रकाश आदि पूरनपुर निवासियों के खत के जवाब में जारी हुआ था उसमें लिखा गया था कि जो सवाल आपने पूछा है उसके सिलसिले में कानून बना हुआ है और कानून की मंशा यह है। इस प्रकार से उसमें कानून की ताबीर की गयी थी। सन् ५१ में कानून बनाया गया था और उसके बारे में ५२ में कहा गया ऐसा कानून बना है।

गाजीपुर जिले में सूखे के कारण लगान में छूट

*५६--**श्री शिवपूजन राय** (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गाजीपुर जिले में सूखे के कारण किसानों को खरीफ १९५४ के लगान में कितनी छूट दी गई है ?

श्री चरणसिंह--गाजीपुर जिले में खरीफ १३६२ फसली में सूखे के कारण २,२८,०९१ रु० ६ आ० की छूट मालगुजारी में दी गई।

फैजाबाद जिले के कुछ गांवों को आजमगढ़ जिले में मिलाने की प्रार्थना

*५७--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार के पास फैजाबाद जिले की टांडा तहसील के कुछ गांवों के निवासियों ने अपने गांव को आजमगढ़ जिले में मिला देने के लिये आवेदन-पत्र दिया था ?

श्री चरणसिंह--जी हां।

*५८--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह--सरकार ने उस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ५५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

बांसी तहसील में सूखे के कारण लगान में छूट की आवश्यकता

*५९—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस वर्ष अनावृष्टि के कारण बस्ती जिले की बांसी तहसील के परगना विनायकपुर के गांवों की जड़हन की फसल एकदम सूख गई है ?

श्री चरणसिंह—बस्ती जिला के बांसी तहसील के परगना विनायकपुर के किसी भी गांव में जड़हन की फसल खरीफ १३६२ फसली में अनावृष्टि के कारण नहीं सूखी है।

*६०—श्री मथुराप्रसाद पांडेय—यदि हां, तो क्या सरकार उस क्षेत्र की जनता को लगान आदि की छूट देने व समुचित सहायता करने का विचार रखती है ?

श्री चरणसिंह—यह प्रश्न नहीं उठता।

रोडवेज स्टेशनों पर कंडक्टरों से क्लर्कों का काम लेना

*६१—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को पता है कि रोडवेज स्टेशनों पर कन्डक्टरों से भी क्लर्क का काम लिया जाता है ? यदि हां, तो कितने कन्डक्टर्स इस सहयोग में कहां-कहां लगे हैं ?

श्री चरणसिंह—जी हां। निम्नांकित कन्डक्टर तथा क्लीनर कन्डक्टर निम्नलिखित प्रदेशों में क्लर्क के पद पर कार्य कर रहे हैं :

(१)	आगरा	१८
(२)	कानपुर	१३
(३)	इलाहाबाद	७१
(४)	लखनऊ	४७
(५)	बरेली	५५
(६)	गोरखपुर	१९
	योग ..	२२३

*६२—श्री केशवपांडेय—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इन कन्डक्टर्स को क्लर्क का काम करते कई वर्ष हो गये हैं परन्तु उन्हें क्लर्क का वेतन नहीं दिया जाता ? क्या उनके प्रमोशन की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री चरणसिंह—सरकार ने इस सिलसिले में उच्च पदें अप्रैल १, १९५५ से स्वीकार की है, जिससे कि कर्मचारियों को जिस पद पर वे काम कर रहे हैं उसी का वेतन मिले। भविष्य के लिये भी उचित आदेश जारी कर दिये गये हैं।

मुरादाबाद जिले में गांव समाज के बंजर तथा झील तोड़ने की शिकायतें

*६३—श्री महीलाल—क्या माल मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सोंधा मानकपुर, सुनवारी और मिलक सीकरी, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद के भूमि प्रबन्धक समिति के चेयरमैनों तथा अन्य सदस्यों ने कुछ लोगों द्वारा गांव समाज के बंजर तथा झील तोड़ने की शिकायतें परगनाधीश बिलारी से सन् १९५३-५४ ई० में की थीं ?

श्री चरणसिंह— जी हां।

*६४—श्री महीलाल—क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि उक्त शिकायतों की जांच की गई थी ? यदि हां, तो क्या फल निकला ?

श्री चरणसिंह—कुछ मामलों में सम्बन्धित व्यक्तियों की रजामन्दी से उनका कब्जा समाप्त कर दिया गया तथा दूसरों में जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि-व्यवस्था नियम, १९५२ के नियम ११५-डी के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये।

जौनपुर जिले के बाढ़पीड़ितों की सहायतार्थ धन का वितरण

*६५—**श्री रामेश्वरलाल** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जौनपुर जिले के बाढ़पीड़ितों की सहायतार्थ जो २,५०० रु० सन् १९५३ में शिक्षा मंत्री को दिये थे उसका वितरण कब और किसके द्वारा किया गया ?

श्री चरणसिंह—मुख्य मंत्री जी ने अपनी व्यक्तिगत सहायता निधि से जो २,५००रु० जौनपुर जिले के बाढ़पीड़ितों की सहायता के लिये सन् १९५३ में दिया था, उसका वितरण जौनपुर जिला कांग्रेस कमेटी के सभापति ने विधान सभा के स्थानीय सदस्यों द्वारा किया था। सरकार इससे अधिक तफसील में जाना उचित नहीं समझती क्योंकि यह रुपया गवर्नमेंट फंड का नहीं था।

बुन्देलखंड में मृत जानवरों को दफनाने से राष्ट्र सम्पत्ति की हानि

*६६—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि चर्मकार लोगों द्वारा बुंदेलखंड व अन्य जिलों में मरे हुये जानवरों को उठाना बन्द कर दिये जाने के कारण उनके दफनाने से राष्ट्र की सम्पत्ति का बड़ा नुकसान हो रहा है तथा बीमारियां फैलने का अंदेशा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह—जी हां। बुन्देलखंड में कुछ समय पहले स्थानीय चर्मकारों ने मरे हुये जानवरों का उठाना बन्द कर दिया था। जिला अधिकारियों के प्रयत्न के द्वारा चर्मकारों की एक पार्टी जिला गोरखपुर से जालौन जिले में बुलाई गई जो काम कर रही है और धीरे-धीरे स्थानीय चर्मकारों ने भी चमड़ा उतारने का काम फिर से आरम्भ कर दिया है। संक्रामक रोगों से मरे हुए जानवरों को यथासंभव जमीन में गाड़ दिया जाता है।

कर्मचन्दा पुरवा, जिला जालौन में भूदान यज्ञ

*६७—**राजा वीरेन्द्रशाह** (जिला जालौन)—क्या यह सही है कि ग्राम कर्मचन्दा-पुरवा, तहसील कालपी (जालौन) में भूमि-दान यज्ञ में जमीन दी गई है, जिसका प्रबन्ध गांधी उद्योग ट्रस्ट, कालपी द्वारा किया जाता है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न

१—**श्री कमलासिंह**—(जिला गाजीपुर)—[६ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

रायबरेली जिले के भितरी ग्राम निवासियों का खलियान भूमि के लिये प्रार्थना-पत्र

२—**श्री राजनारायण** (जिला बनारस)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम भितरी, पोस्ट सेमरी, जिला रायबरेली के किसानों का कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास खलियान के लिये भूमि सम्बन्धी आया है ? यदि हां, तो कब तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह--जी हां, प्रश्नकर्ता (सदन के तत्कालीन विरोधी नेता), से ही ऐसे दो प्रार्थना-पत्र मार्च, १९५५ में सरकार को मिले। सर्वश्री चौहरजा सिंह, रामबली व संकठा प्रसाद, जिनके विरुद्ध शिकायत की गई थी, जमींदारी विनाश से पहले ही खलिहान भूमि के काश्तकार दर्ज हैं। लेकिन गांव में कोई दूसरी खलियान भूमि न होने के कारण गांव समाज ने १२ मई, १९५५ तक एस० डी० ओ०, डलमऊ की अदालत में जमींदारी विनाश व भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा २१२-अ के अन्तर्गत मुकदमा दायर कर दिया था जो कि विचाराधीन है।

अनुत्तीर्ण लेखपालों को दुबारा परीक्षा में बैठने की अनुमति

३--**श्री रामनारायण त्रिपाठी**--क्या मालमंत्री लेखपालों की परीक्षा में अनुत्तीर्ण लेखपालों को दुबारा परीक्षा का अवसर देने आदि के बारे में सरकार ने जिलाधीशों के नाम जो राज्यादेश भेजा है उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेंगे?

श्री चरणसिंह--सरकार ने उन लेखपालों को जो कि पहली लेखपाल परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए थे सप्लीमेंटरी परीक्षा जो कि जनवरी, १९५६ ई० में होने जा रही है बैठने की अनुमति प्रदान कर दी है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने ऐसे अस्थायी लेखपालों को जिन्होंने साल भर काम किया था और जिन्होंने तीन महीने का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था और उन उम्मीदवारों को जो कि दो साल से अस्थायी पद पर काम कर रहे हैं परन्तु कोई प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है--इस सप्लीमेंटरी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है।

इस सम्बन्ध में भूमि व्यवस्था कमिश्नर ने जो परिपत्र जिलाधीशों को भेजे हैं उनका उद्धरण साथ में संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १७९ पर)

राजकीय डेरी फार्म, गजरिया

४--**श्री राजाराम किसान** (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय डेरी फार्म, गजरिया में अन्य रंग की (कोह कलर की) कितनी बछियां बांटी गईं और कहां-कहां?

श्री हुकुमसिंह--राजकीय डेरी फार्म, गजरिया में अन्य रंग की (कोह कलर की) कोई बछिया नहीं बांटी गई है।

मुरादाबाद जिले की बिलारी तहसील की भूमि के खाते

५--**श्री महीलाल**--क्या मालमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद में कुल कितनी भूमि है और उसमें से कितनी जोत में है?

श्री चरणसिंह--इस तहसील में कुल २,११,५२५ एकड़ भूमि है जिसमें से १,९८,०८४ एकड़ जोत में है।

६--**श्री महीलाल**--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उक्त तहसील में कुल कितने खाते ३० एकड़ से बड़े हैं तथा कितने ३ एकड़ से छोटे हैं?

श्री चरणसिंह--उक्त तहसील में १०९ खाते ३० एकड़ से बड़े हैं तथा ६४,५९१ खाते ३ एकड़ से छोटे हैं।

बस्ती जिले के गन्ना विभाग द्वारा स्थानीय प्रेसों से छपाई के टेण्डरों की मांग

७—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला का गन्ना विभाग स्थानीय प्रेसों से छपाई के लिये टेंडर मांगता है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह—जी हां। जिला बस्ती का गन्ना विभाग स्थानीय प्रेसों से छपाई के लिये टेंडर मांगता है।

आजमगढ़ जिले में चकबन्दी विभाग के कर्मचारी

८—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में कितने कर्मचारी चकबन्दी विभाग में नियुक्त किये गये हैं ?

श्री चरणसिंह—आजमगढ़ जिले की तहसील सदर में ४०४ कर्मचारी चकबन्दी विभाग में नियुक्त किये गये हैं, जिनका ब्योरा संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १८० पर।)

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में पशु-चिकित्सालय का आयोजन

९—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि आजमगढ़ जिले कीसगड़ी तहसील में किस स्थान पर पशु-चिकित्सालय खोलने का आयोजन हो रहा है और उसके भवन-निर्माण का कार्य कब से आरम्भ होगा ?

श्री हुकुमसिंह—तहसील सगड़ी में पशु-चिकित्सालय खोलना निश्चित हो गया है परन्तु अभी स्थान निश्चित नहीं हुआ है। तहसील के अन्तर्गत किसी ऐसे स्थान पर खोला जावेगा जो सेंट्रल (Central) जगह हो और चिकित्सालय के लिये उपयुक्त मकान किराये पर मिल सके।

कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा कतिपय विधेयकों के लिये समय निर्धारण की सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं सदन को निम्न सूचना देता हूं :—

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य परामर्शदात्री समिति ने २६ अगस्त, १९५५ की अपनी सायंकाल की बैठक में यह निश्चय किया कि निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के प्रस्तावों के लिये उनके सामने लिखा समय निर्धारित किया जाय—

१—उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ ..	साढ़े तीन दिन
२—उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५	आधा दिन।"

इस पर माननीय जगन्नाथ मल्ल प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ और उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५ के लिये कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा जो समय निर्धारण किया गया है, उससे सहमत है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह सर्वसम्मति से स्वीकृत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-क्रम में परिवर्तन

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एजेंडा के हिसाब से आइटम नंबर ३ जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली पर विवाद होना था लेकिन श्री गेंदासिंह जी, जो यहां मौजूद नहीं हैं उन्होंने हमसे यह निवेदन करने के लिये कहा है कि वह आज न लिया जाय। हम लोगों की यह राय है कि आइटम नंबर ९ उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—वे चाहते हैं कि गोवध निवारण विधेयक पहले ले लिया जाय और जब यह खत्म हो जाय तब दूसरा आइटम लिया जाय।

श्री हुकुमसिंह—मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५—(क्रमागत)

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ पर विचार करने का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं। इस संबंध में मुझे कोई लम्बी चौड़ी तकरीर नहीं करनी है। गौ का प्रश्न हमारे इस खेतिहर देश के लिये कितना आवश्यक और जरूरी है यह हमारे इस माननीय सदन के सभी माननीय सदस्यों को अच्छी तरह से विदित है। यह गो धन हमारे उस जमाने से महत्व रखता है जब कि हिस्टरी भी नहीं शुरू हुई थी। प्री हिस्टोरिक एज में इसका महत्व था, वैदिक पीरियड में भी गो वंश का बड़ा माहात्म्य था। पुराने इतिहास से भी यह बखूबी जाहिर है कि हमारे देश में गोधन एक मुख्य स्थान रखता था और इसका विशेष कारण यह है कि यह हमारा देश जो खेतिहर देश है, जहां के ८० फीसदी लोग खेती पर ही अपनी जिन्दगी बसर करते हैं हमारे देश का मुख्य उद्यम खेती है। खेती और मवेशी का ऐसा आपस में चोली दामन का साथ है कि अगर खेती से गो धन को अलग कर दिया जाय तो खेती का कोई माने नहीं रह जाता। भले ही कुछ लोग ट्रैक्टर वगैरह मंगा कर अपनी खेती का काम चला लें लेकिन अधिकांश लोग हमारे देश में छोटे छोटे काश्तकार हैं जो ट्रैक्टर वगैरह का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं उनके लिये बैलों का होना अनिवार्य है और हर तरह से आवश्यक है। लिहाजा अगर हमारे मवेशियों का सवाल खेती से अलग कर दिया जाता है और सारा उद्योग और प्रयत्न जो खेती को बढ़ाने का किया जाता है उसके साथ-साथ गोधन को बढाने का तिरस्कार किया जाता है या उस तरफ तवज्जह नहीं की जाती है तो हमारे खेती के काम में सफलता नहीं हो सकती। मवेशियों का होना, अच्छे अच्छे बैलों का होना, अच्छी-अच्छी गायों का होना हमारे लिये बहुत जरूरी है।

यह प्रश्न बहुत अरसे से, हमेशा से हमारे देश के सामने था और हर शख्स इस तरफ बड़े ध्यान से सोचता था कि हमारे देश का यह प्रश्न कैसे हल हो। गौ कोई राजनीति नहीं जानती है। गौ के मामले में कोई पालिटिक्स नहीं है और न होनी चाहिये। हमारे गांवों की आर्थिक व्यवस्था में गायों का मुख्य स्थान है और जिस वक्त हम अपने देश के गांवों की आर्थिक व्यवस्था की उन्नति के बारे में सोचते हैं तो हमारे लिये लाजिमी हो जाता है कि हम इस गौ के प्रश्न को भी साथ ही साथ सोचें और इसी ख्याल को लेकर यह बड़ा जटिल प्रश्न और मुश्किल सवाल था जिसके साथ-साथ तरह-तरह की भावनायें लोग जाहिर करते आये हैं। बहुत सी राजनीतिक पार्टियां भी इसको राजनीति का एक अखाड़ा बना कर उसके जरिये लड़ाई लड़ने का समारोह करती रहती हैं। लेकिन जैसा कि हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने कहा था उस अवसर पर जब कि यहां एक प्रस्ताव या बिल इस संबंध में पेश था "काऊ नोज नो पोलिटिक्स" लिहाजा उनका एप्रोच, सरकार का एप्रोच इस प्रश्न की तरफ आर्थिक दृष्टिकोण से होना चाहिये। बड़ी उजलत लोगों ने दिखलाई, लेकिन सरकार इस प्रश्न की गम्भीरता को बखूबी जानती थी और इसी लिये उसने बड़ी सावधानी से इस मसले को उठाया, उस ने पहले इस कार्य के लिये

[श्री हुकुमसिंह]

एक कमेटी नियुक्त की जिसमें हमारे देश के खास खास आदमी, हर मजहब मिल्लत के लोग और हर राजनीतिक विचार के आदमी उसमें रखे गये और इस सारे प्रश्न को चार पांच भागों में विभाजित करके उस कमेटी के हवाले किया गया और उससे प्रार्थना की गई कि वह इन तमाम प्रश्नों पर विचार करे और अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश करे। मैं श्रीमान् जी की आज्ञा से उन माननीय सदस्यों की सूची सदन में पढ़ना चाहता हूं जो कि उस कमेटी में थे। डाक्टर सीताराम, चेयरमैन; श्री अहमद सईद खां, नवाब छतारी; श्री बजरंग बहादुर सिंह, एम० एल० सी०; श्री अख्तर हुसैन, एम० पी०; श्री बी० एन० लहिरी रिटायर्ड, आई० जी० पुलिस; श्री रणंजय सिंह, एम० एल० ए०; श्री सुरेश प्रकाश सिंह, एम० एल० ए०; श्री अक्षय करण, गांधी आश्रम, सेवापुरी बनारस, श्री गोपाल शास्त्री, बनारस, श्री मलखान सिंह, एम० एल० ए०, श्री राजाराम शास्त्री, एम० एल० सी०; श्री लीलाधर अष्ठाना, एम० एल० ए०; श्री बाबू लाल मित्तल, एम० एल० ए०; श्री एम० जे० मुकर्जी, एम० एल० सी०; श्री स्वामी भास्करानन्द, रामकृष्ण मिशन, होम आफ सर्विस, बनारस; श्री मोहम्मद हबीब, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़; श्री रामनरेश शुक्ल, एम० एल० ए०; श्री विष्णु शरण दुबलिश, एम० एल० ए०; श्री दीनदयालु एम० एल० ए०; श्री वीरेंद्र वर्मा, एम० एल० ए०, श्री एच० बी० शाही, एनिमल हस्बेन्डरी कमिश्नर, विधान भवन, लखनऊ।

इन तमाम माननीय सदस्यों ने मिलकर इस कमेटी को कांस्टीट्यूट किया था। इस कमेटी ने बड़े परिश्रम और ध्यान के साथ इस मसले के हर पहलू पर विचार किया और मुख्तलिफ मुकामात पर उसने अपनी मीटिंग्ज कीं और जो लोग इस प्रश्न के संबंध में जानकारी रखते थे या दिलचस्पी रखते थे उन सब के बयानात लिये और उनको कलमबन्द किया और हर तरह की जितनी भी शहादतें उनको मिल सकती थीं उन सबको इकठ्ठा कर के उन पर विचार किया और उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने भेजी। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस रिपोर्ट को मंजूर किया और खास कर गोवध के संबंध में सब ने इत्तफाक राय हो कर सरकार को सुझाव दिया कि यहां गौ और उसकी सन्तान का कतई वध न किया जाय और इस बध को टोटल बैन किया जाय। यह रिपोर्ट सर्वसम्मति से समिति ने हमें दी। सरकार ने सारी रिपोर्ट पर विचार किया। इस प्रश्न के बहुत से पहलू हैं और इसके साथ ही हमें कई और सवाल भी हल करने पड़ेंगे। उन तमाम बातों पर सरकार ने गौर किया और कमेटी की सिफारिशों को सरकार ने बजिन्सह मान कर एक बिल तैयार किया और वह सदन के सामने प्रस्तुत किया गया। आज मैंने सदन के विचार के लिये इसको उपस्थित किया है और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इसको किसी राजनीतिक भावना से न लाकर हम केवल आर्थिक दृष्टि से देखेंगे और सारे मसले पर विचार करेंगे। हमारे देश के लिये गोरक्षा निहायत जरूरी है जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था, खेती के लिये गौ की जरूरत है, इसीलिये हम उसको गौमाता भी कहते हैं। हमारे देश में जब तक गौ जिन्दा रहती है हर तरह की मदद हमें उससे मिलती है, वह हम को दूध देती है उसका गोबर खाद की शक्ल में खेती के काम आता है। उससे अनाज की पैदावार में भी इजाफा होता है, वह बछड़े भी देती है जो बैल की शक्ल में हमारी और आपकी खेती में पूरी-पूरी मदद करते हैं और इतना ही नहीं जब बेचारी मरती है तब भी अपने चमड़े से हमारे आपके जूते का काम करती है। इसलिये गोधन ऐसा धन है जो जीने और मरने दोनों में हमेशा इन्सान की सहायता करता रहता है। हम गायों को यदि आदमी का बैनिफैक्टर कहें तो अत्युक्ति की बात नहीं है। जो जानवर हमारे देश के लिये इतना महत्व रखता हो, इतना उपयोगी हो उसकी रक्षा करना हमारा आपका कर्त्तव्य है।

रिपोर्ट में यह भी है कि सन् १९०४ में जब मवेशीशुमारी हुई थी उस समय २ करोड़ ३९ लाख गायें थीं लेकिन उसके बाद १९५१ में १ करोड़ ९९ लाख रह गयीं यानी ४० लाख की कमी हो गयी। तो अगर हम इससे कुछ सबक सीखें तो यही कि हमको आपको इस तरफ तवज्जह करनी है। अगर यह धन हमारा यों ही ह्रास होता रहेगा यानी हम ने अगर इसी तरह से पचास

साल में ४० लाख तो खो दिया और अगर इस तरह से खोते जायेंगे तो फिर क्या भविष्य होगा वह हम आप सोच सकते हैं कहने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि लड़ाई के जमाने में खाने की चीजों की कितनी कमी थी, लेकिन हमारी पहली पंचवर्षीय योजना में आपने, हमने, देश के सभी भाइयों ने और सरकार ने भी सबने मिलकर पैदावार को भरसक बढ़ाने की कोशिश की। हमने इंटेसिव और एक्सटेंसिव कल्टीवेशन किया और उसी के फलस्वरूप अब बाहर से गल्ला मंगाने की जरूरत नहीं है अब अगर हमारे बैल इस मसरफ के न हों जो हमारी खेती में पूरी पूरी सहायता दे सकें तो फिर हमारे खेतों की पैदावार में भारी कमी होगी और उस कमी को हम कैसे पूरा कर सकेंगे यह भगवान जानता है। खानेवालों की तादाद तो रोज बढ़ती है उसमें कोई रुकावट नहीं हो सकती और अगर पैदावार में इजाफा न हो कम्प्लेंसेंसी में बैठे रहें और इस तरफ तवज्जह न करें तो फिर वही प्रश्न जटिल से जटिल रूप में हमारे सामने उपस्थित हो सकता है। इसलिये सरकार एनीमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट खोलकर इन मवेशियों की नस्लों को ठीक ठीक रखने का पूरा पूरा प्रयत्न कर रही है और करोड़ों रुपया हर साल यह सदन इस कार्य के लिये मंजूर करता है और वह खर्च किया जा रहा है। इसका तात्पर्य सिर्फ यह है कि हमारे देश में अच्छी से अच्छी नस्ल गायों बैलों और अन्य जानवरों की हों। लोग कहते हैं कि यहां तो घी दूध की नदियां नहीं बहतीं। मैं कहता हूं, गायें नहीं होंगी तो घी दूध की नदियां बहायेगा कौन ? बिना अच्छी गायों के दूध की नदियां नहीं बह सकतीं। दूध की इतनी कमी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको दूध पीने को कौन कहे देखने को नहीं मिलता। तो इसलिये यह जरूरी है कि दुधारू गायें रखी जायं, उनकी ब्रीड बढ़ाई जाय तो हमारे दूध का इजाफा हो सकता है और काफी लोगों को दूध मिल सकता है। जैसा मैंने कहा कि एनीमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट इस तरफ अपना पूरा-पूरा कदम उठाकर हर तरह की तरक्की करना चाहता है। एन० ई० एस० ब्लाक्स और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में अच्छी-अच्छी नस्लों की बछिया और बुल हैं उनको अपने मिकेनाइज्ड फार्म में उपयोग करने का प्रयत्न किया है, हमने कम्युनिटी प्रोजेक्ट की एरिया में लोगों को तकावी भी दी ताकि लोगों को रुझान हो और अच्छी गायों की और बैलों की नस्लों को लोग बढ़ायें। ये इस तरह के उद्योग किये जा रहे हैं, लेकिन यदि यह सारे उद्योग हम करते रहें और इनकी रक्षा करने के बारे में प्रयत्न न करें यदि वह मरती रहें और कटती रहें तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ही हमको पीछे खींच लिया जायगा। इसलिये यह रक्खा गया है कि हम गऊ के वध को कतई तौर से रोक सकें और यह सरकार की निश्चित राय है जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है।

मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि गौ वध निरोध के पीछे और भी प्रश्न हैं। हमारे देश में बहुत काफी तादाद में ऐसे मवेशी हैं जो इनवेलिड हैं जो बिल्कुल बूढ़े हो गये हैं या लंगड़े-लूले और अंधे हैं या जिनके तीन पैर या दो पैर हैं। ऐसे काफी तादाद में मवेशी हैं उनका क्या हस्र होगा। उनके लिये भी हमको प्रबन्ध करना है। अगर वह प्रबंध नहीं कर सकते तो यह मसला हल नहीं हो सकता, क्योंकि गो वध रोकने के बाद हमारा काम पूरा हो जाता है। इस तरफ भी हमारा ध्यान जाना है। हम समझते हैं कि देश के सभी भाई इस मामले में सरकार की पूरी-पूरी मदद करेंगे और खास तौर से उन भाइयों से जो सत्याग्रह करते हैं उनसे पूर्ण सहयोग हमको मिलेगा और वे ऐसी सहायता देंगे जिसके जरिये से हम आसानी के साथ गो सदन और गोशालायें काफी तादाद में खोल कर ऐसे अनएकोनामिक जानवर जो हैं उनका रखरखाव कर सकें और उनकी परवरिश कर सकें। बिना इसके काम चलता नहीं और सरकार के जरिये से ही सारे काम हो नहीं सकते। हमारे देश में नान-आफिशियल बहुत सी ऐसी संस्थायें हैं उनसे भी पूर्ण सहयोग इस गौ की रक्षा के मसले में काफी तौर से हमारी सरकार को मिलेगा और वे तन मन धन से पूरे तौर से सहायता करने को तैयार होंगी और उस समय राजा वीरेन्द्र शाह जी यह न कहेंगे कि टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहा है। यह मामला ऐसा है जिसमें राजा साहब की हमदर्दी सारे सदन की हमदर्दी और सारे सूबे के लोगों की हमदर्दी हमारे साथ होनी चाहिये। इन चन्द शब्दों के साथ मैं फिर सदन से प्रार्थना करता हूं कि यह जो प्रस्ताव है वह स्वीकार किया जाय।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन इस सदन में स्वर्णाक्षरों से लिखा जायगा। आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन रखना चाहता हूं कि यह विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो १५ दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

इस विधेयक के साथ माननीय मंत्री जी भी हमेशा याद रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज इस विधेयक से सदन का कोई भी माननीय सदस्य अपनी असहमति प्रकट नहीं कर सकता है, बल्कि प्रत्येक सदस्य यही कहेगा कि इस विधेयक को स्वतंत्रता के आते ही इस सदन में आ जाना चाहिये था और गो वंश के लिये मैं समझता हूं कि जब से स्वतंत्रता मिली तब से अब तक के दिन बड़े संकट के रहे। अगर माननीय मंत्री जी या यह सरकार इस विधेयक को पहले लाती तो गोरक्षा के लिये जो एक पार्टी ने सत्याग्रह प्रारम्भ किया था और जिसके विरुद्ध हमारी सरकार को भी कड़ा कदम उठाना पड़ा, वह मौका न आता, लेकिन हमारी सरकार तभी सचेष्ट होती है चाहे कोई भी अच्छा कार्य क्यों न हो, जब तक सरकार को गोड न किया जाय, सत्याग्रह न किया जाय वह ऐसे कार्यों के लिये अग्रसर नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक रक्खा गया है वैसे तो सरकार की तरफ से सभी प्राविजन्स गो-रक्षा के सम्बन्ध में रख दिये गये, लेकिन मंत्री जी ने अपने उद्देश्य में संविधान की जिस धारा का उद्धरण दिया है, उसमें सिर्फ गाय का ही विषय नहीं है, बल्कि उसमें दुधारू जानवर रखा गया है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह इस विधेयक की बहुत बड़ी कमी है। यदि यह विधेयक संविधान के मंतव्य के अनुसार ही तैयार किया जाता तो अच्छा होता। आपकी आज्ञा से मैं उस धारा को पढ़ देना चाहता हूं। वह संविधान की धारा ४८ इस प्रकार से है—

"राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संघटित करने का प्रयास करेगा तथा विशेषतः गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक ढोरों की नस्ल के परिरक्षण और सुधारने के लिये तथा उनके वध का प्रतिषेध करने के लिये अग्रसर होगा।"

मंत्री जी ने जैसा बताया गाय को हिन्दू धर्म में बहुत बड़ा स्थान प्राप्त है और उसकी महत्ता के कारण भारतवासी उसको गोमाता कहते हैं। लेकिन इस सदन में इस विधेयक का आज उपस्थित होना ही, इस बात का परिचायक है कि हम भारतवासी गोवंश की रक्षा के लिये कितने उदासीन रहे हैं जिस गोवंश के लिये भगवान् कृष्ण उसकी रक्षा के कारण गोपाल कहलाये, उसकी रक्षा और पालन के लिये उन्हें स्वयं कष्ट करके उसे चराने का काम करना पड़ा। इसके विपरीत आज परिस्थिति कुछ दूसरी है। जो लोग गोपालन करते हैं। गो की रक्षा करने के लिये गो को चराते हैं आज उन्हें गंवार और देहाती कहा जाता है। आज उनकी अवहेलना की जाती है। उनके लिये कोई आदर और सत्कार समाज में प्राप्त नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि जब यह विधेयक सदन में प्रस्तुत है तो उन लोगों को पूर्ण श्रेय मिलना चाहिये। उन लोगों के प्रति समाज का पूर्ण आदर होना चाहिये जो लोग गो सम्वर्द्धन में लगे हुये हैं। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, आज जो समाज की परिपाटी है वह और भी विचित्र है। गोमाता कहने वाले और जीवन भर उसका दूध पीने वाले और उसके बछड़ों से खेती करने वाले, जिस समय गाय मर जाती है, उसके साथ क्या व्यवहार होता है यह सदन का प्रत्येक सदस्य जानता है। जो लोग उस गो-माता के अंतिम संस्कार को करते हैं उसको यह समाज क्या आदर देता है। इससे भी सदन परिचित है। खास तौर से गाय के उस अंतिम संस्कार को करने वाले लोग 'चमार' कहलाते हैं। आज चमारों के प्रति, जो उस गोमाता का अंतिम संस्कार करते हैं, सदन इस बात को जानता है कि समाज में उसकी कितनी बुरी हालत है। इसलिये मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का विधेयक तभी सार्थक हो सकता है जबकि गोरक्षा से संबंधित व्यक्ति समाज में आदर के पात्र होंगे। जो लोग गो-रक्षा में अड़चन डालते हैं और गो-रक्षा में सहायक नहीं होते हैं उनके लिये उपयुक्त दंड की व्यवस्था की जाय। जैसा मैंने बताया इस विधेयक में सबसे बड़ी कमी मेरी समझ में यह है कि इसमें सिर्फ गाय और गाय के वंशज की रक्षा की व्यवस्था की गयी है जबकि हमारा संविधान इस बात के लिये संकेत करता है कि दुधारू और जो खेती के काम में आने वाले

पशु हैं उन सब की रक्षा की जाय। इस सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा सदन को यह बता देना चाहता हूं और सभी सदस्य इस बात को जानते भी हैं कि गो का समाज में आदर तो अवश्य है, लेकिन उपयोगिता भैंस की कम नहीं है। कम से कम दूध के मामले में भैंस की जो उपयोगिता है, अगर हमारा यह विधेयक पास हो जाता है तो इसका अर्थ खुले आम यही होगा कि भैंस और भैंस के वंशज पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। भैंस जो कि समाज की अपने दूध के द्वारा बहुत बड़ी सेवा करती है उसके लिये इस विधान सभा को संभवतः आगे चल कर कोई इसी तरह का सप्लीमेंटरी विधेयक इस सदन में लाना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि इस बिल में दुधारू जानवरों की रक्षा की पूर्ण व्यवस्था नहीं की गयी है। इसका परिणाम यह होगा कि जो 'घासलेट' और 'दालदा' हमारे प्रदेश में चल रहा है उसको पूर्ण प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे मंत्री जी जिस उद्देश्य से यह बिल लाये हैं कि गाय की रक्षा होने से हमारा समाज बलिष्ठ होगा, खेती को लाभ होगा, उनका यह विश्वास और उद्देश्य कुछ ही दिनों में उड़ जायगा। आज तक हमारी सरकार इतने बड़े बड़े साइन्टिस्टों के होते हुये भी इस बात का प्रबंध नहीं कर सकती कि 'घासलेट' के लिये एक रंग तो तैयार करा सकती, ताकि पहचान हो सके कि असली घी कौन है और घासलेट मिला कौन है।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में मेरी समझ में तो एक बहुत बड़ी खामी और भी है और वह यह है कि जो खंड २ के (घ) में दिया हुआ है कि जो गोवध की परिभाषा दी हुई है वह यह है कि जो गोवध करे या उसमें सहयोगी हो वह आदमी उसमें शामिल समझा जायेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इतने से ही इसका काम नहीं चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो गाय को मारना चाहता हो वह उसे बाड़े में बंद कर दे, या एक जगह बांध दे और उससे गोवंश की हानि हो सकती है और उससे हमारी सरकार का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता।

इसके अतिरिक्त धारा २ के प्रथम खंड में गोमांस की परिभाषा दी हुई है। वह परिभाषा इस बात को एलाऊ करती है कि कोई भी व्यक्ति हवाई जहाज से पीपों में गोमांस मंगा सकता है और उस पर यह विधेयक लागू नहीं होगा। मैं समझता हूं कि ऐसी बात रखने से जो दशा मद्यनिषेध की हुई है वही इस विधेयक की भी हो जायगी। मद्यनिषेध का आज यह हाल है कि जहां शराबबंदी है वहां उन स्थानों के मुकाबिले में कि जहां नशाबंदी नहीं है, ज्यादा शराब मिलती है और इस्तेमाल होती है। तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक से इस धारा को हटाया जाना चाहिये। यह होना चाहिये कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले गोमांस का उपयोग किसी तरह से नहीं कर सकते और जो उसका उपयोग करना चाहते हैं उनको आवश्यक होगा कि वह इस प्रदेश को छोड़ दें। यदि ऐसा नहीं होता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि नाजायज ढंग से बराबर गोवध होता रहेगा और हमारी सरकार इस कानून को पूरी तरह पर सफल बना नहीं पायेगी।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार के इसमें और अनेक लूपहोल्स हैं, जिनके कारण जो लोग गोवध में प्रेम रखते हैं या गोमांस से जिनको रुचि है वह अनेक प्रकार से गोवध कर सकते हैं, करा सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इसका दूसरा खंड इस विधेयक से निकल जाना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि इसमें जो पनिशमेंट की परिभाषा दी हुई है उसमें २ वर्ष की कड़ी कैद या १००० रुपया जुर्माना है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सूबे की बात नहीं कह सकता किन्तु मुझे बुंदेलखंड की बात मालूम है कि गोवंश का नाश करने से किसी को वही पाप लगता है जो कि एक मनुष्य को मार डालने से होता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---प्वाइंट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय आपका प्रस्ताव है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। तो मैं क्या माननीय सदस्य से प्रार्थना कर सकता हूं कि अपने प्रस्ताव की बात के पक्ष में वह आर्गूमेंट दें और वह यह बतायें कि इसको क्यों सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

श्री अध्यक्ष---वही कह रहे हैं। इसमें चूंकि इतने व्यंग हैं इसलिये वह बातें बता रहे हैं।

श्री जोरावर वर्मा——अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इसमें जो पनिशमेंट की व्यवस्था है वह बहुत ही कम है। हमारे यहां जो इस प्रकार का गोवध करता है, चाहे वह किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों न हो उसको मनुष्य की तरह हत्या का पाप लगता है, उसको भी उसी रूप से माना जाता है और उसको गंगा जी के स्नान तथा समाज के तमाम प्रकार के दंडों का उपभोग करना पड़ता है तब वह मनुष्य शुद्ध समझा जाता है। इसलिये गोवध का जो दंड रखा गया है वह बहुत ही कम है। इस प्रकार के दंडों से हमारा जो गोवध विधेयक है वह सफल नहीं हो सकता।

इसके बाद जैसा मंत्री जी ने कहा था कि गोसम्वर्द्धन समिति इन्क्वायरी कमेटी जो बैठी थी उसकी बहुत सी रिकमन्डेशन्स ऐसी हैं, जिनका इस बिल में कोई भी जिक्र या समावेश नहीं है। यह विधेयक पास करने के बाद हमारी सरकार गोसम्वर्धन के लिये क्या करेगी इसमें इस प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया है। हां, अवश्य इस बात की ओर संकेत किया गया है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार की आज्ञा से लोकल अथारिटीज जो हैं गोसदन या इस प्रकार की संस्थायें स्थापित करने के लिये राज्य सरकार से इजाजत मांग सकती हैं। मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये थी बल्कि राज्य सरकार के लिये जैसा इस कमेटी ने रिकमेंड किया है कि जब यह विधेयक पास होगा तो कम से कम गवर्नमेंट के लिये यह लाजिमी होगा कि इस प्रकार की वह एक धारा इसमें रखेगी कि गोसम्वर्धन के लिये व्यवस्था करेगी। आपकी आज्ञा से जो समिति की रिपोर्ट है पेज ५० पर इसे पढ़ना चाहता हूं——

"There is an urgent need for enacting legislation in regard to the registration and licensing of the Gaushalas improvement in their working, proper supervision and management."

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)——आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। गोसम्वर्धन समिति की रिपोर्ट हिन्दी में भी है तो आनरेबिल मेम्बर अंग्रेजी को क्यों पढ़ रहे हैं?

श्री अध्यक्ष——आप कृपा करके हिन्दी में पढ़ें।

श्री जोरावर वर्मा——अध्यक्ष महोदय, मुझे रिपोर्ट हिन्दी में नहीं मिली अंग्रेजी में ही मिली है इसलिये उसको पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष——तो आपको अनुवाद करना होगा।

श्री हुकुमसिंह——मैं दे दूं। उसको पढ़ दें।

श्री जोरावर वर्मा——जी हां, मैं उसका हिन्दी में अनुवाद कर रहा हूं। "गौशालाओं की रजिस्ट्री, लाइसेंस, उनकी कार्यप्रणाली में सुधार, उनका निरीक्षण तथा समुचित प्रबन्ध आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार को कानून बनाना नितांत आवश्यक है।"

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के कमेटी ने कई सुझाव दिये हैं जिनकी ओर इस विधेयक में कुछ नहीं किया गया। मुझे माननीय मंत्री और सदन के कई सदस्यों द्वारा इस प्रकार की सलाह दी गयी है कि ऐक्ट जल्दी पास हो जाना चाहिये इसलिये मैं उन तमाम कारणों और सुझावों पर प्रकाश नहीं डालूंगा और चाहूंगा कि गोरक्षा का यह बिल जितनी जल्दी सदन में पास हो जाय उतना ही अच्छा है। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं अपना सुझाव वापस लेता हूं, क्योंकि इस प्रकार के संशोधनों से हो सकता है कि इस विधेयक में कुछ देर हो जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय——माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी हुई कि माननीय जोरावर वर्मा जी ने अपने संशोधन को वापस ले लिया, क्योंकि हम लोग खुद यह चाहते थे कि उनके संशोधन का विरोध करें.....

श्री अध्यक्ष--मैं जरा इसको पूछ ही लूं तो अच्छा होगा।

क्या सदन की अनुमति है कि श्री जोरावर वर्मा का संशोधन वापस हो ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल आज इस सदन में आया है इसको पास करवाने के लिये हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि हमारे सारे देश में कुछ जो कम्युनल आर्गेनाइजेशन्स थे उन्होंने इसका बहुत कुछ नाजायज फायदा उठाया। मैं समझता हूं कि यह बिल ऐसा था जो बहुत दिन पहले ही इस सदन में आ जाता तो कम से कम इस प्रकार की कम्युनल आर्गेनाइजेशन्स को यह मौका न मिलता कि वे हिन्दुस्तान के अन्दर गोवध को बन्द करवाने का नारा लगातीं। जब हमारा विधान बना, उस समय भी इस प्रश्न पर बहुत विचार हुआ और किसी मजहब के नाते से नहीं, एक आर्थिक दृष्टि से इस प्रश्न पर विधान बनाते समय विचार किया गया और विधान के अनुच्छेद ४८ में यह लिखा हुआ है:--

> "राज्य कृषि और गोपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संघटित करने का प्रयत्न करेगा तथा विशेषतः नस्लों के परिरक्षण और गोसंवर्द्धन तथा गायों, बछड़ों और अन्य परिवाहक पशुओं की हत्या का निषेध करेगा।"

जब हमारा विधान बना, अध्यक्ष महोदय, उसी समय यह फैसला हो गया था कि जब तक हम गायों की रक्षा नहीं करेंगे, जब तक हम गायों की नस्ल को नहीं सुधारेंगे, हमारा देश जो एक कृषि प्रधान देश है वह आगे तरक्की नहीं कर सकता है। इस भारतवर्ष के अन्दर जो हमारे बैल हैं, बछड़े हैं, जो गाड़ियों पर लगाये जाते हैं जहां पर मोटरें नहीं पहुंच सकती हैं वहां गाड़ियों पर बैल लगाये जाते हैं और जो खाद हमारे देश को इन गायों और बछड़ों से प्राप्त हो सकती वह नहीं हो सकती थी यदि हम गोवध बन्द न करें। इसलिये यह आवश्यक है कि हम अपने देश के अन्दर इस गोवध को बन्द करें। यदि हम ऐसा न करते तो यह हमारे लिये एक बड़े दुःख की बात थी। इतिहास भी यह कहता है कि जब देश के अन्दर हमारे मुसलमान बादशाह लोग आये, उन लोगों ने गोवध को कानूनी तरीके से बन्द किया। वह भी यह चाहते थे कि इस देश की आर्थिक हालत भी सुधर सकती है जब कि हमारी गायों की रक्षा की जाय। लेकिन आज यह हमारी बदकिस्मती है कि इसको कम्युनल रूप में दिया जाता है, एक धार्मिक रूप दिया जाता है। लोग यह समझते हैं कि हमारे बहुत से भाई जिन्होंने बाहर इसलिये सत्याग्रह किया उन्हें एक मौका नहीं मिला, मौका मिला इस बात का प्रचार करने के लिये कि हिन्दुस्तान के लोग स्वराज्य मिलने के बाद उस गोमाता की हत्या कर रहे हैं। धर्म के नाम पर उन्होंने उसका प्रचार किया। इसी सदन का कौन ऐसा सदस्य होगा चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिक्ख हो, कोई भी हो जो यह चाहता हो कि हिन्दुस्तान में हमारी गौवें किसी तरह से वध की जायं ? पर जो इसका विरोध करते थे और कहते थे कि गोवध बन्द होना चाहिये, हमें अफसोस है अध्यक्ष महोदय, कि उन्होंने कभी उन गांवों में जाकर उन लोगों के बीच में प्रचार नहीं किया और उनमें से हम लोग हैं जो अपनी बुढ़िया गायों वगैरह को कसाइयों वगैरह के हाथ बेंच देते हैं, उनके बीच में कभी प्रचार नहीं किया। आज भी कनून आपका बन जायगा, जैसा जोरावर वर्मा जी ने कहा कि उसका प्रयोग नहीं होगा जब तक इस देश के अन्दर धार्मिक रूप से नहीं, आर्थिक रूप से हम लोगों को यह समझा सकें कि गो की रक्षा करना हमारा फर्ज है और इसकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये। इस उद्देश्य को लेकर इसमें कोई पोलिटिकल एक्सप्लायटेशन नहीं होना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि हम लोगों ने किसी राजनीतिक दृष्टि से इस बात को नहीं किया, तो इसकी उन्हें चर्चा भी नहीं करनी चाहिये थी। बल्कि यह कह कर एक खतरे की बात उन्होंने खुद डाल दी। इसमें राजनीति का क्या सवाल है ?

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

यह तो एक आर्थिक सवाल है। अपने देश की उन्नति और उसके विकास का सवाल है और इसमें मजहब का मामला सामने नहीं आता है। इसी लिये हम चाहते थे कि कम्युनल आर्गेनाइजेशंस को ऐसा मौका न मिले कि वह ऐसा प्रचार करे और कहें कि उनके प्रचार से सरकार मजबूर हो गयी इस गोवध को बन्द करने के लिये। इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि उन्हें देखना चाहिये कि जब विधान बना उसी वक्त इस बात का फैसला हो गया कि गोवध जो हिन्दुस्तान में हो रहा है वह बन्द हो जाना चाहिये और हमारी सरकार ने अवश्य इसमें थोड़ी देर की। अगर वह पहले कर दिये होती तो यह समस्या भी हमारे सामने नहीं खड़ी होती। इतने से ही काम नहीं बन जायगा कि हमने गोवध बन्द कर दिया। जैसा कि हमारे मित्र माननीय जोरावर वर्मा जी ने कहा कि कुछ क्लाजेज इससे हटा दिये जायं, वह बात मेरी समझ में नहीं आयी। अगर वह इसको एक धार्मिक टिन्ज देना चाहते हैं तब तो वह यह कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई इसको छुए नहीं। इसमें जो एक्सेप्शन हैं क्लाज ६ में कि हवाई जहाज में जो केटरिंग करते हैं या रेलों के अन्दर जो केटरिंग करते हैं, रेलें तो हमारे प्रदेश के बाहर देश के हर कोने में जाती हैं, बम्बई की गाड़ी लखनऊ में आती है, यहां की गाड़ी कलकत्ता जाती है, यह कानून तो हमारे प्रदेश के लिये है, न कि सारे देश के लिये। तो उसके लिये अगर मजहब की बात कहे तो बड़ा गड़बड़ हो जायगा। मैं उसे कम्युनल टिन्ज किसी हालत में देने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं तो केवल आर्थिक दृष्टि से यह चाहता हूं कि हमारी गऊ की रक्षा हो। इस बिल में मैं थोड़ी सी कमी जरूर पा रहा हूं। आखिर जो हमारी गायें होंगी जिनका हम दूध पीते हैं उनके लिये जो व्यवस्था का प्रश्न इसमें रखा गया है वह जरा ज्यादा ठीक नहीं मालूम होता है। उनकी कुछ व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये। उनका भार हमारी सरकार म्युनिसिपैलिटीज को सौंप रही है। यह बात हमारी समझ में नहीं आयी। सरकार के लिये, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा हम करोड़ों रुपये एनिमल हस्बैंडरी के डेवलपमेंट के लिये दे रहे हैं और सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि जिन जानवरों की वह रक्षा करना चाहती है जीवन भर उनसे काम ले कर बुढ़ापे में अगर आप उनका कोई इन्तजाम नहीं करते हैं तो यह ठीक नहीं होगा।

श्री हुकुमसिंह—पैसा दीजिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—हम पैसा देने के लिये तैयार हैं आप मांगते ही नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, यह तो देश की उन्नति का सवाल है। कौन ऐसा होगा जो देश की उन्नति के लिये पैसा देने को तैयार न हो। लेकिन जो रुपया हम दें वह उसमें खर्च न होकर जब सरकारी अफसरों की तनख्वाहों और भत्तों में खर्च होता है तो वह हमें बर्दाश्त नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात जोरावर वर्मा जी ने और कही कि इसमें गाय का नाम रखा गया है औरों का नाम ही नहीं है, सब होने चाहिये थे। तो अध्यक्ष महोदय, मैं उनका ध्यान, अगर माननीय मंत्री जी ने न दिलाया हो तो मैं ही दिला दूं कि गाय की जो परिभाषा बिल के अन्दर रखी गयी है उसमें लिखा है—"Cow" include a bull, bullock, heifer or calf. बैल भी है। तो 'गाय' का तो सिर्फ नाम ही रखा गया है। यह हो सकता है कि सरकार का पोलिटिकल मूव हो लेकिन इसमें गाय के अलावा और भी हैं। फिर श्रीमन्, जब कांस्टीट्यूशन की धारा ४८ के अन्दर यह लिखा है कि नस्ल सुधारी जाय, अच्छे प्रकार के बैल और गाय का प्रचार किया जाय। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिये वह क्या कर रहे हैं। क्या अच्छी अच्छी नस्ल की गायें वह गांवों में दे रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह—हां, दे रहे हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय मंत्री जी ने खाली हवा की बात कह दी कि हां दे रहे हैं। हमारी तरफ ऐसे ऐसे बैल सरकार ने दिये हैं जिनको देखकर डर लगता

हैं कि कब वे मर जायं। क्या गाय की नस्ल नहीं सुधारी जायगी ? मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आर्टीफिशियल इन्सेमिनेशन भी आर्थिक चीज है, क्योंकि गाय और बैलों की नस्ल सुधारने के लिये आप इसको कर रहे हैं कि अच्छी अच्छी नस्ल की गाय और बैल पैदा किये जायं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाय। सिर्फ कम्युनल नारे से डर कर ध्यान न दें ऐसा नहीं होना चाहिये। गाय की रक्षा के साथ-साथ नस्ल भी सुधारी जानी चाहिये।

मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा इस पर कहने की आवश्यकता भी नहीं है। हम चाहते हैं कि यह बिल जल्द से जल्द पास हो जाय। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस आदरणीय सदन का एक एक माननीय सदस्य इस बिल के साथ है और इसे जल्द से जल्द पास हो जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि जहां जहां हमारे चरागाह थे वहां जमींदारों ने खेती कर डाली है, तो आप गायों को कहां रखेंगे, जंगल में तो ले जायेंगे नहीं। इसलिये सरकार को चरागाह का प्रबन्ध गांव के पास ही कहीं करना चाहिये। जो यह बिल पेश हुआ है इन चन्द शब्दों के साथ इसका समर्थन करता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बधाई देता हूं, विशेषतया मंत्रिमंडल के मुख्य मंत्री को और अपने कृषि मंत्री को कि इससे सुन्दर बिल आज तक वह अपने समय में इस सदन में नहीं लाये हैं। इसमें जो कुछ सरकार कर रही है वह बहुत ही सुन्दर कर रही है। परन्तु उपाध्याय जी ने बार-बार इस बात को दुहराया कि धार्मिक संस्थायें यह कहेंगी, वह कहेंगी। आदमी जब से जन्म लेता है मरता नहीं है बल्कि मरने के पश्चात् और पैदा होने के पहले भी, उसके कुछ धार्मिक संस्कार हो जाते हैं, वह छूटते नहीं हैं। यह उपाध्याय जी उपाध्याय जी हैं, उनको गोदान लेने में कोई उज्र नहीं होगा, इसलिये पहाड़ों पर अच्छी गाय भेजी जायं और वह प्रबन्ध कर देंगे। मैं आपको यह बतलाऊंगा कि धर्म का नाम लेना पाप नहीं है और खास कर हिन्दू धर्म का नाम लेना, मैंने इसके पूर्व सदन में बताया है कि हिन्दू धर्म ऐसा है जैसा कि कृष्ण भगवान् ने बतलाया है कि "निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव।" हे अर्जुन, जो सब प्राणियों को निर्वैर भाव से देखेगा वह मुझे पायेगा। मैं कहूंगा कि मेरा आशय है कि दुनियां का कोई आदमी ऐसा नहीं है जो इससे बच जाय। हर प्राणी के लिये कहा है--

"ईश्वरः सर्वभूतानाम् हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।
भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥'

ईश्वर तो हर प्राणी मात्र के अन्दर बैठा हुआ है। हर प्राणी, स्त्री, शूद्र, म्लेच्छ या ब्राह्मण सब के अन्दर वह विद्यमान है। इसलिये धर्म तो हमारे लिये विशेषकर लाभकारी है। मुझे याद पड़ता है कि जब हमारे डाक्टर राधा.....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि कहीं धर्म के ऊपर लम्बा डिस्कोर्स न हो जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा--श्रीमन्, ३, ४ मर्तबा उपाध्याय जी ने लांछन लगाये। इसलिये मुझको भी कुछ जिकर करना पड़ा। इस आदरणीय सदन में ४३१ माननीय सदस्यों में से मैं ही अकेला हिन्दू सभा का लेबिल लगा कर यहां पर बैठा हूं। तो फिर मेरा यह धर्म हो जाता है कि मैं उनकी बातों का जवाब दूं। परन्तु आपकी आज्ञा हर तरह से मानने योग्य है। तो अब मैं धर्म के विषय में ज्यादा नहीं कहूंगा, बल्कि गऊ माता के विषय में कुछ कहूंगा।

इस देश में जो खेती होती है वह बैलों द्वारा होती है। भैंसों से खेती यहां पर नहीं होती है और अगर कोई कहे कि इनसे होती हैं तो यह कोई भी मानने के लिये तैयार न होगा। गाय का बच्चा ही बैल कहलाता है। इसलिये गऊ वंश की रक्षा के लिये यह बिल है। दूध के लिये हमारे वर्मा जी ने यह कहा कि भैंस का दूध बड़ा

[श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा]

उपयोगी होता है। वह कहते हैं कि दालदा के विषय में उन्होंने कहा था। दालदा की भी गऊ के दूध के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। दालदा को तो सभी बुरा कहते हैं केवल थोड़े लोग हैं जो इससे फायदा उठाते हैं और जिनकी नेता लोग मदद करते हैं। इसी वजह से दालदा के अन्दर अभी तक कोई रंग नहीं मिलाया गया है। शिकोहाबाद मे सन् १९५० में एक कान्फ्रेन्स हुई थी जिसमें मैं भी डेलीगेट हो कर गया था। मुझे मालूम है कि उससे पहले भी कई मर्तबा कहा गया है कि इसमें रंग मिला दिया जाय, ताकि वह चीज घी से बिल्कुल पृथक हो जाय। पैट्रोल में तो रंग मिला दिया जाता है, लेकिन दालदा के लिये अभी तक कोई रंग नहीं मिला है।

जहां तक गऊ का सवाल है उससे हमको दूध, घी और दही मिलता है। रामराज्य की स्थापना की बात कही जाती है और कृष्ण भगवान् के जमाने की बात कही जाती है तो वह सब उसी में आ सकता है। कृष्ण भगवान् तो स्वयं गोपाल ही कहलाते थे। उन्होंने गऊ की सेवा हर प्रकार से की। उन्होंने यह भी कहा कि :

"अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भव :।
यज्ञाद् भवति पर्जन्य : यज्ञः कर्म समुद्भवः।।"

अन्न से प्राणी जीते हैं। हमारा सब का जो जीवन है वह अन्न से होता है। अगर अन्न पैदा करना है तो इसके लिये सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि आप के पास बैल हों। अगर खेतों को न जोता जायगा तो फिर अन्न कैसे पैदा होगा। इसलिये बैलों की आवश्यकता अन्न के लिये सब से अधिक है। इसके अलावा गऊ से हमको दूध, दही और घी भी मिलता है। हमारे जीवन के लिये यह सब से अधिक उपयोगी है। मैं एक बात यह भी कह दूं कि जबान से चाहे जो कुछ आदमी कहे लेकिन जो इस देश का पैदा हुआ आदमी है चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान या ईसाई वह सब इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं कि यह बहुत उपयोगी है। पैदा होने से लेकर मरने के समय तक गऊ लाभकारी है। हिन्दुओं के यहां तो मरने के समय गऊ दान में दी जाती है और वह इसलिये कि यह गोदान वैतरणी को पार करेगा। गाय ऐसा जानवर है जो जीने से मरने तक और हर समय हमारे काम में आता है। नेतागण मुझे क्षमा करेंगे अगर मैं यह कहूं कि नैतिक उत्थान और चरित्र निर्माण के बिना किसी देश का उत्थान नहीं हो सकता। लेकिन जब तक धर्म का सहारा नहीं लिया जायगा तब तक चरित्र और नैतिक उत्थान किसी तरह से भी नहीं हो सकता है। इस लिये गोवध को रोकने के लिये सब से बड़ी चीज धार्मिक व्यूप्वाइन्ट है। इसी के साथ में आर्थिक भी है। धर्म, काम और मोक्ष सब एक दूसरे से मिले हुये हैं और अगर एक की ओर किसी का रुझान होगा तो दूसरे की ओर भी होगा। इतने से शब्द कह कर मैं बैठ जाता हूं।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उस समिति का एक सदस्य था जिसकी रिपोर्ट पर यह बिल आधारित है। उसने अपनी चार उपसमितियां बनाई थीं और उनमें एक का जिसने यह सिफारिश की थी कि गोवध बन्द होना चाहिये। मैं अध्यक्ष था जिस समय वह समिति सारे सूबे में घूम रही थी हमने गोवध की समस्या को असली रूप में देखा। उसने यह निश्चय किया कि बिना गोवध बन्द किये गोवंश की नस्ल सुधारना कठिन है। कठिन ही नहीं, वरन् असम्भव है। कमेटी ने अपने दौरे में ऐसे भी विचार देखे जो इस सदन को जानना चाहियें। हमारी सरकार १९४७ से यह कहती रही थी कि क्योंकि म्युनिसिपल बोर्डों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने एक तरह से गोवध बन्द कर रखा है इसलिये सरकार को कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग भी ऐसा ही मानते थे लेकिन जिस समय हम लोग मुरादाबाद, रामपुर आदि में गये वहां हमें पता चला कि इन बोर्डों

की पाबन्दी होते हुये भी वहां पर सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में गायें काटी जाती हैं। हम लोग पीपलसाना में पहुंचे। वहां न जाने किस प्रकार लोगों को हमारे जाने का पता लग गया। वहां हमने एक बाड़े में देखा कि १२ बैल एक बाड़े में खड़े किये गये थे। उनको हमारे सामने ही २, ३ आदमियों ने इकट्ठा ही मार दिया था और उस नज़ारे को देखने के बाद हमारे सदस्यों ने यह समझा कि इसकी पाबन्दी का क़ानून प्रान्तीय सरकार से बनना चाहिये। हमारी कमेटी २ बजे की गाड़ी से रात के रामपुर गई थी। हमने यह सोचा था कि सवेरे ४ बजे हम लोग उन जगहों पर पहुंचेंगे जहां यह काम होता है। लेकिन हमे आश्चर्य हुआ कि जिस समय ५ बजे से पहले हम लोग वहां पहुंचे तब तक कई जगह यह कार्य समाप्त हो चुका था। वहां किसी को पता नहीं चलता था कि गोवध हुआ था लेकिन नालियों में खून भरा था। एक मकान में हमारी कमेटी के सदस्य गये तो खून बहता मिला लेकिन गोवध का कोई निशान नहीं था। एक जगह नई हड्डियां, नई पसलियां और नई खाल मिली जिससे हमने यह समझा कि वहां निरन्तर गोवध किया जाता है। मथुरा और प्रयाग ऐसे शहरों में बैलों का वध जारी था। इसलिये हमने यह नतीजा निकाला कि म्युनिसिपल बोर्डों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के बाई लाज से यह काम नहीं हो सकता और इसके लिये क़ानून की आवश्यकता है। गोरखपुर में एक शिखाधारी सरपन्च ने हमसे यह कहा कि मैं गोवध पर पाबन्दी नहीं चाहता हूं। उसने कहा कि यह इन्सान और हैवान में मुक़ाबले का सवाल है। या तो इन्सान खाना खाले या हैवान खा ले। चूंकि लोगों को खाना नहीं मिलता है इसलिये मैं चाहता हूं कि गोवध पर पाबन्दी न लगाई जाय। शहरों में लोग गोवध करने में सफल रहते हैं। शहरों के लोग अपनी गाय से दूध लेने के बाद उसे छोड़ देते हैं और वह हलवाई के पत्तों को या दूसरी गन्दी चीज़ों को खा कर अपना पेट पालती है। हमारी कमेटी ने देखा कि एक दृष्टिकोण यह भी है कि इन्सान और हैवान में किसकी रक्षा होनी चाहिये। हमने गाय और इन्सान के मुकाबले को नापा और अन्त में यह समझा कि हमको गोवध पर पाबन्दी लगानी चाहिये। हमारे प्रदेश में दूध की बहुत बड़ी समस्या है। जब से सन् १९४७–४८ से गोवध एक प्रकार से बन्द किया गया है और तब से आप देखेंगे कि हमारे भैंसों का वध की ओर लोगों का झुकाव ज्यादा हो गया है। किसान लोग बैल के लिये गाय पालते हैं लेकिन दूध के लिये भैंस पालते हैं। किसान दोनों चीजों को एक साथ नहीं पाल सकता है। उस पर दो बोझ पड़ जाते हैं। हमने समझा कि जिससे उसे बैल मिलता है अगर हम उसकी रक्षा कर सकें तो उससे उसे दूध भी मिलेगा। इसलिये हमने भैंस के मुकाबले में गाय को तरजीह दी। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि भैंस के वध पर भी पाबन्दी होनी चाहिये। मैं तो उन लोगों में से हूं जो यह कहते हैं कि किसी पशु का भी वध नहीं होना चाहिये। हमारी कमेटी की एक सिफारिश पर यह बिल आधारित है। मुझे यह बिल देख कर प्रसन्नता है। जो हमारी सिफारिशें थीं उन पर सरकार चली है और हम चाहते हैं कि यह बिल कानून बन कर सफल हो और सारा देश इससे लाभ उठावे।

लेकिन केवल निषेधात्मक कार्य करने से ही हम सफल नहीं हो सकते हैं। निषेधात्मक कार्यवाही के साथ रचनात्मक कार्यवाही भी आवश्यक है। जहां आप इस विधेयक द्वारा गोवध पर पाबन्दी लगाते हैं वहां एक विधेयक ला कर गोवध से उत्पन्न जो समस्यायें हैं उन पर भी विचार करना होगा। मुझे कभी कभी यह ख्याल होता है कि यदि हम बिना किसी विधेयक या आधार के गोवंश की रक्षा चाहते हैं तो यह सम्भव भी होगा या नहीं। मगर हमारा गोवध निषेध का आधार क्या है? जब गाय में दूध देने की शक्ति नहीं रहती है या वह दूध देने के लायक नहीं रहती है तो हम क्या करें उस समय वह लोग भी जो गो रक्षा करना धार्मिक दृष्टि से अच्छा समझते हैं उस वक्त गो को अपने यहां से हटा देने की कोशिश करते हैं। मुझे कभी-कभी यह लगता है कि गोवध बन्द होने के बाद इस समस्या का क्या हल होगा कि जब हमारी गो बूढ़ी हो जायंगी, दूध न देंगी। ऐसी गो लाखों की संख्या में आज भी हैं जो दूध नहीं देतीं, आज भी शहरों में खाली गो की समस्या

[श्री दीनदयालु शास्त्री]

है, ऐसी समस्या का भी कुछ हल अवश्य होना चाहिये। इस समस्या का हल सरकार निकालेगी ऐसा मुझे निश्चय है क्योंकि उन्होंने हमारी सिफारिशों को स्वीकार करने की कृपा की है और उससे हमारा उत्साह बढ़ाया है। जब उसने इस सिफारिश को स्वीकार किया है तो वह अगली सिफारिशों को भी उचित रूप देगी ऐसा मेरा निश्चय है। इन शब्दों के साथ मैं सरकार को बधाई दूंगा कि हमारे प्रदेश के सामने जो एक समस्या थी उस को हल करने का प्रयत्न उसने किया है तथा आशा है कि दूसरी समस्याओं पर भी जल्दी ही उचित रूप से ध्यान देने की कोशिश करेगी।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गो रक्षा के सम्बन्ध में जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं और मैं यह समझता हूं कि कल्याणकारी राज्य का जो लक्ष्य है उसको पूर्ण करने के लिये पहला कदम तो जमींदारी प्रथा का अन्त करके उठाया गया था और दूसरा कदम गो-रक्षा कर के उठाया जा रहा है।

हमारे शास्त्रों के अनुसार गौ के सम्बन्ध में ऐसा कहा जाता है—

"मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुखप्रदाः ।"

यानी गौएं सब प्राणियों की मातायें हैं, वे सब को सुख पहुंचाने वाली हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में गौ को माता माना गया है और गौ की रक्षा को माता की रक्षा समझा गया है। जो उत्तर प्रदेश हमारे भारतवर्ष के अन्दर अच्छे कामों में हमेशा अग्रणी एवं पथ-प्रदर्शक रहा है, उस ने इस विधेयक को पेश कर के अपना मस्तक ऊंचा किया है। यह उत्तर प्रदेश वही उत्तर प्रदेश है जहां पर राम और कृष्ण जैसों ने अवतार लिया। भगवान् कृष्ण ने ही गौ की रक्षा, गौ के पालन, और गौ संवर्धन का महत्व भारतवर्ष के अन्दर बताया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि गौ को ही हम माता क्यों मानते हैं और अन्य पशुओं को क्यों नहीं मानते? उस का कारण यह है कि गौ से हमें दूध, बैल और गोबर मिलता है। इसके अतिरिक्त गौ के दूध के अन्दर जो विशेषता है वह अन्य पशुओं के दूध में नहीं है। गौ के गर्भाधान संस्कार मनुष्य के संस्कारों से मिलते हैं। हम ३ चीजों को माता की संज्ञा देते हैं—गो माता, पृथ्वी माता और गंगा माता। जिन चीजों से मनुष्यों का शरीर पुष्ट होता है, जिनसे उसका पालन पोषण होता है उन चीजों में सब से पहली चीज दूध आती है उसके बाद अन्न और पानी आता है। इन तीनों समस्याओं की पूर्ति गौ से सर्वांगरूपेण होती है। इस विषय में मेरी जो कुछ जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि गौ के दूध के अन्दर सब चीजों से ज्यादा विटामिन होते हैं तथा ऐसे अंश उस में पाये जाते हैं जो शरीर को पौष्टिक बनाते हैं। गाय का दूध पचने में हल्का, सौम्य और रेचक होता है। उसमें सात्विकता का अंश अधिक होता है, शरीर को उससे पौष्टिकता प्राप्त होती है, विचार सात्विक होते हैं तथा आत्मबल बढ़ता है, तेजोबल बढ़ता है, इसलिये गौ का दूध अधिक अच्छा माना जाता है। अन्य दूधों में ये गुण इतने नहीं होते।

आयुर्वेद के अनुसार गौ का दूध, दही, घृत, छाछ, मूत्र और गोबर प्रत्येक के अन्दर उनके पृथक्-पृथक् मौलिक गुण होते हैं। भारतवर्ष में गो-रक्षा का महत्व इसलिये था कि उससे आयु बल और आरोग्य मिलता है। यही उसका खास कारण था। आज जो ऐलोपैथिक चिकित्सा इतना जोर पकड़े हुये है और जिसका कि इतना प्रचार हो रहा है तिस पर भी एलोपैथिक डाक्टरों के इन्कार करने के बाद, रोग को असाध्य बतला देने के बाद कल्प करने से रोग ठीक होते देखे जाते हैं। गाय के दूध, दही, गोबर और मूत्र से जो औषधियां बनती हैं उनके सेवन करने से उनका उपचार होता है और जीवन की रक्षा होती है। मैं तो स्वयं इसका भुक्तभोगी हूं। एक बार मुझे संग्रहणी की बीमारी हो गई थी और डाक्टरों के इन्कार कर देने पर मैंने अपने एक पूज्य वैद्य जी के कहे अनुसार गाय के दूध, दही आदि से

साढ़े तीन महीने तक कल्प किया और आज सात वर्ष हो गये मैं आप के सामने जीता जागता खड़ा हूं। तो मेरा ऐसा अनुभव है कि गाय के दूध के अन्दर कोई ऐसी विशेषता है जो आरोग्यवर्द्धक है। इसके साथ ही साथ गाय का स्थान जहां पर होता है, वहां पर जो गोमूत्र होता है उस के अन्दर भी कुछ ऐसी शक्ति होती है जिसकी वजह से जो रोग उत्पन्न करने वाले कृमि होते हैं उनका नाश हो जाता है। साधारणतया बदहजमी, अजीर्ण, पेट फूलना आदि के लिये तीन तोला गोमूत्र में थोड़ा सा नमक मिला कर सेवन करने से वह ठीक हो जाता है। मेरा ऐसा अपना अनभव है। मैं समझता हूं कि ये जो चीजें हैं वे सब कुछ विशेषता रखती हैं। इनके अन्दर वैज्ञानिकता भरी हुई है। गौ के प्रति माता शब्द का प्रयोग करते वक्त हमारे अन्दर एक तरह की भावना पैदा होती है। क्योंकि यहां का जलवायु ही ऐसा है। मैं कह सकता हूं कि हिन्दू धर्म की प्रत्येक बात केवल अन्ध-विश्वास के ऊपर ही नहीं लिखी गयी है बल्कि उनके अन्दर बहुत से ऊंचे विज्ञान भरे हुये हैं, उनके अन्दर बहुत ऊंची साइंस भरी हुई है। हम वैज्ञानिकता के जरिये भी गौ को माता कहते हैं क्योंकि गाय के दूध, दही, गोबर और उसके मूत्र से हमको लाभ होता है जब कि वह जीवित रहती है और उसके मरने के बाद भी उसकी हड्डियों और चमड़े से हमको लाभ पहुंचता है। गाय के जरिये जो बैल व बछड़े होते हैं जिनके जरिये हमारे देश में अन्न पैदा होता है, बैल हल जोतने, बोझ ढोने और गाड़ियां खींचने के काम में भी लाये जाते हैं। हमारा भारतवर्ष ऐसा देश है जो उष्ण कटिबन्ध पर स्थित है। यहां का जलवायु उष्ण है जहां उष्णता ११८ डिग्री फारेनहाइट तक हो जाती है। हमारे देश में अन्न उत्पन्न करने के लिये खाद की बहुत आवश्यकता होती है और इस तरह से गाय तथा बैलों के गोबर से जो खाद तैयार होती है उससे बहुत बड़ा लाभ होता है।

श्री अध्यक्ष—अभी आप अपना भाषण जारी रखेंगे, तो हम उठते हैं और सवा दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बसन्तलाल शर्मा—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि "मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः" सर्व प्राणियों की गौ माता है और उसकी रक्षा कर के हम अपनी माता की रक्षा कर रहे हैं और जिस हेतु हम यह बिल बना रहे हैं। मैं यह बता रहा था कि गौ हमारी माता क्यों है और दूसरे दूध देने वाले पशुओं को हम माता क्यों नहीं कहते। इस सम्बन्ध में मैं यह कह रहा था कि गौ के प्रत्येक अंश से मानव जाति का कल्याण होता है, वह हमें दूध देती है, उसकी छाछ से, घी से, मूत्र से और गोबर से हमें लाभ होता है और यहाँ तक कि उसके मरने के बाद भी उसके सींग, चमड़े और हड्डियों से हमें लाभ पहुंचता है और उसकी सन्तान जो उस से उत्पन्न होती है जो आगे बछड़े और बैल हमें मिलते हैं उनसे भी हमें खेती आदि में हर तरह का लाभ मिलता है, वही हमारी खेती करते हैं हल चलाते हैं, सिंचाई करते हैं और गाड़ी आदि खींचने के काम में आते हैं और वही धानी आदि भी चलाते हैं। यद्यपि आजकल मेकेनिक युग है और खेती के अनेक साधन ट्रैक्टर आदि चल गये हैं जिनसे जुताई का काम हो जाता है और कम समय में अधिक जुताई हो जाती है लेकिन भारत की जैसी जलवायु है और जिस तरह का हमारा धरातल है एवं उसकी रचना है उसके अनुसार जितने लाभकर हमारे लिये बैल हैं उतनी कोई शक्ति नहीं है, उनके गोबर से हमें साथ ही खाद भी मिल जाती है जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। हमारे देश में जमीन के ऊंचे नीचे खेतों के टुकड़े हैं नदियों के कछार हैं या पहाड़ी जगहें हैं जहां ट्रैक्टर आदि काम नहीं दे सकते वहां साधारणतः बैल ही काम देते हैं वहां और यंत्र बेकार साबित होते हैं। इसलिये उससे जो बैल का लाभ है वह सर्वोत्तम लाभ है।

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

दूसरी बात यह है कि गो से मनुष्य के ऐसे जातक संस्कार मिलते हैं कि और पशुओं को माता न कह कर हम केवल उसी को माता कहते हैं और इसलिये हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को धर्म के नाम से कहते हैं हमारा धर्म विज्ञान से भरा है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही हम उसको माता कहते हैं। गौ का जो हमें दूध मिलता है वह हमारे शरीर के लिये उतना ही पौष्टिक होता है जितना कि माता का दूध, वह पचने में हल्का होता है। अगर किसी बच्चे का दूध छूट जाता है या किसी कारणवश माता बीमार हो गयी या उसकी मृत्यु हो गयी या माता दूध नहीं पिलाना चाहती है तो इन अवस्थाओं में गौ का ही दूध काम देता है। बकरी का भी दूध काम देता है वह भी गौ के समान ही माना जाता है लेकिन बकरी से उतना लाभ नहीं होता जितना गौ द्वारा होता है। गौ के मूत्र और गोबर आदि तक बहुत से रोगों को नष्ट कर देते हैं और उनके सेवन से स्वास्थ्य सुन्दर बन जाता है।

दूसरी बात यह भी है कि जब गर्भाधान होता है तो ९ मास के बाद गर्भ परिपक्व होकर बच्चा पैदा होता है और गौ के भी गर्भाधान होने के बाद गर्भ परिपक्व होने में पहली बार दस मास लगते हैं और उसके बाद ९ या साढ़े ९ मास में बच्चा पैदा हो जाता है। भैंस का भी बच्चा पैदा होने में लगभग इतना ही समय लगता है लेकिन उसमें कुछ अधिक समय लगता है। पहला बच्चा तो ११ महीने में पैदा होता है और दूसरे बच्चे दस से साढ़े दस महीने लेते हैं। यह बात केवल गौ में ही है कि उसके जातक संस्कार मनुष्यों के संस्कारों से मिलते हैं। गाय के दूध में सात्विकता पायी जाती है। उससे आत्मबल और तेजोबल बढ़ता है। यह सब बातें हैं जिनको विचार पूर्वक देखा गया है और उसके बाद ही उसकी यह उपयोगिता बतायी गयी है और उसको यह उपाधि दी गयी कि हम गौ को माता कहें।

गौ की रक्षा के सम्बन्ध में एकाध बार यहां जिक्र आया तो एक आध भाइयों के मुंह से सुना गया था कि गौ की रक्षा धार्मिक दृष्टिकोण से हो रही है। मैं तो यह कहता हूं कि हमारा धर्म वही है जिससे मानव जाति का लाभ हो, उसका कल्याण हो इस लोक में और परलोक में भी सुख हो वही हमारा धर्म है। ऐसी शिक्षा जिसमें हमें मिले वही हमारी धार्मिक शिक्षा है। हमारे देश में रहने वाली वैसे तो बहुत सी छोटी बड़ी जातियां हैं लेकिन दो सम्प्रदाय मुख्यरूप से हैं। पहला सम्प्रदाय तो हिन्दू है और दूसरा मुसलिम सम्प्रदाय है। मैं मुसलिम सम्प्रदाय के विषय में अधिक तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं अरबी और फारसी का ज्ञाता नहीं हूं लेकिन मैं ऐसी जगह का रहनेवाला हूं कि जो हमारे अवध के इलाके में मुसलमानों के गढ़ समझे जाते थे जैसे महमूदाबाद और नानपारा आदि। मैं नानपारा का रहनेवाला हूं और अक्सर मुसलमानों के मीलाद शरीफ में, मजलिसों आदि में जाने का मौका मुझे मिला करता है और मेरे बहुत से मुसलमान दोस्त भी हैं जिनसे अकसर सोहबत होती रहती है और जो उनके यहां उपदेश वगैरह सुनने से मेरी जानकारी है उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि 'इस्लाम' शब्द अरबी भाषा की "सलम" धातु से निकला है और "सलम" का अर्थ है किसी को दुख न देना। तो इस्लाम सिखलाता है कि किसी को दुख न पहुंचाया जाय और आज जो कुरबानी का जिक्र जगह जगह पर किया जाता है मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कहां किसी पर धार्मिक आक्षेप होता है? इसमें कोई धार्मिक आक्षेप नहीं है क्योंकि कुरबानी की जो प्रथा है वह जब से वह धर्म है तभी से चली आती है। जब सीरिया पहाड़ पर हजरत इब्राहीम अपनी तपस्या को सिद्ध करने के लिये अपने बेटे को कुरबानी के लिये आगे लाये थे....

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य विधेयक के विषय से दूर जा रहे हैं। यदि इस विधेयक के सम्बन्ध में ही कहें तो अधिक उचित है।

श्री बसन्तलाल शर्मा--तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है कि गौ को ही मारना लाजिमी है। तो इसमें धार्मिक आपत्ति तो नहीं हो सकती है। हमारा जो विधेयक है, जिसपर हम विचार करने जा रहे हैं इसमें कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो हमारे यहां "गौ" शब्द की व्युत्पत्ति जो है उसको देखा जाय तो "गच्छतीति गोः" यानी जो गतिशील है वही गौ है और इस प्रकार से सारा विश्व गतिशील है जो गौ कहा जा

सकता है। इस तरीके पर हम किसी भी प्रकार की गौ का वध नहीं कर सकते। लेकिन इस विधेयक की धारा ४ के अन्दर ऐसा है कि ऐसी गायें जिनसे कोई संक्रामक रोग फैलने की आशंका हो अथवा जिनपर अन्वेषण करने की आवश्यकता हो उनका वध हो सकता है। यदि धार्मिक दृष्टिकोण से बिल लाया गया होता तो किसी भी प्रकार की गौ का वध कर सकने की बात नहीं आ पाती। मेरा यह कहना है कि यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है यह हमारे राज्य के लिये, हमारे देश की जनता के लिये और हमारे देश के लिये एक महान् कल्याणकारी विधेयक है। गौ की रक्षा द्वारा ही हमारा देश समृद्धिशाली, शक्तिशाली और बलशाली हो सकता है और हमारी बुद्धि का विकास हो सकता है। जब अरोग्यता हमारे यहां रहेगी, जब स्वास्थ्य सुन्दर रहेगा तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी को पुनः बधाई देता हुआ इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री राधामोहनसिंह (जिला बलिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि किन शब्दों में इस अपनी सरकार को और कृषि मंत्री महोदय का मैं अभिवादन करूं ऐसे महत्त्वपूर्ण और उपयोगी प्रस्ताव को लाने के लिये। आज उत्तर प्रदेश राज्य की तमाम जनता चाहे वह किसी भी धर्म की हो, या किसी भी तबके की हो आज इस विधेयक के समाचार को सुन कर वह प्रसन्न और प्रफुल्ल है। मैं समझता हूं कि इस सदन के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रस्ताव पास हुये होंगे और अच्छे-अच्छे विधेयक भी पास हुये होंगे लेकिन यह जो विधेयक लाया गया है उससे मानव-समाज के प्रति और इस समाज के निर्माण में जनता का जो कल्याण होगा उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि यह प्रश्न आज तक टाला जाता रहा है। कुछ हमारे अन्दर एक बहुत कमजोरी रही कि हम इसको धार्मिक दृष्टिकोण से देखते रहे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह गोवध के निवारण का जो प्रश्न है यह कदापि धार्मिक नहीं है। इस प्रश्न को जब और भी गौर से देखें तो वास्तव में न तो यह धार्मिक है, न सामाजिक है और न किसी एक खास तबके का है यह तो एक तरह से मानव सम्बन्धी प्रश्न है। जब से मानव का इस धरती पर आविर्भाव हुआ और जब से मानव अपने कल्याण के लिये अभिवृद्धि और विकास के लिये प्रयत्न करने लगा उस समय से उसने समझा कि उसका विकास गोवंश में ही निहित है। आज भी हम देखते हैं कि चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, चाहे ईसाई हो या पारसी, चाहे पश्चिम का रहने वाला हो या पूर्व का, मानव समाज के कल्याण के लिये हर जगह हम देखेंगे कि अपने शरीर को अगर किसी को निरोग रखना है तो हम उसे गाय के दूध को पीता देखेंगे, गाय के घी का और गाय के गोबर का उपयोग करते देखेंगे। कोई भी इंकार नहीं कर सकता चाहे आज हम भले ही कह लें कि यह यंत्रों का युग है लेकिन इसके बाद भी जितना उपयोग और आवश्यकता गोवंश की है आज उतनी कभी नहीं रही। कुछ दिनों के बाद समझ पायेंगे कि मानव-समाज का कल्याण जब कभी होगा तो इसी के जरिये से हो सकता है।

हमको माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का बहुत दुःख है कि यह विधेयक बहुत देर में यहां आया लेकिन फिर भी इस बात का विश्वास है कि सदन का ही नहीं, इस राज्य का ही नहीं बल्कि तमाम राष्ट्र का समर्थन इसको प्राप्त होगा। मैं तो कहूंगा कि कभी भी इसको हिन्दू या मुसलमान किसी खास धर्म से जोड़ना इस प्रश्न के साथ-साथ अन्याय करना है। जहां कि हम हमेशा इसकी पूजा करते रहे वहां अब तक गांव की अवश्यमेव उपेक्षा होती रही है लेकिन और मुल्कों में जहां मनुष्य अपने कल्याण के लिये प्रयत्न करता रहा है वहां आज भी गाय की पूजा है, गाय की सबसे अधिक प्रतिष्ठा है और गाय के कल्याण का वे समर्थन करते हैं और उसके बारे में प्रयत्न करते हैं। अगर आप इस प्रश्न का इतिहास देखें तो आपको मालूम होगा कि इतिहास में जब हम गुलाम नहीं थे, मुस्लिम राज्य था तो गाय की प्रतिष्ठा थी। जो वर्तमान युग इस प्रश्न का हो गया है वह तो तब हुआ जब हम दोनों गुलाम हुए और गुलामी की अवस्था से ही इस प्रश्न को हम आज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राधामोहन सिंह]

भी उलझा हुआ देख रहे हैं। लेकिन बहुत से स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्रों में गोवध का निषेध है और मुझे इसमें भी संदेह नहीं कि मुस्लिम प्रधान देश पाकिस्तान में भी इस तरह का विधेयक बहुत शीघ्र पास होगा। उन्हें इस तरह का प्रस्ताव पास करना होगा। मैं तो यह चाहता हूं कि इस गोवंश के प्रश्न को, जिसका कि सम्बन्ध मानव-समाज के कल्याण से है, उसे हम इस दृष्टिकोण से देखें तभी हम इसको ठीक समझ पायेंगे। जो हम अन्याय करते आये हैं वह नहीं करेंगे और तभी हम इस प्रश्न को ठीक समझ पायेंगे और हल कर पायेंगे। आज इस बात की प्रसन्नता है कि सदन में ही नहीं बल्कि राज्य में कहीं भी इसका विरोध नहीं है। आज हम कुछ न कुछ समझने लगे हैं। जो पक्के कांग्रेसी हैं वह भी इस प्रश्न को इस प्रकार देखने से डरते हैं। वह यह समझते हैं कि यह धार्मिक प्रश्न है। हम इसमें क्यों दखल दें? और कुछ धर्मान्ध हिन्दू मुसलमान भी इस प्रश्न को इस प्रकार देखने में अपने को कमजोर पाते हैं। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि हम अपने राष्ट्र को बतला देना चाहते हैं कि वह दृष्टिकोण अब बदल रहा है। इस प्रश्न के ऊपर हम धीरे-धीरे लेकिन दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते जाते हैं और एक सही दृष्टिकोण बनाते जा रहे हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इस विधेयक को अविलम्ब पास करना चाहिये। मैं तो जो प्रस्ताव इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का आया है उसका विरोध करता हूं।

श्री दीनदयालु शास्त्री—कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री राधामोहनसिंह—अब इस विधेयक में विलम्ब न किया जाय। बल्कि जल्दी से जल्दी पास किया जाय। इस विधेयक में कुछ त्रुटियां अवश्य हैं और हर विधेयक में हुआ करती हैं। लेकिन वह त्रुटियां ऐसी बुनियादी नहीं हैं कि हम उनका यहां पर सुधार न कर सकें। मैं समझता हूं कि हमारे विधायक भाई यहां मौजूद हैं जिस बात को बदलने की आवश्यकता होगी हम बदल देंगे और उसमें मुनासिब तरमीम कर दी जायगी। लेकिन छोटी-मोटी तरमीमों के लिये इस विधेयक को कुछ दिनों के लिये डाल रखना मुनासिब नहीं है। इसलिये मैं यह समझता हूं और इस सदन के बहुत से भाई समझते होंगे कि इस विधेयक को अविलम्ब हमें पास करना चाहिये और जो इसकी उपयोगिता और उपादेयता है, उसके मिलने में देर नहीं करनी चाहिये। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य की तमाम जनता इस विधेयक का स्वागत करती है और एक बहुत बड़ा प्रश्न था जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, उसको हम अब हल करने जा रहे हैं इसलिये मैं समझता हूं कि इस विधेयक को यह सदन जल्द से जल्द पास करेगा।

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक के इस सदन में प्रस्तुत करने के लिये माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। माननीय महोदय, इस सदन में यह विधेयक आया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यह गोवंश रक्षा के लिये प्रस्तुत हुआ है। यह गो रक्षा किस लिये की जाती है? यह हमारे प्राचीन बड़े-बड़े ऋषियों-मुनियों ने, बड़े-बड़े ज्ञानियों ने मानव-समाज के कल्याण के साधनों में इस गोरक्षा को प्राथमिकता दी है। इसका महत्व देखते हुये और यह देखते हुये कि यह मानव-समाज के उपकार का साधन है इसका नाम 'गोमाता' रखा गया है। माननीय महोदय, इस बीच में कुछ ऐसा समय आया जबकि इस गोवंश की रक्षा की महत्ता को न जानने वाले लोगों ने इसकी हत्या की और उसके जानने वाले लोगों में उस समय कुछ कमजोरी थी, वह उसकी महत्ता को समझा न सके। इस कारण कुछ दिनों तक गोवध होता रहा। आज हमारे इस प्रजातंत्र युग में इस सरकार के आधार पर आधारित हो कर कुछ महानुभावों ने इस सरकार को याद दिलाया, उनको इस कार्य के लिये धन्यवाद देते हुये मैं इस आदरणीय सदन से कहूंगा कि यह जो विधेयक आपके सामने प्रस्तुत है इसको पास करने में कुछ भी विलम्ब न हो क्योंकि इसकी महत्ता सब जान ही चुके हैं। इस गोवंश की रक्षा से इसके दूध, घी, दही और गोबर से जो संसार का उपकार हुआ और हो रहा है वह मेरे पूर्व वक्ता भली-भांति दरशा चुके हैं। इसलिये मैं अब अधिक समय न लेते हुये सदन से यही प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को शीघ्रातिशीघ्र निःसंकोच पारित कर दीजिये। मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं।

श्री हरदेवसिंह (जिला सहारनपुर)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय तथा मंत्री जी, जो विधेयक आज सदन के सम्मुख आया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक यहां के रहने वालों का सम्बन्ध है, चाहे वह हिन्दू हों या मुसलमान या किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के मानने वाले हों वह सब गौ को माता मानते हैं। माता हमें पैदा करती है लेकिन वह गौ का दूध पीकर उसके बछड़ों द्वारा पैदा किया हुआ अन्न खाकर और वस्त्र पहन कर ही हमें पैदा करती है। अगर गऊ के बछड़े अन्न पैदा न करें तो हमारी माता हमें कैसे पैदा कर सकती है। इसलिये गौ माता सारे देश के रहने वालों की माता समझी जाती है। गो के दूध के अन्दर कितने गुण हैं यह आपको मालूम है। जिस समय कोई भी आदमी हिन्दू या मुसलमान बीमार पड़ जाता है तो वैद्य या हकीम उसको किसी और का दूध पीने को नहीं बतलाते बल्कि सिर्फ गौ का दूध बतलाते हैं। कितनी ही बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ गौ के दूध से ही दूर होती हैं। जिस समय आदमी कमजोर हो जाता है तो उस समय गौ का घृत और दूसरी चीजें उसको दी जाती हैं इसलिये कि आपको मालूम है कि उसके घृत के अन्दर और मक्खन के अन्दर कितने गुण हैं। आपको यह भी मालूम है कि जिस समय हमारे देश की जनसंख्या ३२ करोड़ थी उस समय हमारे यहां गायें भी ३२ करोड़ थीं और हमारे यहां के रहने वाले केवल अन्न पर ही आश्रित नहीं थे बल्कि वह गाय के दूध और घी को खा कर भी अपनी जिन्दगी व्यतीत करते थे। अन्न वह बहुत कम खाया करते थे और उस समय हमारे देश में बहुत बड़े-बड़े विद्वान् और बलवान हुये हैं यह आपको मालूम है। श्रीकृष्ण जैसे बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्होंने कि गीता जैसी पुस्तक बनाई और आज दुनिया भर में कोई पुस्तक ऐसी नहीं है जो गीता के बराबर हो भी गाय का दूध और घी खाते थे। आपको मालूम होना चाहिये कि हमारे देश में बड़े-बड़े विद्वान् और बली राम, भीम, सहदेव, नकुल जैसे व्यक्ति उसी जमाने में निकले। उस समय हमारे देश में ३२ करोड़ गायें थीं और उतने ही आदमी थे। उस समय आदमी घी और दूध खाते थे और इतने बलवान होते थे। उस समय हम भूमि में लात मार कर पानी निकाल देते थे। वह हमारे देश की पोजीशन थी। आज यह एक विधेयक हमारे सामने है। यह बहुत अच्छा है और मैं आपके सामने ज्यादा न कहता हुआ आपसे यह कहना चाहूंगा कि अब इस विधेयक को पास करने में कोई विलंब न होना चाहिये। बल्कि सदन से प्रार्थना है कि इसको अच्छे प्रकार से जल्दी ही पास करें। मैं अन्त में आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसको आप जल्दी ही पास करें और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसको सदन के सामने रखा।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, जो बिल इस वक्त हमारे सामने पेश है मैं उसकी दिली ताईद करता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि जो बिल इस वक्त हमारे सामने आया है उसकी इकोनामिक हैसियत से एक बड़ी जरूरत थी, लेकिन मैं तो इसको इस से भी ज्यादा इस नुक्तेनजर से देखता हूं कि अगर हिन्दुस्तान में बसने वालों में आपस में किसी चीज से इत्तिहाद और इत्तिफाक हो सकता है तो वह इसी तरीके पर हो सकता है जैसे यह बिल इस हाउस में लाया गया और मेरा यह ख्याल है कि अगर वह लोग जो कि गाय को इतना मुकद्दस नहीं समझते हैं, जिनका कि एक दूसरा फिरका हमारे हिन्दुस्तान में, मुल्क में मौजूद है, तब भी उन लोगों को महज इस ख्याल से गऊ की कुर्बानी और गऊ का खाना बन्द कर देना चाहिये कि इस तरह हिन्दुस्तान में मुख्तलिफ फिरकों में दोस्ती रहे और दोस्ती तभी हो सकती है कि इस इत्तेहाद और इस इत्तफाक को हासिल करने के लिये अगर इस बिल को इस हाउस के अन्दर पास कर दें और इत्तफाक राय से पास कर दें तो मैं समझता हूं कि यह इसके लिये बहुत थोड़ी सी कीमत है जो हम अदा करेंगे।

जनाबवाला, इसमें शक नहीं कि हमारी गवर्नमेंट मुस्तहक मुबारकबाद है कि उसने इस मसले की तरफ तवज्जह की और इस सिलसिले में एक कमेटी बैठायी जो डा० सर सीताराम की कयादत में बैठी और उसमें इस सूबे के मुख्तलिफ ख्याल के लोग और वे लोग जो इस सूबे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खां]

की राय आम्मा पर काफी असर रखते हैं, उन्होंने काम किया और उस कमेटी ने एक साल से ऊपर काम किया और बहुत से लोगों की शहादतें लीं और बहुत सा डाटा इकट्ठा किया और उसके बाद एक रिपोर्ट गवर्नमेंट के सामने पेश की जिसके जरिये से उसने इस बात की सिफारिश की और मुत्तफिक तौर पर सिफारिश की । इस सूबे के अन्दर हम लोगों को पायनीयर बनना चाहिये कि हम गऊ रक्षा करें और गाय की कुर्बानी इस सूबे के अन्दर कतई बन्द कर दें । यह बिना थी जिसको मान कर गवर्नमेंट ने यह बिल बनाया जो कि हमारे सामने पेश है । मैं यह देखता हूं कि इस बिल में वाकई चन्द ऐसी बातें हैं जिनके मुताल्लिक प्रेस में पढ़ा और किसी हद तक लोगों में एतराज है ।

लेकिन जैसा अभी मेरे एक दोस्त ने अपनी तकरीर में बताया है कि हम इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में या ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के सामने भेजने वाले हैं और हमें यकीन है कि उसके अन्दर बैठकर जब हम लोग सर जोड़कर बात करेंगे तो हम उन तमाम कमियों को, जो इस बिल के अन्दर रह गयी हैं, अच्छी तरह से पूरा कर सकेंगे । मिसाल के तौर पर मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं दफा २ की तरफ इसमें (a) में लिखा हुआ है :

2(a) "beef" means flesh of cow but does not include flesh of cow contained in sealed containers and imported into Uttar Pardesh ;

. मेरी जाती तौर पर राय यह है कि अगर इस किस्म के लूप होल्स न रखें तो ज्यादा बेहतर हो । किसी भी सूरत में अगर यहां गाय का गोश्त आता है तो हम उसको डिसकरेज करें । इसलिये कि हमने एक बार यह जब बिलकुल तय कर दिया कि हमारी मंशा और मकसद यह है हम इस सूबे के अन्दर, मुल्क के अन्दर एक ऐसा कानून बनायें जिसके मातहत गाय की कुर्बानी बिलकुल बन्द कर दी जाय ।

जनाबवाला, एक दूसरी दफा ५ में एक्सेप्शन है, जिसमें लिखा है--

"**Exeeption**—A person may sell and serve or cause to be sold and served beef or beef-products for consumption by a bonafide passenger in an air-carft or railway train."

मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि यह एक्सेप्शन भी अगर न होता तो ज्यादा बेहतर होता । जनाबवाला, अब मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं और वह यह कि यह रिपोर्ट गोसम्वर्धन कमेटी की जो काफी जखीम है और जिसके तकरीबन १३६ सफे हैं यह हमारे सामने आ गयी है और इसके एक हिस्से को गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया है और इस तरह पर इम्प्लीमेंट किया है उसने, यह बिल हमारे सामने पेश किया है और हम इस पर इसी तरह इत्तफाक करेंगे जैसे यह रिपोर्ट आयी है । मगर मैं यह चाहता हूं कि इसके अन्दर गऊ रक्षा के सिलसिले में जो बातें और कही गयीं उनकी तरफ भी हमारी तवज्जह हो तो ज्यादा अच्छा है । हम यह जानते हैं कि गाय की नस्ल हमारे इस सूबे के लिये बहुत ही मुफीद है और इसके जरिये से हमारी एग्रीकल्चरल इकोनामी चलती है ।

लेकिन यह वाकया है कि अगर हम गौर से देखें जितनी गाय हम अपने सूबे में रखते हैं उनको हम उस तरीके से नहीं रख पाते जैसे कि रखनी चाहिये । गवर्नमेंट ने कोशिश की है और कुछ गौ सदन खोले गये हैं और उनमें जानवर रखने की तरफ तवज्जह की गयी लेकिन इस तरह के गवर्नमेंट की तरफ से कितने गौ सदन खोले जा सकते हैं जिनमें गायों के रखने का इंतजाम होगा ? इसके लिये पब्लिक ओपीनियन को आगे बढ़ना चाहिये, हम सब को आगे बढ़ना चाहिये, हम उसके जरिये से कुछ ऐसा इंतजाम करें जिससे वे गायें जो बेकार हैं उनके रहने-सहने का इंतजाम करें । यह एक बहुत बड़ा मसला है, हमारी एग्रीकल्चरल इकोनामी का है कि हमारे मवेशी किस किस्म के हों और उनका किस तरह से पालन किया जाय ।

हम जानते हैं दूसरे मुल्कों के अन्दर अगर हम जा कर देखें तो वहां की गाय और भैंस जितना दूध देती हैं हमारे यहां की उसका एक हिस्सा भी नहीं देती। अगर डेनमार्क और यूरोप के दूसरे मुल्कों में देखें तो मालूम होगा कि वहां की गायें दस गुना, पन्द्रह गुना दूध देती हैं। हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, हमारे यहां ३६ करोड़ की आबादी है और इस आबादी को सही तरीके पर रखने के लिये जिस्मानी सेहत को ठीक रखने के लिये, हमें बहुत घी, दूध की जरूरत है। लेकिन चूंकि हमारे यहां के जानवर इस हालत में नहीं रह सकते कि जिससे वह ज्यादा से ज्यादा मिकदार में दही दे सकें, घी दे सकें, दूध दे सकें, जिसकी वजह से मुल्क में इनका तोड़ा है, इनका कहत है और यही वजह है, जनाब वाला—अगर आप इजाजत दें और मैं अपने मौजूअ से दूर न जाता हूं—तो कह सकता हूं कि जो आज तरह-तरह की बीमारियां फैल रही हैं, एडल्ट्रेशन होता है और एडल्ट्रेशन के जरिये से बुरे किस्म का घी और डालडा हमारे सामने आता है और उससे सबकी सेहत खराब होती है उसकी यही वजह है कि हम सही तरीके पर पशुपालन नहीं कर पाते, अपने यहां के मवेशियों की दाश्त नहीं कर सकते। इसका नतीजा यह हो रहा है कि उनकी नस्लें कमजोर होती जा रही हैं, खराब होती जा रही हैं। वह दूध कम देने लगे हैं, घी कम देने लगे हैं और उनकी तादाद घटती जा रही है। पिछली मर्दुमशुमारी जो सन् ५१ में हुई और जोकि यहां हमारे सूबे में हुई तो उससे यह जाहिर है कि हमारे सूबे की आबादी काफी बढ़ गयी है, साढ़े छः करोड़ तक पहुंच गयी, लेकिन पिछली मर्दुमशुमारी जो मवेशियों की सन् ५१ में हुयी है उसमें आप लोग देखेंगे कि गो मवेशियों की तादाद बड़ी हद तक कम नहीं हुयी लेकिन उसके अन्दर कमी हो गयी, तकरीबन ४० लाख मवेशी कम होगये हमारे सूबे में। और अगर इसी रफ्तार से इनकी कमी इस सूबे में जारी रही तो मैं समझता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब हम लोग घी या दूध के लिये मोहताज हो जायेंगे और वह हमें बिलकुल नहीं मिल सकेगा। मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह जो गोसम्बर्द्धन कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने आयी है और जिसके लिये हम बड़े मशकूर हैं उन लोगों के जिन्होंने यह रिपोर्ट मेहनत करके तैयार की है, हमारा यह फर्ज है कि हम इसकी तरफ भी तवज्जह करें और तवज्जह करने के बाद जो कमेटी ने सिफारिशें की हैं गो रक्षा के लिये, मवेशियों को बेहतर बनाने के लिये, उनकी ब्रीड अच्छी बनाने के लिये, उनकी तरफ भी तवज्जह करें और सरकार से कहें कि इन सिफारिशों के आधार पर भी दूसरे जो जरूरी बिल हों वह जल्द से जल्द इस हाउस के सामने आयें ताकि वह यहां से पास हो सकें और सही माने में हमारे सूबे के अन्दर गोरक्षा हो सके और सही माने में हमारी ऐग्रीकल्चरल इकोनामी ठीक हो सके, हम लोगों को घी मिल सके, दूध अच्छा मिल सके और वह तवक्कोआत पूरी हो सकें जो एक अर्से से लगी हुयी थीं और जिनके मातहत हम यह चाहते थे कि इस सूबे के अन्दर एक ऐसा बिल आये जिसके जरिये से गोरक्षा हो सके।

मैं और ज्यादा न कह कर इतना ही अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में मुबारकबाद की मुस्तहक है कि उसने एक ऐसा बिल पेश किया जिसके लिये यहां की जनता एक अर्से से ख्वाहिशमन्द थी, लेकिन उसके साथ मैं यह अर्ज करूंगा कि गोसंवर्धन कमेटी की रिपोर्ट को हम कोल्ड स्टोरेज में रख दें ऐसा न हो, बल्कि ऐसा ही ध्यान देना चाहियें जैसा कि इस बिल के आने के पहले देते थे। उसकी जो मुख्तलिफ सब-कमेटियां बनायी गयी थीं और उन सब-कमेटियों ने जो मुख्तलिफ रिपोर्टें दी हैं उन पर ध्यान दे कर इस बात की कोशिश करें कि वैसे मुख्तलिफ बिल इस हाउस में जल्द आयें, उनको प्रायर्टी दी जाय ताकि यह मसला सही सूरत में और मुकम्मिल तौर पर हल हो सके।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो बिल मंत्री जी ने पेश किया है मैं हृदय से उस का स्वागत करता हूं। मैं ही नहीं और सदन के माननीय सदस्य ही नहीं, बल्कि बाहर के लोग भी इस बिल का स्वागत करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को तो पहले आना चाहिये था परन्तु यह पहले नहीं आया और सभी लोग इसकी प्रतीक्षा में थे कि सरकार ऐसा कोई कानून बनाये जिससे गायों की रक्षा हो सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के राज्य में जब जमींदारी

[श्री राम सुभग वर्मा]

थी उस समय देहातों में बहुत सी ऐसी परतियां थीं जिनमें हमारे यहां की गौवें चरा करती थीं। लोग बतलाते हैं कि इस हिन्दुस्तान में दूध और दही की नदियां बहती थीं, लेकिन ज्यों ज्यों हम लोग गौवों की सुधार के स्थिति में आते गये, उनका ह्रास होता गया। हमें जहां तक अनुभव है, मैं अपनी जानकारी की बात बतला रहा हूं कि अपने यहां गायें कुछ दिनों के लिये जंगलों में जाती थीं और वहां से आने के बाद काफ़ी परतियां लोग रखते थे, उनमें चार महीने बरसात में उनको चराते थे। इस तरह से गायों की इतनी अधिकता थी और इतना अधिक दूध, दही लोगों को खाने को मिलता था और मवेशियां बहुत ही हृष्ट पुष्ट होती थीं। लेकिन जब हमारी सरकार हुई और उसने जमींदारी का खात्मा किया तो उस के पहले ही जमींदारों ने इन जंगलों और परतियों का बन्दोबस्त करना शुरू किया। यही नहीं है और भी संस्थायें जो थीं जैसे हिन्दू महासभा वगैरह, वे जहां एक तरफ "गोवध बन्द हो" के नारे लगाते थे वहां वही लोग इस तरफ अग्रसर हुये कि सारी गोचर जमीनों का बन्दोबस्त कर दिया जाय और इस तरह से बहुत सी परती और जंगलों को खत्म कर दिया जिसके कारण गायों को चरने और रहने के लिये स्थान नहीं मिलता है। इस वजह से लोगों ने धीरे-धीरे गायों को अपने यहां रखना मजबूरन कम कर दिया और आज वे किसी न किसी रूप में बहुत कम हो चुकी हैं। आज देहातों में जिनके यहां दो चार या सौ पचास गायें रहती थीं उनके दरवाजे पर एक गाय नहीं है। कुछ ऐसे लोग जो पेशे वाले हैं वे कुछ गायें पालते हैं जिनको दुह कर, वे खुद नहीं पीते, न उनके बच्चे पीने को पाते हैं वे दूसरों के हाथ दूध बेचते हैं और अपना पेट पालते हैं। लेकिन सारा दूध दुह लेने के कारण उनके बछड़े धीरे-धीरे कमजोर हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को कानून लाने से पहले तो यह चाहिये कि वह उनके खाने का बन्दोबस्त करे।

श्री हुकुमसिंह--क्या मैं इस बिल को वापस ले लूं ?

श्री रामसुभग वर्मा--जी, नहीं। शायद मन्त्री जी को सुनाई नहीं दिया। मैंने पहले ही इस बिल का स्वागत किया है। लेकिन मैं बतला रहा हूं कि समय पर कोई कानून बनता है तो जनता उसका स्वागत करती है और उसका पालन करती है लेकिन असामयिक कानून जो बनता है जनता उसको तोड़ती है, उसका पालन नहीं करती है। यह बिल तो इससे पहले आना चाहिये था। जनता इसका पालन करेगी लेकिन यह आवश्यक है कि गायों की संख्या बढ़ाने के लिये सरकार अच्छी नस्लों का इन्तजाम करे। दूसरी चीज आबादी के हिसाब से हर गांव में चरागाह के लिये परती छोड़ी जाय। तीसरे गोवध करने वाले को उचित सजा हो। चौथा बूढ़ी, लूली, लंगड़ी और अंधी गायों के लिये गोशाला खुलवायें जिससे हर तरह से जनता भी मदद करे और सरकार भी मदद करे और अच्छी नस्ल के सांड़ों की व्यवस्था की जाय। इस तरह से व्यवस्था करने से कानून की रक्षा हो सकती है। नहीं तो कानून बना दिया लेकिन चारे वगैरह का कोई बंदोबस्त नहीं है और सारी चीजों की व्यवस्था नहीं है तो गायों की रक्षा नहीं हो सकती है। जैसे आज कल आप ने कानून तो म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ने कानून का रूप दे रखा है, लेकिन कुछ नहीं होता है। कानून के होते हुये भी वैसी ही आज भी गायें कट रही हैं, उनका वध होता रहा है और सारे प्रदेश में सारे लोग चिल्लाते रहे। मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ४-५ सुझाव जो हमने दिये हैं, उनको वह नोट कर लें और कानून बनाते समय इन पर ध्यान देने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन के सामने है उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को और सरकार को बधाई देता हूं। यह गाय का जो प्रश्न है बिलकुल आर्थिक प्रश्न है। जितने भी संसार में पशु हैं उन सब में गाय सब से

अधिक हितकारी है। इसके बचपन से लेकर अन्त तक हर एक चीज इसकी काम में आती है। गोबर तक काम में आता है और मरने पर इसकी खाल जूता देती है। इसी कारण से क्योंकि यह हमारे जीवन में सब से ज्यादा उपयोगी है, इसलिये इसको भारतवर्ष में बड़ी प्रधानता दी गई थी और गोमाता कहा था। माता का काम है पोषण करना और गो माता भी हमारा पोषण करती है। इसलिये इसको गोमाता कहा गया था और यह बिलकुल आर्थिक प्रश्न था और अत्यन्त आवश्यक था। इसलिये इस की प्रधानता मानने के लिये इसको धार्मिक रूप दे दिया गया था लेकिन वास्तव में यह बिलकुल आर्थिक प्रश्न था।

इसलिये इस विधेयक का आना जितना जल्दी होता उतना ही अच्छा होता। अब इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। एक चीज इसमें यह रखी गयी है कि अगर किसी के कोई सांस्पार्शिक सांसर्गिक रोग है, कंटेजियस डिजीज है तो उसको मारा जा सकता है और यह दिया हुआ है कि मारने के १२ घंटे के अन्दर सूचना देनी पड़ेगी। इसके अन्दर लूपहोल है अगर कोई अच्छी गाय मार देता है तो कह देगा कि बीमारी से मुब्तिला थी। इसमें झगड़ा होगा इसलिये मेरे खयाल में यह उचित होगा कि पहले वह अधिकारी से आज्ञा प्राप्त कर ले और फिर मारे। ऐसी दशा में कोई झगड़ा नहीं रहेगा, कोई प्रश्न नहीं रहेगा क्योंकि जब कोई अच्छी गाय होगी तो उसके सम्बन्ध में कोई दरख्वास्त नहीं देगा क्योंकि जब चीज मौजूद है तो इसकी जांच की जा सकती है। इसलिये इस सम्बन्ध में गलत दरख्वास्त देने की सम्भावना बहुत ही कम है। अगर पहले मार देते हैं तब तो वह कहेगा कि वह रोगी थी इसलिये माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाता हूं कि इसमें थोड़ा-सा संशोधन कर दिया जाय।

दूसरी बात मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि जब इस विधेयक को सदन पास कर रहा है तो इसकी कई कोरोलरीज हैं। इस पर उचित ध्यान देना होगा। अभी मेरे अन्य दोस्तों ने कहा है कि हमारे यहां चारे के लिये भूमि नहीं है वास्तव में बात यह है कि गांव में जो रास्ते होते हैं, बंजर भूमि पड़ी होती है, सब को किसान तोड़ डालते हैं। ऐसी दशा में चरागाह का प्रश्न आता है। मैं जानता हूं कि यह प्रश्न भी इस सदन में आयेगा और सरकार इसको हल करेगी। किन्तु मेरा उनसे कहना यह है कि हमारे यहां इस समय चकबन्दी चल रही है। इसी समय हर एक गांव में कुछ जमीन चरागाह के लिये छोड़ दी जाय और फिर उस के बाद चकबन्दी हो। अगर हर एक खाते में कुछ कमी कर दी जाय तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। जब चकबन्दी हो जायगी और उसके बाद आप कानून बनायेंगे तो बड़ी परेशानी होगी। इसीलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो प्रश्न हमारे सामने बहुत जल्द उठने वाला है उस प्रश्न को अगर इसी समय जब कि हमारे यहां चकबन्दी चल रही है इसी वक्त उस पर विचार कर ले तो बहुत सुगमता से इसको हल कर सकेंगे। अगर बाद में यह प्रश्न उठेगा तो बड़ा झंझट पड़ेगा। हर एक खाते से थोड़ी जमीन निकालना मुश्किल हो जायगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारे यहां चकबन्दी हो रही है उसी वक्त इस बात को भी तय कर ले और हर गांव में कुछ जमीन चरागाह के लिये छोड़ दी जाय तो यह समस्या इस वक्त बड़ी सरलता से हल हो सकती है।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि आज हमारे गांवों में हालत यह है कि जब गाय बेकार हो जाती है और बूढ़ी हो जाती है तो वह किसान जिसने गाय और बैल से जिन्दगी भर काम लिया है वह उन गाय और बैल को एक व्यापारी को दे देता है और बदले में कुछ दूसरे जानवर ले लेता है। यद्यपि वह इस बात को जानता है कि यह गाय और बैल मारे जायेंगे। यह आमतौर पर आज हिन्दुस्तान का किसान कर रहा है। यह एक आम बात है जो हमारे सारे सूबे में प्रचलित है। जब यह गाय मारना बंद होने जा रहा है तो यह भी बिलकुल लाजिमी हो जाता है कि इन बेकार पशु गाय और बैलों का क्या किया जायगा। इस पर विचार किया जाय इसलिये यह बात जरूरी है कि गोसदन खोले जायं। इस विधेयक

[श्री रतनलाल जैन]

में भी इसकी तरफ इशारा है। आप चाहे गोसदन अपने जरिये से खुलवायें या पब्लिक के जरिये से, मेरा निवेदन यह है कि जब आप यह विधेयक पास कर रहे हैं तो आपके लिये यह लाजिमी हो जाता है कि गोसदन आप खोलें। यह भी अच्छा है कि हम जनता से अपील करें कि जैसी हमारी भावना है कि गोशालायें खोली जायं। परन्तु उनके सामने प्रश्न आता है कि उनको जगह नहीं मिलती है। जमीन कहां से लायें। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस तरफ ध्यान देने की कृपा करें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं जिसका जिकर उन्होंने अपने भाषण में किया है कि हम पशुपालन (एनीमलहस्बैंडरी) से अच्छे जानवर पैदा करना चाहते हैं। यह सब जानते हैं कि हमारे यहां गाय बहुत ही कम दूध देती है। कहीं कहीं तो गाय आधा सेर और सेर भर ही दूध देती है। दूसरे मुल्कों में एक गाय १५ सेर और २० सेर दूध देती है। यह सुझाव उनका बिलकुल ठीक है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ज्यादा तेजी से कदम उठाये ताकि हमारी आगे की नस्ल अच्छी हो जाय। हमारे सूबे में अच्छे गोवंश की तादाद कम है। हमारे यहां ६॥ करोड़ की आबादी है और गोवंश की संख्या २। करोड़ के करीब है। जब हम यह देखते हैं कि दूध कम है, बच्चे कमजोर हैं, तो यह गाय इतना काम नहीं दे सकती है जितना कि उस को देना चाहिये। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि गोवंश को विकसित करने के लिये, अच्छे जानवरों को पैदा करने के लिये वह पूरी-पूरी कोशिश करें। इन सुझावों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को फिर बधाई देता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--उपाध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विधेयक आज इस सदन के सामने उपस्थित है। मैं उस का निहायत इत्मीनान के साथ समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं और साथ ही मैं माननीय मंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूं। इन माननीय मंत्री जी के कर कमलों के द्वारा जमींदारी अबालिशन कानून पास हुआ था और आज गोवध बन्द करने का विधेयक पेश हो रहा है। हम लोगों को बड़ी खुशी है कि आज उस महान् व्यक्ति के हाथ से इस प्रान्त में वह काम होने जा रहा है जिसको युग युगान्तर का भारतवर्ष का इतिहास याद करेगा। मैं आप की आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि जो विधेयक आज हमारे सामने मौजूद है उसके सम्बन्ध में जब देश के कोने-कोने में सत्याग्रह चल रहा था और यहां कौंसिल हाउस के सामने सत्याग्रह चल रहा था तो मैंने दूसरे दिन अमीनाबाद में देखा कि एक आदमी मोटे डंडे से एक अच्छी गाय को मार रहा है, एक ने खींच कर डंडा मारा। उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उससे कहा कि यहां तो तुम डंडा मारते हो और वहां सत्याग्रह करते हो। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसका भी अनुभव है कि जब गाय या बैल मर जाता है तो उस को चमार के घर भेज देते हैं। यहां बड़े बड़े ठाकुर और पंडित बैठे हुये हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह यह कानून बनाने जा रहे हैं तो यह जो गो को छू कर ब्राह्मण को दिया जाता है तो आप को एक ब्राह्मण नहीं मिलेगा कि उस की पूंछ छू कर दे दो। आज एक बड़ी भारी प्रसन्नता का विषय है कि इस गवर्नमेंट ने, ठाकुर हुकुम सिंह की गवर्नमेंट ने, उनके नेतृत्व में, उनकी मिनिस्ट्री में, डा० सम्पूर्णानन्द की गवर्नमेंट में और ठाकुर साहब भी उस केबिनेट में मेम्बर हैं यह सुन्दर काम किया है। उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि उनका नाम बड़ी शान के साथ कायम रहेगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज गो वंश की क्या दशा है। जब गाय बूढ़ी हो जाती है तो उसको मेरे घर खिसका देते हैं। इसके सिलसिले में एक सज्जन ने उधर से कहा कि गाय जूता देती है। जब कोई घर का मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार करने के लिये पंडित को दान देते हैं लेकिन जब गाय मर जाती है तो चमार से और एक जूता लिया जाता है, इस महापात्र को एक जूता और अपने पास से देना होता है।

आज इस प्रदेश में गोवध के निरोध का जो कानून बन रहा है यह अति उत्तम है, बहुत सुन्दर है। आज सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि गरीबों और हरिजनों को आप पैसा दीजिये उनको सही माने में वैज्ञानिक ढंग से ट्रेनिंग दीजिये जिससे वे उसका ठीक प्रकार से प्रयोग कर सकें। मैंने इसी रिपोर्ट में पढ़ा कि आज कल लोग बड़ी लापरवाही से चमड़े को निकालते हैं, छीलते हैं। क्यों? क्योंकि उस का कोई सिस्टेमेटिक इंतजाम नहीं है। मैंने फौरेन कंट्रीज में भी देखा ब्रिटिश वैस्ट इंडीज में भी देखा कि वहां अगर कोई गाय मारी जाती है, या मर जाती है तो उस के चमड़े का बहुत सुन्दर इन्तजाम होता है। लेकिन हमारे देश में जहालत भरी हुई है जिस काम को करते हैं उस को करने का सही ढंग हम नहीं जानते हैं। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आज गांवों में पंचायतें हैं, तमाम इंतजाम है लेकिन उस का कोई इन्तजाम नहीं है और इससे सरकार को भी काफी लाभ हो सकता है। हड्डी की सुन्दर खाद होती है लेकिन उसकी हड्डी बेकार फेंक दी जाती है। उस को छोड़ने से जहां १० मन पैदा होता है वहां २० मन पैदा हो जाता है। गोबर की खाद से, मल की खाद दूसरे नम्बर पर है। यहां जो एग्रीकल्चरिस्ट्स बैठे हुये हैं वे सब जानते हैं कि गोबर की खाद बैस्ट होती है। हमारा मुल्क एक गरम मुल्क है और गर्मी की वजह से जमीन जल्दी खराब हो जाती है। उस में ठंडक और नरमी रखने के लिये गोबर की खाद बड़ी वेल्यूएबिल है, लाभदायक है। प्रथम लाभ गाय से यह है कि वह अन्न प्रदान करती है, खाद के जरिये से, मरने के पश्चात् भी वह हमें चर्म देती है, जूता देती है। लेकिन आज हालत यह है कि जब गंदगी होती है, गाय मरती है तो वह चमारों के यहां डाल दी जाती है लेकिन जब पैसा मारने का समय आता है तो सब लोग उसके ठेकेदार हो जाते हैं। बाटा कंपनी और न जाने क्या-क्या कंपनी बन जाती है। हम चाहते हैं कि सारे काम हमारे जिम्मे कर दिये जायं लेकिन यह उचित बात नहीं है कि जब गन्दगी में रहे तो चमार रहे और जब पैसा मारने का वक्त आये तो दूसरे लोग आ जायं। तो सरकार इस बात पर ध्यान दे कि वह सही माने में इस चीज को करे।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतना ही नहीं है कि गाय हमारे यहां पूजनीय है। अगर मोहनजोदड़ों के इतिहास के पन्ने को उलट कर देखा जाय तो उससे पता चलता है कि खुदाई के अन्दर गायों के चित्र भी देखने को मिलते हैं। गाय हमारे देश में प्रचीन काल से लेकर आज तक पूजनीय है। विदेशों में भी प्रत्येक आर्य गायों पर निर्भर करता है। जो आर्य हिन्दुस्तान में आये उन्होंने अपनी पूरी संस्कृति में इसको रखा और उस को अपने धर्म में शामिल कर लिया और जो यूरोप गये वे गाय को पालते थे, गायों को चराते थे और उनका दूध पीते थे। जर्मनी वालों ने कहा कि गाय हमारे लिये सर्व श्रेष्ठ पशु है। संस्कृत भी जर्मनी के घर घर में है। हिटलर ने भी कहा था कि गाय जिन्दगी के लिये बहुत आवश्यक है। इतिहास के पन्ने को देखने से पता चलता है कि फारेन कंट्रीज में भी गायों का महत्व समझा जाता है लेकिन हमारे देशवासियों ने अभी गाय के महत्व को नहीं समझा है। हमारे भाई जो सामने बैठे हैं, जो अपने को ताल्लुकेदार, ठाकुर और ब्राह्मण आदि कहा करते हैं आखिर वे क्यों नहीं गोसदन और गोशालायें बनवाते हैं? इस गोवध निवारण विधेयक के द्वारा ही उनका इम्तहान है। धर्म के नाम पर जो सड़कों पर नारे लगाते फिरते हैं आज उनका भी इम्तहान है। उनको चाहिये कि गायों के लिये गोसदन तथा गोशालायें बनवायें इसमें उनको सरकार की भी मदद मिलेगी। लेकिन केवल सरकार के भरोसे ही यह काम नहीं हो सकता है। जो राजा साहब और ताल्लुकेदार लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी कह दिया है कि नेक्स्ट फाइव इयर्स प्लान के लिये रुपये की कमी पड़ेगी और इसके लिये हमको एक्स्ट्रा टैक्सेशन करना पड़ेगा। तो फिर क्यों न आप लोग पैसा रुपया टैक्स देने के लिये तैयार हो जाते। अगर वाकई में आप गोमाता की रक्षा करना चाहते हैं और देश का भला करना चाहते हैं तो एक पैसा रुपया टैक्स देने के लिये तैयार हो जाइये।

[श्री शिवनारायण]

इससे सारे प्रान्त में ही नहीं बल्कि सारे देश में गोसदन और गोशालायें बन जायेंगी। "नो गवर्नमेंट विदाउट टैक्सेशन"। मैं फिर आप से कहना चाहता हूं कि यह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, न तो यहां हिन्दू का प्रश्न है, न मुसलमान का प्रश्न है बल्कि यह तो हर हिन्दुस्तानी का प्रश्न है और इसी के जरिये हम दूध के प्राब्लम को हल कर सकते हैं। "ग्रो मोर फूड कम्पेन" किया जाता है तथा अमेरिका तथा जापान आदि विदेशों से हम अन्न की भीख मांगा करते हैं। रहीम कवि ने कहा है कि--

"रहिमन वे नर मर चुके, जिन कछु मांगन जाहिं। उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहिं"। तो इस प्राब्लम को हमें हल करना है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--"नो गवर्नमेंट विदाउट टैक्सेशन" वाली बात फिर से दोहरा दीजिये।

श्री शिवनारायण--टैक्सेशन के नाम पर श्री मदन मोहन जी जो बहुत पैसे वाले हैं, कैपिटलिस्ट हैं, घबड़ाते हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि सरकार हमारे यहां सांड़ भेज दें। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे एक बहुत बड़ा सांड़ उपाध्याय जी के यहां भेज दें क्योंकि उनके इलाके में इसकी बड़ी कमी है। उनके यहां गायें छोटी छोटी हैं लेकिन एक अच्छे सांड़ के चले जाने से वहां के बछड़े बैल आदि अच्छे हो जायंगे तथा उनके यहां दूध की कमी भी नहीं रहेगी।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इस प्रोबलम को हल करने के लिये टैक्स लगाये और इसमें पब्लिक भी कोआपरेट करे। सड़कों पर नारा लगाने वालों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जरा वे ठंडे दिल से ईमानदारी से इस पर विचार करें। यह उनके इम्तहान का समय है। यह गवर्नमेंट भी बड़ी मुरही गवर्नमेंट है, यह चूकने वाली नहीं है। जमींदारी अबालीशन के बारे में लाल टोपी वाले भाई कहा करते थे कि यह सरकार जमींदारी एबालिशन नहीं करने वाली है लेकिन हमारी सरकार ने खट से जमींदारी अबालिश कर दी। जनसंघ वाले जो चारों तरफ चिल्लाते फिरते हैं और गांव गांव में प्रचार करते फिरते हैं उनको मैं सचेत कर देना चाहता हूं कि यह कोई पोलिटिकल गेम नहीं है। "डू आर डाई" यह नारा हम ही लोगों ने लगाया था। हम कच्ची गोली खेलने वाले नहीं हैं बल्कि पक्की गोली खेलने वाले हैं इस लिये हम इसमें भी चूकने वाले नहीं हैं। यह गोवध विधेयक जो इस सदन में उपस्थित किया गया है यह बड़े ही महत्व का विषय है। यह ऐसा विषय है जिसके लिये हमारे पोलिटिकल आपोनेंट श्रेय लेना चाहते थे लेकिन उसका श्रेय हमको ही मिला, आपको नहीं मिला। जो हमारे विरोधी हैं, चाहे वह जनसंघी हों, हिन्दू महासभाई हों, सोशलिस्ट हों या कम्युनिस्ट हों, कोई हों मैं उन सब से कहूंगा कि शेर हम ने मारा है और आप पीछे रह गए। यह भी नारा बहुत से लोगों ने लगाया कि धन धरती बट के रहेगी लेकिन हम यह गोदान कर के देश की फूड प्राब्लम को हल कर रहे हैं, इसी से आगे हमारे देश में दूध की नदियां जैसे पहले बहती थीं बह सकती हैं, जिसको अन्न भी नहीं मिलेगा वह भी थोड़ा सा मट्ठा खा कर रहा जायगा, बहुत से लोगों ने कहा कि जिनके घर दूध है वह उसी को पीने नहीं पाते। मैं समझता हूं कि वह गलत कहते हैं। मेरी समझ से तो आज वह मट्ठा पीते हैं और मैं जानता हूं कि संग्रहणी के मर्ज में मट्ठे से बढ़िया कोई दवा नहीं है और वह संग्रहणी का नाश करने के लिए एक अमूल्य दवा है। जैसा कि माननीय शर्मा जी ने कहा कि उससे उनको लाभ पहुंचा उसी तरह एक बार मेरे गले में खुश्की पड़ गई और डाक्टरों ने जबाव दे दिया लेकिन मेरे एक बुजुर्ग ने मुझे बताया कि इसके लिए सवेरे एक पाव दूध पी लिया करो। मैंने गो के दूध का दो दिन तक सेवन किया और मेरा गला खुल गया। मैं जानता हूं कि जो लोग गो मांस खाते हैं उनको इस देश में कोढ़ आदि नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं और चर्म रोग तरह तरह के फैलते हैं और वह यहां की जवलायु में किसी को हज्म नहीं हो सकता। आजकल तो बाजार में सेपरेटा मिल्क मिलता है, होटल में भी वही मिलता है

उसका मक्खन निकाल लिया जाता है। ब्रिटिश वेस्ट इंडीज में भी स्टेट वाले साहब लोग मक्खन निकाल लेते थे और सेपरेटा नौकरों को दे देते थे, यहां पैसा बिक रहा है, तुम्हारे दिन अच्छे हैं और अब देश का कल्याण होने वाला है और अब जब गोवध निवारण कानून लागू हो जायगा तो सही मानों में हमें दूध मिलने लगेगा। यहां पर डालडा का जिक्र हुआ। मैं कहता हूं कि वह यहां उस दिन बन्द होगा जब घर-घर यहां गाय होगी। आज ५ छटांक का डाल्डा बिक रहा है। इस बिल के पास होने से जो डाल्डा पैदा करने वाले कैपिटलिस्ट हैं उनका गोवध कानून से मुंह बन्द हो जायगा। अगर किसानों में ठीक से प्रचार होगा और गाय भैंस पालने का प्रचार बढ़ेगा तो डाल्डा अवश्य ही बन्द हो जायगा "go to the masses and train the masses" किसी को इससे शिकायत न होनी चाहिये। यह खुशी की बात है कि यह रिपोर्ट निर्विरोध पास हो कर आई है। जब यह रिपोर्ट बन रही थी उस जमाने में जनसंघियों ने नारे लगाये जब कि हमने इस दिशा में काम शुरू कर दिया था और उसको पूरा करने जा रहे थे उस वक्त नारे लगाना कहां तक मुनासिब था? लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है वह जानती है कि नारे लगाने से यह काम हो रहा है या सरकार की नीति से हो रहा है। हमारे देश में इस समय डेमोक्रेटिक सरकार है, काम हो रहा है, प्रचार से हम आगे बढ़ रहे हैं, पब्लिक ओपीनियन बना कर चला जा रहा है, किसान सरकार की पालिसी को आहिस्ता २ समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या है, कैसे चल रही है। उपाध्याय जी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की परिभाषा जानना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की परिभाषा है "Government of the people, by the people, for the people" यहां सिर्फ चंद आदमियों की सरकार नहीं है या अकेले नेहरू जी की सरकार नहीं है और न यह डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी की ही गवर्नमेंट है यह यहां के करोड़ों रहने वालों की गवर्नमेंट है और उनमें से हर एक उसके लिए जिम्मेदार है। गांव का बच्चा-बच्चा इस चीज को समझता है और उसको इतमिनान है कि हमारे नुमाइन्दे हमारा काम ठीक चला रहे हैं। लेकिन हर काम में समय लगता है "देर आयद दुरुस्त आयद" जो गवर्नमेंट ने किया है बिलकुल दुरुस्त किया है, गलत नहीं किया है। मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि वह निहायत इतमिनान के साथ यहां चैन की बंसी बजावें और मैं उनको इतमिनान दिलाता हूं कि इस देश में शान्ति स्थापित करने और धनदौलत बढ़ाने के लिये यह बिल सोने में सुहागा होगा और जिस वक्त वह पास हो जायगा और कल ही मैं जानता हूं कि कल सबेरे ही पत्रों में पढ़ने पर इस प्रान्त के तमाम लोगों के दिमाग हरे हो जायेंगे और लोग कहेंगे कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने यह सुन्दर काम किया है, यह प्रचार स्वयं जनता करेगी। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि इस गवर्नमेंट ने सही कदम उठाया है। जो विरोधी दल के हमारे भाई हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जब कोई ऐसा ही अहम प्राब्लम हो उस वक्त आज की तरह से उनको हम कंधे से कंधा मिला कर चलना चाहिये। जो गाय का प्रश्न है उसमें देश यूनाइटेड है। गायों का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि गोसदन और गो चारण का प्रश्न जो है उसको जल्दी से जल्दी करना चाहिये। आज सवेरे मैंने चौधरी चरणसिंह जी से इस विषय में कहा तो चौधरी साहब ने कहा कि केवल सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती। कुछ गवर्नमेंट करे और कुछ पब्लिक करे तो देश का कल्याण होगा। किसी देश की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तभी स्ट्रांग होती है जब पब्लिक स्ट्रांग हो। इंगलैंड की पब्लिक स्ट्रांग है यहां की गवर्नमेंट स्ट्रांग है लेकिन पब्लिक स्ट्रांग नहीं है। पब्लिक की सहायता होनी चाहिये हर काम में अगर गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाना है पब्लिक को स्ट्रांग बनाना है। यह जो बिल यहां पर रखा गया है वह बहुत सुन्दर है। इसमें एक जगह आया है कि हरिजनों की आर्थिक स्थिति सम्हलेगी। मैं आज बताऊं कि जब हम चमड़ा उठा लेते हैं तो हमें एक जोड़ी जूता देना पड़ता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको जरा प्रान्त भर में कहें कि बाबू लोग जूता हमसे न मांगे और हम लोग सही माने में उसका संस्कार कर दें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अब जरा कुछ धार्मिक चर्चा कीजिये।

श्री शिवनारायण--मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण ने व्रजभूमि में करील के कुंजों में गऊएं चराई थीं, बन्शी बजा-बजा कर उस वन प्रान्त को गुंजाया था। आज क्या हुआ है मथुरा वालों ने उस करील के कुंजों को साफ कर दिया। मैं आप से कहता हूं कि आइये हम करील के कुंज फिर लगायें, बंशी फिर बजायें, फिर गोपालन करें, फिर नटवर का अवतार हो, तब देश में घी, दूध की नदियां बहें। जब नदियां भी दूध की बहेंगी तब देश का दुख दूर होगा और देश का कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं कि जहां तक गो-रक्षा और इस विधेयक का सम्बन्ध है, हम लोग उनके साथ हैं और इस गवर्नमेंट का बाजू मजबूत करने के लिये सदैव तत्पर हैं। मैं इन शब्दों के साथ इसका समर्थन करता हूं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आदिम मानव जाति के इतिहास से आज तक जब से विचारकों के सम्मुख गो का प्रश्न विचाराधीन रहा है और जिन विचारकों ने गायों के सम्बन्ध में विचार किया है तबसे सभी विचारकों ने एक ही तथ्य के विचार दिये हैं कि गायों की महत्ता सर्वोत्तम है। चाणक्य के अर्थ शास्त्र में भी गायों की महत्ता पर विशेष जोर दिया गया है। आज से पांच हजार वर्ष पूर्व जब गायों पर विचार हुआ और भगवान कृष्ण और अर्जुन में संवाद हुआ तो गीता में पहले जो उपदेश दिया था मैं उन्हीं के शब्दों को संस्कृत के बड़े सरल शब्दों में उच्चारण करूंगा जो कि सभी के लिये रुचि कर हो सकता है। उन्होंने बतलाया था:--

"गावः श्रेष्ठाः पवित्राश्च पावनाः जगदुत्तमाः
ऋते दधिघृताभ्यां नो, गृहे यज्ञः प्रवर्तते।
पयसा हविषा दध्ना, शकृत्याप्यथ चर्मणा
अस्थिभिश्चापि कुर्वन्ति, बालैः शृंगैश्च भारत॥"

(महाभारत से)

इसके अन्तिम छंद हैं :--

गोभिस्तुल्यं न पश्यामि धनं किंचिद् इहाच्युत।
मातरः सर्वभूतानाम् गावः लोकसुखप्रदाः॥"

गाय की तुलना में कोई धन इस संसार में नहीं दीखता है और इस कारण से गाय सर्व संसार की माता है। इतना ही नहीं :

मया गवाम् पुरीषं वै स्त्रिया जुष्ठमिति श्रुतम्।

गाय के गोबर में प्रत्यक्ष लक्ष्मी निवास करती है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भी इस देश के रहने वाले बहुसंख्यक हिन्दुओं के घरों में सत्यनारायण की कथा होती है और उसमें भगवती लक्ष्मी की मूर्ति गोबर से बनाई जाती है। यह एक अलंकारिक बात है। आर्थिक दृष्टि से इसका बहुत बड़ा उपयोग है। आध्यात्मिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से भी जब-जब गाय पर विचार होता है तब-तब सब लोग एकही परिणाम पर पहुंचते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में तो यहां तक लिखा है कि आयुर्वैघृतम् आयु का दूसरा नाम ही गोघृत है। आयुर्बल का यह पर्यायवाची शब्द है। आयुर्बल में जो लोग स्वस्थ रहने वाले होते हैं इस सूत्र में सम्पूर्ण चीजें भरी हुई हैं। अब इतना ही नहीं अनेक रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करने की क्षमता गोबर में है। यह आज के वैज्ञानिकों की समझ में आ गया है। आज भी देहातों में एक त्योहार होता है। देहात का रिवाज है कि नागपंचमी के पूर्व वे सारे घर का लिम्पन गोबर से कर देते हैं जिससे वहां बिजली न गिर सके। । इस गोबर में अद्भुत शक्ति है। आज भी खुदाई विभाग ने जहां कहीं भी मानव के अस्थि पंजर, पथराई हड्डियां निकाली हैं वे गायों के झुंड के बीच में मिली हैं। अधिक भाग में संसार के जहां-जहां जब-जब खुदाई हुई है वहां पर मनुष्यों

की हड्डी जहां मिली है उसके निकट में गाय वंश की हड्डियां अधिकतर मिली हैं और इसी कारण से ग्राम शब्द की उत्पत्ति हुई है और अनेक शब्दों की उत्पति हुई है। संसार की अनेक भाषाओं को जो वर्ण मालायें प्राप्त हुई हैं। वे गाय की शक्ल से प्राप्त हुई हैं। यह गाय की पूछ आज भी संसार में एक झंडे का काम करती है।

आधिभौतिक दृष्टि से गाय का उपयोग आपके सामने आया। आध्यात्मिक दृष्टि से भी गाय की इतनी महत्ता है जिस पर हममें से अधिक का ध्यान नहीं गया है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य आज इतना धुंधला और विषम हो गया है कि वह गाय के आध्यात्मिक उपयोग तक पहुंच नहीं पाता। गायों का तापमान मनुष्य के तापमान के निकट होता है। टीका लगाने वाले लोग गोधन से लेते हैं। गायों का जो उपयोग और महत्ता हमारे देश में है उसके सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है वह हजारों, लाखों श्लोकों में दर्शायी गयी है। ऋग्वेद के अन्दर, जिसको संसार प्राचीनतम ग्रन्थ मानता है, इस गाय की महत्ता गाई गयी है। आज गाय के ऊपर बिल ला कर हमारे कृषि मंत्री ने यश कमाया है। मैं पुनः बिना किसी चाटुकारिता की ओर संकेत करते हुए स्वाभाविक रूप से कह सकता हूं कि आज इस गोधन को लेकर हमारे सूबे के अनेक लोगों ने यश कमाया है और सारे देश के अन्दर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है। गायों के सम्बन्ध में जितना भी कहा जाय उतना थोड़ा है। हमने अनेकानेक प्रयत्नों से गोधन से जो लाभ उठाया है उस पर जो संकेत किया गया है, मैं उसे पुनः दोहराना नहीं चाहता, मैं इन शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं और कृषि मंत्री को कोटिशः धन्यवाद देता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विधेयक इस सदन में प्रस्तुत है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर हम सदन में विचार करें तो केवल भावात्मक जगत को प्रदर्शित कर हृदय गत जगत को छिपाना वस्तु-स्थिति पर परदा डालना ही होगा। इसलिए इस सम्मानित सदन के सामने जो इस विधेयक के उद्देश्य और कारण हैं और उन उद्देश्यों और कारणों की पूर्ति के लिये जो इस विधेयक का खाका और ढांचा खड़ा किया गया है दोनों को रखूंगा। यदि उद्देश्य और कारणों को पढ़ा जाय तो इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद ४८ के अनुसार राज्य सरकारों का कर्त्तव्य बताया गया है कि वे कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करें तथा विशेषतया गाय और उसके वंश की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उसके वध का प्रतिषेध करने के लिए अग्रसर हों। गोरक्षा के लिए किये गये पहले के सभी प्रयत्न और कुछ श्रेणी के उपयोगी पशुओं के वध का निषेध करने वाली युद्धकालीन विधायनी कार्यवाहियों का कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकला। इस अनुभव को ध्यान में रख कर तथा इस विचार से कि गाय और उसके वंश की दूध, बैलों की शक्ति तथा खाद की व्यवस्था करने के लिए रक्षा करना आवश्यक है, गोवध पर पूर्ण रूप से निषेध लगाना आवश्यक हो जाता है।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि जहां तक कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयत्न है इसमें किसी को विरोध नहीं हो सकता। जहां तक गाय के वंश और उसकी नस्लों के परिरक्षण और सुधार की आवश्यकता है इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता। जहां तक युद्ध कालीन नियमों और उपनियमों का हवाला दिया गया है कि वे नियम और उप नियम इन उद्देश्यों की पूर्ति में कारगार सिद्ध नहीं हुए, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि जिस रूप में यह प्रस्तुत विधेयक है, मुझे संदेह है कि इस पवित्र लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति में वह भी कारगर न होगा। श्रीमन्, लक्ष्य अच्छा है, उद्देश्य पवित्र है। समाज का कल्याण हो सकता है और मैं आपके द्वारा इस सदन को यह भी बताना चाहता हूं क्योंकि इस सम्मानित सदन में जितने सम्मानित सदस्य बोले हैं, सब लोगों ने प्राचीन काल को प्रस्तुत किया है और यह कहा है कि पहले हमारे यहां दूध और घी की नदियां बहती थीं। हमारे माननीय पंडित जी ने प्राचीन श्लोकों को इस सदन में प्रस्तुत कर मनुष्य के जीवन-काल में नाना प्रकार के रोगों का शमन करने के लिए गोमूत्र और गोबर को बहुत बातों के

[श्री राजनारायण]

लिये आवश्यक बताया है । गोबर में जितने गुण हैं उसकी भी यहां चर्चा सुनायी पड़ी । मगर मैं इस सम्मानित सदन के सदस्यों से जानना चाहता हूं कि जब प्राचीन भारत, प्राचीन गौरव, प्राचीन सभ्यता, प्राचीन परम्परा की दुहाई दी जाती है तो क्या प्राचीन गौरव, प्राचीन परम्परा, प्राचीन गो सभ्यता की रक्षा किसी विधेयक के द्वारा हुई थी क्या ? नहीं हुई थी । विधेयक के द्वारा नहीं हुई थी ....

श्री सुल्तान आलम खां---प्वांइट आफ आर्डर, सर । मैं यह दरियाफ्त करना चाहता था कि आप इसको अपोज कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं । यह फर्मा देते तो ज्यादा अच्छा था ।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें ।

श्री राजनारायण---आपने उनको यह बता दिया कि यह कोई प्वांइट आफ आर्डर नहीं था, इसके लिये धन्यवाद । इन्फार्मेशन मैं आपको दे रहा हूं । मैंने जहां तक इसके उद्देश्य और कारण हैं और जो इसका लक्ष्य बताया गया है वह बहुत ही सफाई के साथ कहा कि उन उद्देश्यों और कारणों की पूर्ति हो यह मैं तहेदिल से चाहता हूं । मगर मैं यह बताना चाहता हूं कि उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जो यह विधेयक प्रस्तुत है इसमें त्रुटियां है, खामियां हैं जिनको कि मैं आपके द्वारा इस सम्मानित सदन के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं । क्या वह लक्ष्य पूरा होगा ? श्रीमन्, मैं अपने माननीय मित्र श्री सुल्तान आलम साहब को बताना चाहता हूं कि वह सचेत स्पेशल कमजोरी का परिचय न दें । वह अपनी कमजोरी से अवगत हैं, वह सचेत हैं अपनी कमजोरी के बारे में और जब सचेत कमजोर अपने दुर्बल चित्त को सामने रखता है तो आशा से अधिक भी किसी कमजोर बात की तारीफ कर जाया करता है । इस लिये मैं माननीय मित्र सुल्तान साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो इसकी तारीफ की, ठीक है । उनकी दिक्कतों और कठिनाइयों को समझते हुए, मैं समझता हूं कि किन परिस्थितियों में वे ऐसा कर रहे हैं और उनको करना ही चाहिये । श्रीमन, मैं आपके द्वारा इस विधेयक की दो एक बात पढ़ना चाहता हूं और अपने उन सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जरा गहराई के साथ देखें जो कि प्राचीन श्लोकों को इस सदन में प्रस्तुत करके इस विधेयक का उनसे मेल मिलाने की कोशिश कर रहे हैं । इस विधेयक के तीसरे पेज पर अपवाद में लिखा हुआ है कि:

"वायुयान के अथवा रेलवे ट्रेन के वास्तविक यात्री द्वारा उपभोग के लिये कोई भी व्यक्ति गोमांस अथवा तज्जन्य पदार्थ बेच सकता है तथा भोजनार्थ प्रस्तुत कर सकता है अथवा बिकवा और भोजनार्थ प्रस्तुत करवा सकता है ।"

फिर क्यों धार्मिक कार्य की दुहाई दी जा रही है ? क्यों हिन्दू भावनाओं को इस सदन में प्रस्तुत करके यहां पर एक कलर दिया जा रहा है, रंग दिया जा रहा है.....

श्री शिवनारायण---प्वाइंट आफ आर्डर सर । इस सदन के अन्दर किसी सम्मानित सदस्य ने हिन्दुत्व को उभाड़ने की चेष्टा नहीं की है । मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी बात सदन में न आये ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रत्येक सदस्य अपने अनुसार ही इस बात को कहेगा ।

श्री सुल्तान आलम खां---कम से कम यह बता दें कि वह सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज ?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि और मैंने पहले भी सम्मानित सदस्यों से निवेदन किया था कि यह एक अहम सवाल है, गंभीर प्रश्न है, शान्ति के साथ सुनें और बैठें और इसको देखें कि आखिर इसका नतीजा क्या निकलता है । मैंने पहले ही बताया कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारण का मैं पूर्णतया समर्थक हूं, लेकिन उसमें खामियां

हैं, इसमें दोष हैं, कमजोरी है और उनकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

जितने उपयोगी पशु हैं, श्रीमन्, उनकी हिफाजत होनी चाहिये । यह कौन कहता है कि गाय की हिफाजत न होनी चाहिये । मैं माननीय मित्र की जानकारी के लिये, क्योंकि कौतूहल बढ़ रहा है, कुछ आकड़ें प्रस्तुत कर दूं तो आपको मालूम हो जायगा । सन् १९४५ से १९५१ तक, अगर आप उन दिनों के पशुओं के आंकड़ों को देखेगें तो मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में १९४५ के बनिस्बत १९५१ में साढ़े ४ लाख गायें बढ़ी हैं, १३ लाख बैल बढ़े हैं । भेड़ बकरी और घोड़े में आप देखेगे कि १९४५ की बनिस्बत १९५१ में १ लाख ८० हजार की कमी हुई है, भेड़ों की तादाद में । ८५ हजार की कमी हुई है सन् १९४५ की बनिस्बत सन् १९५१ में बकरी की तादाद में । घोड़े तथा टट्टुओं में १० हजार की कमी हुई है और माननीय कृषि मंत्री जी के शासन काल में....

श्री शिवनारायण--गधों की कितनी वृद्धि हुई है ।

श्री राजनारायण--२ हजार की वृद्धि हुई है । उसको समझने के लिये उसी बुद्धि का उपयोग न करें तो ज्यादा अच्छा है । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा फिर सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जब गाय माता है और उसको सारे विश्व की माता की पदवी मिली है तो फिर क्यों आज रेलवे ट्रेन में चलने वालों के लिये, क्यों वायुयानों में उड़ने वालों के लिये गाय मांस के बिकने की व्यवस्था है । क्या सरकार की ओर से इसका समुचित उत्तर मिल सकता है ? इसी अपवाद में लिखा हुआ है । श्रीमन्, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि गोमांस का तात्पर्य दूसरे पेज में गऊ के मांस से है किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में आयात किया हुआ मुहरबन्द पीपों में रखा हुआ गोमांस नहीं है ? अगर हमारे सम्मानित सदस्य सही माने में तहेदिल से दिल और दिमाग को एक करके गो को माता की पदवी में रखते हैं और जिस भाव को यहां प्रदर्शित किया गया, जिसको कहते हैं कि यह तो हमारी जननी है तो जननी के मांस को उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रांतों से क्यों आने देते हैं ? इस विधेयक में ऐसी धाराएं हैं । तो क्या गो हत्या उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर हो ? वह नहीं मानी जायगी, क्या यह विधेयक की असंगतियां नहीं हैं ? क्या जो भावनायें यहां प्रदर्शित की गईं, जो प्राचीन संस्कृति को यहां रखा गया उनके विपरीत यह धाराएं नहीं जातीं ? मैं श्रीमन्, पंडित जी से पूछना चाहता हूं, जिन्होंने प्राचीन संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके गो के बारे में एक उच्च धारणा को प्रदर्शित किया उनकी सभी कद्र करते हैं । इन बातों को सदन में प्रस्तुत करते हुए मैं यह देख रहा हूं कि सरकार के सामने वह पुरानी धारणायें, वे पुरानी बातें, जो गो माता के रूप में गो को मिली हुई थीं, वह नहीं हैं ।

फिर इस सदन के कुछ सम्मानित सदस्यों ने राजनीति की चर्चा की । राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है । कुछ ने हिन्दू और मुसलमानों की चर्चा की, कुछ ने मुसलमानों को आश्वाशन दिया और यहां तक कहा उनसे कि वे शान्ति के साथ चैन की बंशी बजायें । कहां चैन की बंशी वह नहीं बजाते हैं ? और अगर यह विधेयक पास हो जायगा तो उनकी चैन की वंशी बजने में क्या वृद्धि हो जायगी या जो बजती रहती थी उसमें क्या कमी हो जायगी ? मैं यह जानना चाहता हूं माननीय कृषि मंत्री जी से । इसलिये श्रीमन्, यहां पर जनसंघ द्वारा संचालित जो गोवध विरोध सत्याग्रह चल रहा था उसकी भी चर्चा की गयी और हमारे कुछ ट्रेजरी बैंच के सम्मानित सदस्यों ने यहां तक कहने की हिम्मत की कि इस सरकार के पास वह शक्ति है कि दूसरे लोग चिल्लाते रहते हैं यह सरकार काम कर दिया करती है । ठीक है, सरकार के हाथ में ताकत है, दंड है, साधन है और उसको काम करने के लिये ही दूसरे लोग चिल्लाते हैं, दूसरे लोगों का यह कर्त्तव्य है, वह तमाम बातों को कहें और जो सरकार है, उससे करायें और वह सरकार जब सही बात को न करे तो वहां वह उसका विरोध करें, यह तो विरोधी पक्ष का काम है । मगर श्रीमन्, एक तर्क नैतिक उत्थान के बारे में यहां पर दिया गया कि यह जो विधेयक है इससे नैतिक उत्थान होगा । मैं जानना चाहता

[श्री राजनारायण]

हूं कि नैतिक उत्थान कैसे होगा। इस सदन के सामने अच्छे तरीके से बताना चाहिये था। केवल यह कह देने से कि नैतिक उत्थान होगा मुझे राहत नहीं मिलती। नैतिक उत्थान होता है जब दिल व दिमाग की सफाई होती है, जब कथनी और करनी में एकता होती है। वह आदमी और वह सरकार क्या नैतिकता का उत्थान करेगी जो रात दिन निहत्थे मानवों पर गोली चलाती है, बरबरता के साथ गोली चलाती है और यहां गोवध बन्द कराने का विधेयक लाकर श्रेय लेना चाहती है। एक तरफ शांति चिल्लाती है। तो शांति का काम करो। रात दिन शांति का नाम जपते फिरो और गोली चलाओ और फिर उस गोली को छिपाने के लिये दूसरी प्रकार के नारे लगाओ, यह कहां तक शोभनीय है ?

श्रीमन्, मैं इस सदन से कहना चाहता हूं कि इस सदन में बहुत लोग उठे। बड़ी लम्बी चौड़ी बातें हुई, मारेलिटी की बातें हुई कि हमारी बड़ी नैतिकता है। लेकिन जब हम शांति की बात कहें तो हम निहत्थों पर गोली नहीं चला सकते .....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य विधेयक पर ही कहें। इधर-उधर की बातें न कहें।

श्री राजनारायण—ठीक है, उसको मैं सुधार लेता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं। श्रीमन्, कि अगर सही मानों में हम नैतिकता को बढ़ाना चाहते हैं, हम यह समझते हैं कि यह गोमाता गोमाता है, तो सही माने में गो मांस का बेचना और बनाना वर्जित होना चाहिये। क्या सरकार के पास जवाब है कि गो माता, गो माता नहीं है, जननी नहीं है, इस समाज की, सारे संसार की ? यदि गो जननी है तो अपनी जननी के मांस को बनवाना और बेचवाना, चाहे वह हवाई जहाज हो, या ट्रेन की यात्रा हो, इसकी कोई व्यवस्था नहीं कर सकता है। अगर करता है तो उसकी कथनी और करनी में विशाल अन्तर है। ऐसी कथनी और करनी वाली सरकार के लिये फिर इससे ज्यादा क्या लज्जा की बात हो सकती है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि एक तरफ सफाई होनी चाहिये। हां, अगर जितने उपयोगी पशु हैं उनको आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने की बात है, उसमें गौवों की भी बात है, उसकी भी सफाई होनी चाहिये। जरूर उनका संगठन होना चाहिये और सरकारी पक्ष के लोगों से मैं निहायत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि वह भावनाओं से खेलने की कोशिश न करें। निश्चित रूप में मैं कह सकता हूं कि यह भावनाओं से खेला जा रहा है। आज जिस रूप में यह विधेयक प्रस्तुत है, यह एक समुदाय की भावना से खेलना है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी धारायें कुछ दूसरे रूप से बदलतीं, उसमें कुछ तथ्य, वजन और ताकत होती और वह क्या होती। बार-बार मैंने इस सदन में कहा कि गोरक्षा कैसे होगी ? इनसान के खाने के लिये दाने की कमी हो, वह इंसान जो अपने पेट का पालन नहीं कर सकता है तो क्या गौवों की रक्षा करेगा ? वह क्या दूसरे इन्सान की भी रक्षा कर सकता है ? फिर मानव भक्षण की व्यवस्था के स्वरूप को इस प्रदेश में कायम करके गोरक्षा विधेयक लाकर भावनाओं को उभारना कोई शोभनीय बात नहीं होती है। मैं जानना चाहता हूं कि एक विधेयक नहीं ऐसे दस विधेयक आयें, वह इतना काम नहीं कर सकते हैं जैसा समुचित रूप से जमीन का बटवारा करने से हो सकता है, समुचित रूप से भूमि की व्यवस्था कर देने से हो सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस विधेयक के रचयिताओं से, जो इसके प्रणेता हैं, जो इसके बानी और मुवानी पेश करने वाले हैं कि कितनी गोशालायें प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत बनवाई गयीं, जैसा कि रिपोर्ट में है ? नगण्य है। नहीं बनीं और तिस पर यह कहते हैं कि हम बड़े भारी रक्षक हैं और दूसरे लोग जो सुझाव देते हैं उस पर हंसी और मजाक करते हैं।

फिर श्रीमन्, राज्य सरकार, यह सरकार उस प्रदेश में कितने समय से शासन कर रही है सन् १९४६ से एक तरह से क्रमबद्ध आ रही है। लेकिन अब ५५ हो रहा है, वह भी पूरा होने जा रहा है, बार-बार इस सरकार के सामने गो-रक्षा की बात तथा जितने उपयोगी पशु

हैं उनकी हिफाजत की बात थी। आज भी इस विधेयक की जो धारायें हैं उनमें है कि राज्य सरकार अथवा स्थानिक अधिकारी, जैसी भी दशा हो, संस्थाओं में अलाभकर गायों को रखने के निमित्त ऐसा परिव्यय अथवा शुल्क आदेय कर सकती हैं, जो नियत किया जाय। पहले इसी बात पर सदन में अच्छी तरह से विचार होना चाहिये। भावों को उभाड़ कर कहा जा सकता है कि गो माता की रक्षा के लिये कौन ऐसा नालायक है, जो एक रुपया चन्दा न दे दे। जरूर दिया जाना चाहिये। मैं दावे के साथ कहता हूं, सलाह के रूप में भी कहता हूं कि गो रक्षा के लिये जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास दान करने की शक्ति हो करें। किस को दान करेंगे, कौन टैक्स लगायेगा, किस पर टैक्स लगेगा? उस पर टैक्स लगेगा जो अपने जीवन के साधनों से वंचित है, जिसका जीवन शरीर को पूरा ढक न पा सकने के कारण तड़पते-तड़पते मर जाता है। जो अपने जीवन की रक्षा कर सकने में असमर्थ है उसके ऊपर टैक्स लगेगा? क्या होगी रक्षा उससे? जिस तरह से आपने देखा होगा कि शारदा कानून बन गया है लेकिन उसकी अवहेलना प्रतिदिन होती रहती है। जिस तरह से आपने देखा है कि बेदखली बन्दी का कानून इस उत्तर-प्रदेशीय सरकार द्वारा बना हुआ है मगर प्रतिदिन बेदखली होती चली जा रही है। जैसा कि श्रीमन्, अभी कल ही मिर्जापुर जिले से मैं आया। इस सरकार ने मुझे जवाब दिया था कि वहां मुसाहिर जो लकड़ी काट कर अपना जीवन व्यतीत करते थे उन्हें लकड़ी काटने पर कोई रोक नहीं है। एक फटे हाल मुसाहिर सामने आया और कहा मुझे लकड़ी नहीं काटने दी जाती, मुझे मजबूर किया जाता है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---प्वाइन्ट आफ आर्डर। प्रस्तुत विधेयक के विषय के बाहर की बातें यहां पर हो रही हैं।

श्री राजनारायण---This is the duty of the Chairman.

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य विधेयक के सिलसिले में ही बातें कहें।

श्री राजनारायण---उसी पर आ रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस विधेयक के अन्दर इन खामियों को पूरा नहीं किया जायगा तो यह विधेयक भी कहने के लिए जनता के बीच में कि सरकार तो गो रक्षा करना चाहती है, उसने तो कानून भी बना रखा है मगर पब्लिक नहीं मानती है, पब्लिक की नैतिकता इतने नीचे स्तर की है तो सरकार क्या करे? मैं उनसे कहना चाहता हूं, श्रीमन्, जिन्होंने यह कहा था कि इस विधेयक के द्वारा नैतिकता का उत्थान होगा। मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के जरिये जो इसमें दोष, कमियां और त्रुटियां रह गयी हैं, नैतिकता का पतन होगा और यही सरकार ऐसे लोगों को लायसेंस दिलवायेगी अपने स्थानीय प्राधिकारियों के द्वारा जो इस सरकार की जी हुजूरी करेंगे। उनके द्वारा यह सरकार गो मांस बिकवायेगी। ट्रेनों में यात्रियों के नाम पर, हवाई जहाजों में सर्व (serve) करने के नाम पर। इस बात की इस विधेयक के अन्दर गुन्जाइश है।

फिर इन तमाम बातों के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि रोग से पीड़ित जो गायें हों उनका बध करने की व्यवस्था सरकार ने इस विधेयक में रखी है। मगर उन रोगों को दूर करने की व्यवस्था क्या है? वे रोग दूर कैसे होंगे? श्रीमन्, मैं फिर अपने उस शक व शुबहे को जो बराबर सही साबित हुआ है बताना चाहता हूं कि न मालूम कितनी गायें काटी जायंगी, साधारण तरीके से उनको रोगी की श्रेणी में रखकर। इसी सरकार के अधिकारी बतायेंगे कि हां, वह गऊ फलाने रोग से पीड़ित थी इसलिये उसको काटने की इजाजत दे दी गयी है। श्रीमन्, ये ऐसी-ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर विस्तृत विचार होना चाहिये और फिर अच्छी तरह से, पौष्टिक तरीके से इस सदन में एक ऐसा सुन्दर विधेयक आना चाहिये जिससे कि इस विधेयक के लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद ४८ के मातहत राज्य सरकार का जो कर्तव्य है, राज्य सरकार इस विधेयक के जरिये अपने इस कर्तव्य का पालन नहीं करा सकती बल्कि वह तो एक दिखावटी ढंग खड़ा करेगी और उसके जरिये सही माने में रक्षा नहीं हो सकेगी बल्कि.....

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

[श्री राजनारायण]

राज्य सरकार जो विभिन्न साधनों को अप हाथ में लेकर जनता के सुख और समृद्धि को हरण करते हुये जनता की सुरक्षा करती थी वही साधन इस विधेयक के जरिये सरकार के हाथ में चले जायेंगे। इसलिये मैं श्रीमन्, आपके द्वारा निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यदि सरकार सही माने में तहेदिल से उद्देश्य और कारणों को जो यह विधेयक प्रस्तुत करता है, सही माने में पालन कराना चाहती है, पूर्ति कराना चाहती है, तो इस विधेयक को दूसरे रूप में आना पड़ेगा। इसके दूसरे रूप में इसकी पूर्ति की जा सकती है। लेकिन जिस रूप में यह विधेयक है उस रूप में इसकी पूर्ति होना हमारी दृष्टि में नामुमकिन है। इसलिये मैं इन तमाम बातों को माननीय मंत्री जी की सेवा में निवेदन करते हुये अपने सम्मानित साथियों को पुनः प्रार्थना के रूप में निवेदन करते हुये और सुझाव देते हुये कहूंगा कि यह बड़ा गम्भीर विषय है और इस पर गम्भीरता के साथ विवाद होना चाहिये और भावुकता को उभाड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिये और ऐसी बातें नहीं आनी चाहिये जिनसे हिन्दू मुसलमानों की भावना जागे।

आज भी निश्चित रूप में बहुत से मेरे भाई हैं और बाहर भी हैं, जो बराबर डंके की चोट पर कहते हैं कि कौन मुसलमान गो वध कर रहा है? कहां उनकी क्षमता है, कहां उनकी शक्ति है और हर जगह म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, वह भी अपने यहां कानून और कायदे बनाकर इसको रोक रहे हैं वर्जित कर रहे हैं ऐसी बातें हैं। इसलिये यह नहीं कहा जाना चाहिये कि यदि यह विधेयक पास हो जायगा तो मुसलमान सुख सुविधा की अनुभूति करेगा और हिन्दू कर रहा है। ऐसी बात क्यों प्रदर्शित हो क्योंकि इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में साफ लिखा हुआ है कि पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करना। इसका कौन मुसलमान विरोधी है, कौन हिन्दू विरोधी है? और फिर इन बातों को यहां रखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है।

मैं श्रीमन्, इस बात को साफ कर देना चाहता हूं ताकि सम्मानित सदस्यों के दिमाग में कोई गलतफहमी या भ्रम न रह जाय कि जो विधेयक है, उनके जो उद्देश्य और कारण हैं उनके हम विरोधी नहीं हैं, हम तो विधेयक के विरोधी हैं, उसके उद्देश्य और कारणों के तो समर्थक हैं तहेदिल से, और हम कहना चाहते हैं कि इन उद्देश्य और कारणों की पूर्ति के लिये इससे बढ़िया विधेयक मौका मिलने पर सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।

दूसरी बात मैं आपके द्वारा यह कह देना चाहता हूं कि सरकार के दत्तचित्त और कर्त्तव्यनिष्ठ होने के बारे में मुझे कोई मुगालता नहीं है, जिस तरह से प्राचीन भारत में गो माता, गो जननी की प्रतिष्ठा थी और गो मूत्र तथा उसके गोबर से दवाइयां तैयार करते थे, वह इज्जत जब हमारी गाय की थी तो आपको मालूम होगा कि उस समय कोई विधेयक नहीं था। मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि अगर हम सही माने में अच्छे तरीके से समाज का निर्माण करें और प्रत्येक प्राणी की सुख सुविधा का ध्यान रखें और प्रत्येक पशु की सुख सुविधा के आगे समाज के सुख को तिलांजलि न दें तो इस विधेयक के बिना भी गो की रक्षा हो सकती है। उनके खाने की व्यवस्था हो, उनके रहने की व्यवस्था हो, उनके रोग दूर करने की व्यवस्था हो और जब मनुष्य के लिये वह हितकारी न रह जाय और लाभकारी न रह जाय तो उस समय भी उनके रहने की व्यवस्था हो तो फिर आप देखेंगे कि कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं होगी और अगर यही विधेयक रहा तो किसी पशु को चारे की कमी होगी और किसी पशु को उसके नाकारा होने पर रहने की कमी होगी। इस विधेयक में जो कमियां हैं, जो इस विधेयक की धारायें हैं कि ट्रेन में चलने वाले और हवाई जहाज पर सफर करने वालों के लिये इसका प्रबन्ध रहेगा और इनके लिये पशु वध होगा और इन धाराओं के अन्दर नियम उपनियम बनाये जायेंगे तो सरकारी कर्मचारी दत्तचित्तता और कर्त्तव्यनिष्ठा तथा कर्मण्यता की हीनता के कारण ऐसा अवसर देते रहेंगे।

इसलिये मैं सरकार से इस बात का निवेदन करूंगा कि यदि यह विधेयक सरकार रखती हो तो रखे और इस विधेयक से जो प्रचार का कार्य हो सरकार वह करे, लेकिन इसके साथ-साथ

में सरकार से यह भी कहूंगा कि यह विधेयक कारगर नहीं हो पायेगा अगर जो हमने जमीन के बटवारे की बात, गोशाला खोलने की बात और जो जानवरों के लिये चारे की व्यवस्था करने की बात कहीं, यदि सरकार उसको नहीं मानती है । इन शब्दों के साथ मैं सरकार से पुन: निवेदन करूंगा कि इस विधेयक में जो संशोधन, परिवर्तन और परिमार्जन करना हो उसको करे तभी यह ठीक होगा। बढ़िया तरीके से परिवर्तन करके इस सदन में वह प्रस्तुत करे, जिससे वांछित उद्देश्य की समुचित पूर्ति हो सके ।

श्री नारायणदास (जिला फैजाबाद)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह गोमाता जो है आज से नहीं किन्तु अनादिकाल से हमारे इस भारत भूमि के मनुष्यों के लिये एक आदर्श पशु रही है और यहां के उन ऋषि, मुनियों ने जिनके शब्दों के ऊपर आज संसार चलने की कोशिश कर रहा है, वह इसी गोमाता के दुग्ध को पीकर विचार किया करते थे और अपने जीवन को केवल गो-दुग्ध पर ही पूरा कर देते थे । उन विचारवान पुरुषों ने भारतवर्ष के लिये ही नहीं बल्कि सारे विश्व के लिये जो शब्द कहे हैं वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उन्होंने कहा है कि--

"मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् । आत्मवत् सर्वभूतेषु.....।"

मानव समाज के लिये यह तीन उसूल उन्होंने रक्खे । एक तो यह कि दूसरों की स्त्रियां अपनी मातायें हैं, दूसरा यह कि दूसरे का धन जो है वह पत्थर के समान है और तीसरा यह कि संसार के जितने भी जीव हैं वह अपनी आत्मा के समान हैं । साथ ही कुछ आदर्श उन्होंने यह भी रखा कि खान-पान में सही व्यवहार मनुष्य के लिये क्या होना चाहिये । उन्होंने कहा कि:--

यक्ष रक्षा: पिशाचान्नम् मद्यं, मांसं सुरा-त्यिवम् ।
सुरा वय मल मन्नानाम् पाप्मा च मलमुच्यते ।।

यह भी उन्होंने बतलाया। वे सत्य और अहिंसा का आश्रय लेकर आगे बढ़ते हैं। हमारे इस गांधी युग में जिस वक्त हमारा देश आजाद हुआ और पाकिस्तान सहित हुआ, वह सब पूज्य बापू के बतलाये हुये सत्य अहिन्सा के रास्ते पर चलकर ही हमने पाया है । उसी के ऊपर हमारा संविधान बना है । जो श्लोक मैंने बतलाये हैं उनके अन्तर्गत ही हमारा संविधान बना है । आज उस संविधान के अन्दर चाहे स्त्री हो या पुरुष और चाहे गुलाम हो या जिसको अछूत कहते हैं वह, उन सबको समान अधिकार दिये गये हैं । उसके अन्दर हमारी संस्कृति की भावना भरी हुई है । पशु-पक्षियों, जलचर जीवों, कच्छ-मत्स्य, वाराह, महिषासुर, नन्दीश्वर, नरसिंह, गरुड़, जटायु आदि इन सब जीवों को हमारे यहां कितना महत्व दिया गया है यह सब सोचने की बात है । ऐसी स्थिति में ही जो हमारा यह संविधान बना है, उसमें यह धारा ४८ रखी गयी जिसको मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं वह धारा कई बार यहां पढ़ी जा चुकी है । उसके पढ़ने की जरूरत नहीं है ।

श्री नारायणदास---इसके अन्दर यह साफ लिखा हुआ है कि जितने भी दुधारू जानवर हैं उनके जीवन की रक्षा की जायगी, उनकी उन्नति की जायगी और उनके वध का निषेध किया जायगा । आज मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जो इस धारा के अन्तर्गत पहले पहल गोवंश के वध को निषेध करने के लिये यहां पर विधेयक लाये हैं, लेकिन यह और भी अच्छा होता अगर इसके साथ ठाकुर साहब भैंस वंश वध और उपयोगी पशुवध को भी रोक देते । चाहे वह उसे बाद में लावें, लेकिन हमारा विश्वास है कि जो-जो कदम वे उठाते रहे हैं, चाहे वह जमींदारी अबालीशन का हो, चाहे गोवंश की रक्षा का हो, वे आगे बढ़े हैं और हमें पूरी आशा है कि उन्हीं के हाथ से भैंस वंश के लिये तथा उपयोगी पशुओं के वध को रोकने का बिल पेश होगा । गोवंश केवल हिन्दुओं का ही नहीं बल्कि समस्त संसार का गोधन है । एक समय की बात है कि परशुरामजी के पिता यमदग्नि ऋषि के गोधन का हरण कर लिया गया और परशुराम जी ने उन्हें मरा हुआ पाया । उस समय उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि "पासिन, पशून् पाहि"

[श्री नारायणदास]

पशुओं की रक्षा करो, इस समय यही हमारा धर्म है। नतीजा यह हुआ कि १०० वर्ष तक युद्ध होता रहा और उसमें सहस्त्रार्जुन सेना सहित मारा गया और गोवंश की रक्षा न हुई। कृष्ण और अर्जुन का वैसा ही साथ था जैसा राम और लक्ष्मण का रहा था। अर्जुन ने भी गोवंश की रक्षा के लिये १ वर्ष के लिये वन में जाना स्वीकार किया। मुगलकाल में भी आता है कि अकबर के जमाने में गोवध बन्द किया गया था और यह आईने अकबरी में लिखा है। थोड़े दिन की बात है कि पाकिस्तान के एक बड़े नेता, जिन्हें फीरोजखां नून साहब कहा जाता है, उन्होंने कहा कि ऐ पाकिस्तान के लोगों अगर तुम भैंस और गाय को काटना बन्द नहीं करोगे तो तुम्हारा पतन होगा, क्योंकि तुम्हें दूध नहीं मिलेगा। अगर अब भी कोई यह कहता है कि यह बिल साम्प्रदायिक भावना से लाया गया है तो यह गलत है। इस बिल को पहले ही आ जाना चाहिये था क्योंकि गोवंश हमारा अमूल्य धन है। गोवंश को कांग्रेस पार्टी ने इतना महत्व दिया है कि उसने अपने चुनाव चिन्ह में दो बैलों को रखा है जो किसानों की खेती के लिये सबसे बड़ी महत्व की चीज है। आज हमारे यहां अमरीका से दूध आकर हमारे बच्चों को बांटा जाय, यह हमारे लिये शर्म की बात है। हम कहा करते थे कि भारतवर्ष में दूध की नदियां बहा करती थीं, मगर आज वैसी बात नहीं है। हमें उसी लक्ष्य पर पहुंचना है और यह देखना है कि हमारे देश से बाहर को भी दूध जावे। यह तभी हो सकता है जब पशुओं की रक्षा की जाय और उनकी उन्नति की जाय। मेरे ख्याल में हमारे जो माननीय विधायक गण यहां मौजूद हैं शायद ही कोई उनमें से ऐसा हो जिसे गाय का दूध मिलता हो। नहीं तो ९० फीसदी को भैंस का ही दूध मिलता है। अगर भैंसों का दूध न रोका गया तो यह भी मिलना बन्द हो जायगा। भैंस का बच्चा भी उतना ही काम देता है जितना गाय का, वह भी हल खींचता है और बोझा खींचता है। भैंस गाय से दोगुना दूध देती है। आर्थिक दृष्टि से भैंस वंश भी गोवंश के बराबर ही आता है। डाक्टरों ने इस बात को क़बूल किया है कि भैंस वंश के मांस को खाने से मनुष्य का खून खराब होकर कोढ़ हो जाता है इससे अच्छे मुसलमान लोग कभी गाय या भैंस का मांस नहीं खाते हैं मगर गरीब लोग खाते हैं और उन्हें तरह-तरह की बीमारियां हो जाती हैं। भैंस वंश के वध को रोकना भी बहुत जरूरी है। म चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्यगण इस पर गम्भीरता से विचार करें। यह सही है कि अगर आप गोवंश के वध का निषेध करना चाहते हैं तो बिल के अन्दर कोई ऐसी धारा नहीं रहनी चाहिये, जिसमें कोई यह कह सके कि लूली-लंगड़ी गाय काटी जावेगी या बाहर से गो मांस आ जायगा। ट्रेन या हवाई जहाजों पर इस्तेमाल में आवेगा यह चीज इतनी अनुपयुक्त है कि इसे निकाल ही देना चाहिये। आज समय भारत के हाथ में है। हमें किसी चीज को भावना में बहकर नहीं करना चाहिये। आज सारा संसार हमारे सत्य और अहिंसा की ओर देखता है। भारत के पास वह नैतिक बल है कि रूस और अमरीका जैसे बड़े-बड़े देशों को लड़ने से रोक रखा है और ये देश हमारी कीर्ति की ओर देखते हैं। हमारा पशुधन इतना महत्व का है कि यह हमें काफी उन्नति दे सकता है और यदि हम इस की रक्षा नहीं करेंगे तो हम भी अपने पशुधन के साथ अवनति की ओर ही जावेंगे। इसलिये हम सबका कर्त्तव्य है कि अपने पशुधन की रक्षा करें और उसे उन्नत करें।

इन शब्दों के साथ मैं फिर अपने मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह बिल लाकर उत्तर प्रदेश की जनता की बहुत बड़ी भावना और इच्छा पूरी की है। मैं चाहता हूं कि आगे भी वह अपना क़दम बढ़ावें। चाहे यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जावे या ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में जावे अगर धारा ४८ वाली बात इसमें आ सकती है तो इससे हमारे देश की जनता बहुत प्रसन्न होगी और संविधान की मान रक्षा होगी।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)---माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मुझे यह निवेदन करना है कि माननीय मंत्री जी को मैं बधाई तो नहीं दूंगा, क्योंकि उनको आज इतनी बधाई दे दी गई है कि मंत्री जी के लिये कई दिनों के वास्ते काफी होगी। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन के लिये इस विधेयक को पास करने में इस देश में

और इस प्रदेश में यह इम्प्रेशन नहीं डालना चाहिये कि यह किसी रिलीजस सेंटीमेंट से प्रभावित होकर किया है और मुझे खुशी है कि जो बिल इस सदन के सामने है उसमें इस बात का ख्याल जरूर रखा गया है और किसी भी तरीके से कोई भी इसके लिये यह नहीं कह सकता कि यह बिल किसी रिलीजस सेंटीमेंट से प्रेरित होकर आया है। जो भी हमने रक्खा है वह सब अक्ल के साथ, सोच-विचार कर किया है। इसमें जो सेक्शन ४ है उसके जो सब सेक्शन (क) और (ख) हैं उनसे साफ तौर पर यह प्रतीत होता है कि उसके बनाने में कोई रिलीजस सेंटीमेंट नहीं है। हमारे कांस्टीट्यूशन में यह लिखा हुआ है कि हमारी सरकार एक सेक्यूलर गवर्नमेंट है, इसीलिए यहां जो भी स्पीचेज हों उनसे यह मालूम न होना चाहिये कि हमने यह कानून इसलिये पेश कर दिया कि चूंकि इसके बारे में सत्याग्रह हुआ था और उस सत्याग्रह की रौ में बहकर यह पेश कर दिया, उसी इम्प्रेशन को दूर करने के लिये मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल हमने यहां किसी भी सेंटीमेंट के अधीन होकर पेश नहीं किया है, बल्कि अक्ल और दिमाग के साथ किया है।

लेकिन इसके हाथ ही साथ में एक चीज और पेश करना चाहता हूं और वह यह कि यह सही है कि लेजिस्लेटर होने के नाते हम किसी कानून को इस सेंटीमेंट में पेश नहीं कर सकते कि रिलीजस सेंटीमेंट्स के कारण उसको पेश किया जाये। लेकिन यह जरूर सोच सकते हैं कि उसके बारे में जनता के सेंटीमेंट्स क्या हैं और हमें उन सेंटीमेंट्स का ख्याल रखना है। क्योंकि प्रत्येक गवर्नमेंट के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि यह रिआया के सेंटीमेंट्स का ख्याल रक्खे। अगर कोई गवर्नमेंट अपनी रिआया के सेंटिमेंट्स का ख्याल नहीं करती तो वह उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। अब नेशनल फ्लैग को ही ले लीजिये। अगर ऊपर से देखा जाय तो उसमें क्या है। एक कपड़े का टुकड़ा, तीन रंग से रंगा हुआ, बीच में चक्र बना हुआ। एक कपड़ा, तीन रंग, सूत का धागा, बस यही सब कुछ। लेकिन उसको सेंटीमेंट्स के कारण हम इतना महत्व देते हैं कि अगर उसकी तरफ कोई आंख उठा कर भी देखता है तो भारत के निवासी उसको मारने के लिये, उस पर मरने के लिये तैयार हो जाते हैं और सैकड़ों की लाशें गिर जाती हैं। तो सेंटीमेंट्स की बात इतनी तीव्र होती है। अतः हर गवर्नमेंट के लिये यह आवश्यक है कि वह अपनी प्रजा के सेंटीमेंट्स का ख्याल रक्खे। मान लिया जाय कि वह सेंटीमेंट्स गलत ही हो, लेकिन अगर वह गवर्नमेंट उसका प्रतिनिधित्व करती है तो उसका उसको ख्याल रखना होगा। यह कहना कि किसी गवर्नमेंट को इन बातों में नहीं पड़ना चाहिये तो उसका जवाब यही है कि वे सेंटीमेंट्स किसी न किसी कारण से तो होते ही हैं, किसी न किसी चीज पर ही निर्धारित होते हैं। एक सेंटीमेंट तो वह होता है जो गलत आधार पर मबनी होता है, लेकिन दूसरा अक्ल और दिमाग पर अवलंबित होता है। एक सेंटीमेंट यह होता है कि पीपल के दरख्त पर भूत रहता है इसलिये उसको नहीं काटना चाहिये। यह भी एक सेंटीमेंट है जो गलत है, लेकिन एक सेंटीमेंट ऐसा होता है जो उसूल पर निर्भर करता है और उसे हमें अवश्य मानना चाहिये। जो सेंटीमेंट गो के प्रति है वह ऐसा ही अक्ल और दिमाग के ऊपर निर्भर है। उसका आधार, बेसिस रिलीजन नहीं है अक्ल और दिमाग ही है। अतः इसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिये। अगर हम इस कानून को पास कर देते हैं और इसके द्वारा गोवध का निषेध कर देते हैं तो हम उसके द्वारा दूध की समस्या को हल कर देते हैं, ऐग्रीकल्चर की समस्या को हल कर देते हैं, दूध और ऐग्रीकल्चर का डेवलेपमेंट करते हैं। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिन पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस सेंटीमेंट के पीछे अक्ल और दिमाग लगा हुआ है इसलिये इसको स्वीकार करना चाहिये। यदि इसके विरुद्ध कोई बात होती तो हम इसको नहीं मानते।

[श्री नौरंगलाल]

इसके पश्चात् मैं माननीय मंत्री जी से दो तीन बातें इस विधेयक के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि इस विधेयक के सेक्शन ५ में एक अपवाद दिया हुआ है। उस अपवाद में यह है कि कोई भी शख्स वायुयान पर या रेलवे पर गो मांस बेंच सकता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी कि यह गलती कैसे रह गयी। आखिर इस अपवाद को इस ऐक्ट के साथ कैसे मिलाया जायगा? एक तरफ तो हम गो मांस पर प्रतिबन्ध लगाते हैं कि कोई गो मांस नहीं बेंच सकता है, न ला सकता है, न ले जा सकता है। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि कोई शख्स वायुयान पर या रेलवे पर गो मांस कैसे बेंच सकेगा। गो मांस में डिब्बे वाला मांस नहीं है, केवल वही गो मांस माना जायगा जो काटा जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हवाई जहाज या रेलवे पर गो मांस का बेचना किस तरह से ठीक हो सकता है, क्योंकि रेलवे तो बड़ी चीज है। कोई शख्स कह सकता है कि यह यहां की गाय का मांस नहीं है। हो सकता है कि पाकिस्तान से गाय काट कर उसका मांस हिन्दुस्तान में आवे या अफगानिस्तान से काट कर आवे और इस तरह से बेचने वाला कह सकता है कि यह यहां की गाय का मांस नहीं है, बल्कि बाहर का है इसलिये मैं इसको बेचूंगा। तो ऐसी हालत में यह चीज बड़ी गलत सी मालूम होती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सेक्शन ५ में जो अपवाद रखा हुआ है उसको बिल्कुल ही निकाल दिया जाय, क्योंकि वह इस ऐक्ट के उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत पड़ता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी के नोटिस में इस अपवाद को लाना चाहता हूं तथा उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको निकाल दें। ताकि जो विधेयक का असली मंशा है वह पूरा हो सके। इससे तो एक बड़ी गलत पोजीशन हो जायगी।

इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को पास करने के बाद ही हमको मजबूर होना पड़ेगा कि हम कोई कम्पलिमेंटरी ऐक्ट पास करें, क्योंकि हमारे सामने जो एक समस्या उत्पन्न होगी वह यह कि यह ऐक्ट जो पास किया जा रहा है वह तो सिर्फ मिल्क काउज के लिये ही है, लेकिन जो लूली-लंगड़ी गायें हैं उनको लोग एक प्रकार से मारना शुरू कर देंगे। बहुत से लोग बुड्ढी गायों को या कमजोर गायों को जो दूध नहीं देंगी उनको चारा नहीं देंगे, क्योंकि वे उसको छोड़ नहीं सकेंगे। तो इस तरह से चारे की कमी से वे धीरे-धीरे मर जायेंगी। क्योंकि मृत्यु दो तरह की होती है, एक तो स्लाटरिंग और दूसरी धीरे-धीरे भूखों मारना। ऐक्ट में तलवार व गंडासे से मारने पर रोक है, लेकिन इस तरह से जो लोग धीरे-धीरे गायों को भूखों रख कर, अपने खूंटों पर बांध-बांध कर मारेंगे उनके लिये इस ऐक्ट में कोई इलाज नहीं है। इसलिये हमको इस तरह का कुछ प्रबन्ध करना पड़ेगा कि ऐसे लोग जो अपनी गायों को अपने खूंटे पर बांध कर भूखे मारते हों वे गोशाला या गोसदन में उनको पहुंचा दें और उनसे पेनाल्टी के तौर पर कुछ ले लिया जाय। अगर उनके लिये कुछ जुर्माना रख दिया जाय तो इससे गोवंश का नाश होना रुक जायगा।

इसके साथ ही साथ दो कैटल और हैं जैसे गोट और भैंस। इनके सम्बन्ध में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनके लिये भी ऐक्ट में कोई न कोई प्रबन्ध होना चाहिये, ताकि उनका कटना रुक जाय। मिल्क काऊ के लिये तो इसमें कहा गया है लेकिन इनके लिये कुछ नहीं किया गया है। इस सारे प्रश्न को जब हम एकनामिक दृष्टि से देखते हैं तो हमें उनको भी इसी ग्राउन्ड पर प्रोटेक्शन देना होगा, उनकी भी रक्षा करनी होगी, जिनसे हमें दूध और मक्खन मिलता है। हमें हर हालत में उनकी हिफाजत करनी है और जो कहीं कहीं अनअथराइज्ड स्लाटर कानून बनने पर भी अगर होता है तो उसके लिये हमें इस कानून में प्रबन्ध करना होगा। अगर हम आज पूरे तौर से इसको रोकने के लिए कानून नहीं लाते हैं तो आज नहीं तो कल

और कल नहीं तो परसों, इसका इन्तजाम हमें करना होगा, क्योंकि अब जब गाय का कटना बन्द होता है तो उनका भी नम्बर आ ही जायगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें देखना चाहिये कि हमारे देश के पशु एक एकनामिक समस्या हैं, यह बैल या गाय की समस्या नहीं है। मेरा ऐसा ख्याल है कि केवल कानून पास करने से ही कोई समस्या हल नहीं होती है। हम कोई कानून पास करते हैं, लेकिन उस कानून को अमल में लाने के लिये जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलती तब तक वह कानून कामयाब नहीं हो सकता। हमारे प्रान्त में बहुत दिन से म्यूनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ने इस तरह का बैन गोवध पर लगा रखा था, मेरे ख्याल से सभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्युनिसिपल बोर्ड्स में करीब-करीब गोवध पर बैन है परन्तु गायें कटती हैं। अब तक पुलिस वाले गोवध करने वालों को पकड़ नहीं सकते थे, लेकिन अब उनको अधिकार मिलता है कि वह जहां गोवध हो उसको पकड़ सकते हैं। अब यह कागनिजिबिल जुर्म हो गया है। अब देखिये क्या होता है। लेकिन यह कानून होने पर भी और पुलिस को शक्ति देने के बाद भी अगर हम पब्लिक ओपीनियन को जागृत नहीं करते तब तक हम कहीं भी किसी भी कानून को नहीं चला सकते, गांव-गांव में हमें इस सम्बन्ध में पब्लिक ही अधिक सहयोग दे सकती है। इसमें भी हमें कामयाबी तभी मिल सकती है जब हर गांव में पब्लिक में रियल सेन्टीमेंट्स जागृत हों। लेकिन हमें इस सवाल को एकनामिक आस्पेक्ट से ही देखना है कि जो हमारे बूढ़े जानवर होंगे उनके खाने का क्या प्रबन्ध होगा या उनको हम खूंटे पर मर जाने दें, स्लो स्टारवेशन करावें ?

हमारे पास अभी तक ऐसे साधन नहीं हैं कि जिनसे हम जानवरों की रक्षा कर सकें। जानवरों की तो क्या अभी तक हमारे यहां पूअर हाउसेज तक नहीं हैं, आदमी सड़क पर पड़े मर रहे हैं गाय, भैंसों के बारे में तो बाद में ही सोचा जा सकता है। अस्तु हमें त्याग करना है, सैक्रेफाइस करना है, लेकिन अगर हम कोरे किसी सेन्टीमेंट पर ही अपना मकान बनाना चाहते हैं तो वह ढह जायगा, वह टिक नहीं सकता। मेरे कहने का मन्शा यह है कि हमें अपने उपयोगी जानवरों के लिये एक एकनामिक ग्राउन्ड पर प्रोटेक्शन देना है, उनकी हिफाजत करना है।

अब मेरे लिये कोई लम्बी चौड़ी स्पीच देने की जरूरत नहीं है। एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं। यह जो गायों का प्रश्न है और जो बैलों का प्रश्न है इसका हमारे प्रदेश में जो खेती की व्यवस्था है उससे बहुत सम्बन्ध है। इस बात को हमें न भुलाना चाहिए। मैंने उस दिन की माननीय चरणसिंह जी की स्पीच को सुना और जो बहस हुई उसको भी सुना कि हम स्माल होल्डिंग्ज में विंग फार्मिंग की बनिस्बत ज्यादा पैदा कर सकते हैं। ऐसा ही चीन में भी हुआ है और मेरी भी यही राय है। मेरे ख्याल से भी देश में स्माल होल्डिंग्स ही ज्यादा लाभ पहुंचा सकती हैं बनिस्बत लार्ज फार्मिंग के और इसी कारण से हमें मेशीन्स और ट्रैक्टर्स की तरफ ज्यादा ध्यान न देना चाहिए, क्योंकि इससे तो हमारे देश का कैपिटल विदेश चला जायगा। हमारे यहां के जो छोटे-छोटे ट्रैक्टर और मशीनें हैं जिनको हम गो बैल करते हैं हमें उन्हीं को उपयोग में लाना है। इसी में हमारा लाभ है। जिस तरह से गांधी जी ने कहा था कि हमें मिलों का कपड़ा प्रयोग करना नहीं है बल्कि हमें हैंड स्पन और हैंड वोवेन का ही इस्तेमाल करना है। इसलिये हमें स्माल होल्डिंग्ज की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए और इस तरीके को अपना कर गोवंश की रक्षा भी हम कर सकेंगे और उनको खाना भी दे सकेंगे और इस तरह से कोई भी कदम जो हम उनकी तरक्की के लिये उठाते हैं उसको हमें खुशामदेह कहना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इतने बड़े महत्वपूर्ण विषय पर उनका ध्यान गया है और आशा है कि जो थोड़ी बहुत कमियां या गलतियां इसमें हैं उनको भी वह आगे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे और अगर वह नहीं भी करेंगे तो उनको और सरकार को समय मजबूर कर देगा कि वह सप्लीमेंटरी ऐक्ट इसकेलिए लाएं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, इस बिल के लाने के लिये मैं माननीय मंत्री जी के ऊपर और अधिक बधाइयों का बोझ लादना नहीं चाहता, क्योंकि वह उनको काफी मिल चुकी हैं। यह सर्वमान्य है कि इस वक्त इसकी आवश्यकता थी, मांग थी। यह बिल आया यह बहुत अच्छा हुआ। मैं सब से पहले एक बात निवेदनकरना चाहता हूं कि अगर कोई चीज सही है और हम समझते हैं कि वह सामयिक है, उचित है, लेकिन क्योंकि वह किसी धर्म के अन्तर्गत आ जाती है तो उसके लिये किसी क्षमा याचना की आवश्यकता नहीं, जैसी इस सदन में प्रस्तुत की गई। अगर जीवदया किसी धर्म में है यानी जो मनुष्येतर प्राणी हैं उनके लिये भी अगर किसी धर्म में दया का समावेश है तो वह उसके लिये गौरव की बात है और दूसरों के लिये अनुकरणीय है। हमको किसी चीज के मेरिट्स के ऊपर विचार करना है और इस दृष्टि से नहीं कि यह किसी धर्म का अंग तो नहीं, जिससे कि सेकुलरिज्म पर आघात हो जाय। इस बिल के सम्बन्ध में मुझे यह अवश्य कहना है, जैसा कि हमारे मित्र नौरंगलाल जी ने भी कहा, कि यह उस सही दिशा में यानी जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हम प्रयत्नशील हैं केवल पहला कदम है। जिस वक्त यह बिल पास हो जायगा उस वक्त बहुत बड़ी जटिल समस्या हमारे सामने होगी। मैं समझता था कि जो देर सरकार को इस बिल के लाने में हो रही थी, उसमें भी कुछ यही कारण था कि समस्या का हल ढूंढ़ने में वह लगी हुई थी यानी जो ऐसे पशु होंगे जो कि अलाभकर हों या जो अपंगु हों उनके लिये क्या प्रबन्ध होगा? उस दिशा में कुछ प्रयत्न अवश्य किया गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि जितनी बड़ी समस्या है उसको देखते हुये यह नगण्य है और जब तक हम इसका समुचित प्रबन्ध नहीं करते तब तक हम कसाई के दुधारे से शायद गाय की रक्षा भले ही कर लें, लेकिन हम भूख की ज्वाला से उसकी रक्षा नहीं कर सकेंगे। आज तो देश में यही नहीं कि अलाभकर और अपंगु पशु ही पीड़ित हों, बहुत से ऐसे पशु भी हैं, जो दूध देते हैं, बछड़े भी देते हैं, लेकिन उनके मालिक उनसे सिवाय दूध लेने के और बछड़े लेने के और उनसे कोई सरोकार नहीं रखते। शहरों में लोग गायों को दूध दुहकर यों ही छोड़ देते हैं और उनको अपने भोजन का स्वयं प्रबन्ध करना पड़ता है। जब तक ऐसे व्यक्तियों के लिये दण्ड का प्रबन्ध नहीं किया जाता तब तक हम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। यह त्रुटि इस बिल में है। यह हमारे लिये बड़े दुःख की बात है धार्मिक भावना होते हुए भी हममें से बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं, जो कि उसको तलवार से न मारकर उसको तिल तिल मारते हैं। इसको रोकने के लिये भी हमें उपाय करना होगा और गोसदनों और गोशालाओं के खोलने के लिये भी हमें वृहद् परिमाण में प्रबन्ध करना होगा।

बहुत से लोगों के यहां गायें बेची नहीं जातीं, परन्तु उसका परिणाम यही होता है कि जो पैसा लगा सकते हैं वह डेयरी इत्यादि में हाथ नहीं डालते, क्योंकि जब गायें दूध देना बन्द कर देती हैं तो वह भार बन जाती हैं। जिसकी वजह से हमारे यहां डेयरी की इंडस्ट्री को क्षति पहुंच रही है। उसकी रक्षा के लिये भी गवर्नमेंट को बहुत जल्द ध्यान देना होगा और वह कानून जिनकी गो-संवर्द्धन कमेटी ने सिफारिश की है जल्दी पास करने होंगे और ऐसे गोसदनों की स्थापना करनी होगी, जहां पर अपंगु और अलाभकर पशु रह सकें।

जहां तक गाय की उपयोगिता का सवाल है वह तो एक शाकाहारी या कृषि प्रधान देश के लिये स्वयंसिद्ध है। अगर हमारे यहां ट्रैक्टरों से खेती होती तो हम शायद कभी के बरबाद हो गये होते। मुझे एक वैज्ञानिक ने ही बतलाया कि मनुष्य और उसके विज्ञान ने अब तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनाई है, जो प्रकृति की मशीन से ज्यादा रिटर्न दे सके यानी जितना चारा, जितनी कैलोरी और जितनी फ्यूल हम किसी लिविंग मशीन में डालते हैं वह जड़ मशीन से ज्यादा पावर हमको देती है। मशीन की उपयोगिता यह है कि वह ५०० या १,००० हार्स पावर को केन्द्रित कर सकती है

लेकिन उसके लिये जितना खर्च करना पड़ता है अगर हिसाब लगाया जाय तो जो प्रकृति की बनाई मशीनें हैं वह ज्यादा एकनामिक और लाभकर सिद्ध होती हैं। जैसी हमारी कृषि व्यवस्था है उस दृष्टि से हमारे लिये गाय, बैल बहुत उपयोगी हैं। हमको उनकी रक्षा करनी चाहिये।

बिल जो हमारे सामने प्रस्तुत है इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो अच्छी तरह से समझ में नहीं आती। हमने यह तो प्रतिबन्ध लगा दिया कि हमारे यहां गायें न मारी जायं और न उनका मांस बेचा जाय लेकिन इतनी गुंजायश छोड़ दी है कि सीलबन्द पात्रों में जो मांस बाहर से आये वह यहां बिक सकता है और लाया जा सकता है। उसका परिणाम संभवतः यह होगा कि हमारे आस-पास के देशों में जीवित पशुओं का निर्यात होने लगेगा और जैसे पहले कच्चा माल जाता था और मैन्युफेक्चर्ड गुड्स दूसरी शक्ल में चले आते थे उसी तरह जीवित जानवर जायंगे और मांस यहां आयेगा। अगर यह चीज रखनी है तो इससे हमारा आर्थिक नुकसान ही होने वाला है। आज भी बहुत से पशुओं का निर्यात इस प्रदेश से होता है, वह और अधिक बढ़ जायगा। यह तो ऐसा होगा जैसे मद्य निषेध की घोषणा कर दें और कह दें कि देश में शराब नहीं बनेगी लेकिन फारेन लिकर आ सकती है, बिक सकती है और उपयोग में आ सकती है तो इससे हम केवल अपनी आर्थिक क्षति करेंगे। उसी तरह से हम यह कहें कि गोवध तो यहां नहीं होगा लेकिन गोमांस का किसी न किसी रूप में यहां उपयोग किया जायगा, जैसा कि खंड ५ में कहा गया है, कि स्टेशनों पर गोमांस बिकेगा, तो यह अपने उद्देश्य का खंडन ही होगा। कौन इस बात का सर्टिफिकेट देगा और कौन इस बात को जा कर देखेगा कि यह वास्तविक यात्री है या नहीं जो स्टेशन के रेस्टोरेंट में खाने को बैठे हैं। अगर किसीको गोमांस खाना है तो उसे केवल एक स्टेशन से दूसरे का दो आने का टिकट लेकर रेस्टोरेंट में आकर बैठ जाना है और वह वास्तविक यात्री बन जायगा और गोमांस खा सकेगा। इस मसले पर हमें विचार करना है क्योंकि यह इस तरह की योजना समझ में नहीं आती।

मैं एक बात समझ सकता हूं कि हम अपने विचारों को दूसरों पर लादें और जो विदेशी हैं यानी इस देश का रहने वाला नहीं है, वह आता है और अपने उपभोग के लिये गोमांस लाता है तो हमें उसकी स्वतंत्रता का अपहरण नहीं करना चाहिये, लेकिन यहां खुले आम गोमांस बिके यह इस बिल के विरुद्ध जाता है। जो यात्री बाहर से आया है, अपने साथ लाया है और उसका वह उपयोग करता है क्योंकि वह उसके खाने का आदी है तो हमें उस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये, लेकिन जो यहां का रहने वाला है उसे यहां के नियम और कानून को मानना ही पड़ेगा।

जैसा मैंने कहा, यह जो हमारा बिल है यह एक पहला कदम है न केवल गो-रक्षा की दृष्टि से ही बल्कि और भी उद्देश्य से जिस पर कि राजनारायण जी ने व्यंग किया यानी नैतिक उत्थान की दृष्टि से। जीवों के प्रति दया की भावना हमारी जितनी बढ़ती जाय उतना ही अच्छा है। गांधी जी कहते थे कि गऊ दूसरे जीवों की प्रतिनिधि मात्र है। मुझे आशा है कि यही नहीं कि हम गऊ की केवल रक्षा करेंगे, बल्कि हम धीरे-धीरे जो और जीव हैं उनको भी इस तरह की हत्या से बचायेंगे। मुझे कम से कम यह आशा है और भरोसा है कि जो दृश्य मैंने और देशों में देखा है उसे देखने की यहां कभी नौबत नहीं आयेगी। मैंने लन्दन में बड़ी-बड़ी जगहों पर देखा है कि शो रूम्स में बड़े-बड़े शीशों में गायों और दूसरे जानवरों का मांस और उनके भीतर के अंशों का प्रदर्शन किया जाता है। कितनी उससे घृणा होती है और घृणा ही नहीं दिमाग में एक चीज आती है कि यह कैसी सभ्यता है जिसमें हम अपनी क्रूरता का भी प्रदर्शन पाते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारी दया-भावना उत्तरोत्तर बढ़ेगी और अन्य पशुओं की भी हम धीरे-धीरे रक्षा कर सकेंगे, तभी हम अपनी प्राचीन सभ्यता के प्रति वफादार हो सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस बिलका समर्थन करता हूं।

*श्री रामजीसहाय (जिला देवरिया)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक प्रस्तुत है हम इसे कह सकते हैं कि यह पूर्ण विवेकपूर्ण है। यह सही है कि जब हमारी माता हमें छोड़ देती है तो गोमाता इसके बाद आती है और स्थान ले लेती है। भले ही हमारे अर्थ शास्त्री और वैज्ञानिक लोग इस नतीजे पर पहुंचें कि ये वृद्ध माता पिता की कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन फिर भी मनुष्यता इसको कभी बरदाश्त नहीं करेगी।

जहां तक वैज्ञानिक दृष्टि कोण का प्रश्न है जरमनी में ढाई करोड़ गायें जितना दूध देती हैं, भारतवर्ष में २० करोड़ गायें देती हैं। इस तरह से हमें उसका विकास करना पड़ेगा। गायों की जो आज आर्थिक दशा है हमने देखा है कि एक आने में मिट्टी की गाय मिलती है। लेकिन अपने बाढ़ क्षेत्र के मवेशीखाने में मैंने देखा कि दो आने में आठ गायें नीलाम हुई। आज उनकी दशा यहां तक पहुंच गयी है। अगर हम गायों से दूध और बछड़े दोनों का काम नहीं लेंगे तो सम्भवतः हम उनका उत्थान नहीं कर सकते हैं। बर्बर काल में गायों को क्या मनुष्यों तक को मनुष्य खा लेता था और पुराणों में उसकी बड़ी मनोव्यथा प्रगट की गयी है और विवरण है कि किस तरह से गायें तृण ले कर राजा के सामने उपस्थित हुईं और किस तरह से राजा ने उनको अभय दान दिया। तो किस तरह से गायों का हनन होता था, धीरे-धीरे मनुष्य विकास की ओर बढ़ा। मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि रूस और चीन में जहां साम्प्रदायिकता का कोई प्रश्न नहीं है, निरपेक्ष राष्ट्र हैं, सिर्फ हिन्दुस्तान में कुछ कारणों से कृषि प्रधान देश होने के कारण और अन्य कारणों से प्रभावित हो कर गऊ को इतना ऊंचा स्थान दिया गया। जब भी हमारे हिन्दू मुसलमानों का सवाल आता है तो बार-बार मैं यह देखता हूं कि इस गाय पर ही आकर रुकता है। अगर यह सवाल उठ जाता है तो यह वैमनस्य मिट जाता है, हिन्दू मुसलमान एक दूसरे से मिल-जुल कर रह सकेंगे, जिस तरह से जापान में एक ही घर में हर धर्म के लोग रह सकते हैं, इतनी उदारता हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन किस तरह से हमारी गायों की रक्षा हो सकेगी, केवल भावनाओं से अगर हम उनका संरक्षण करना चाहें तो जिस तरह से खादी है, वह कितनी सफल हो रही है इसी प्रकार जब तक आर्थिक दृष्टिकोण सामने नहीं आ जायेगा तब तक भावनाओं के वश होकर हम उनका संरक्षण नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि गायों को फूंका लगाया जाता है। श्रीमन् जानते होंगे कि कलकत्ता में दुधारू गायों के नलों से फूंका लगा कर एक-एक बूंद दूध का सुखा लिया जाता है और फिर सूखी गायों को कत्लखाने में भेज दिया जाता है। यद्यपि यह विधेयक केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि सारे देश के लिये इसी प्रकार का एक विवेकपूर्ण विधेयक अखिल भारतीय आधार पर आये, यूनियन सरकार प्रस्तुत करे तो और अच्छा है।

इस दृष्टि से मैं गोसदनों के ऊपर आता हूं। गोसदन आज हमारी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जब कि खेतों और परती के बारे में इतनी कंट्रोवर्सी फैल रही है, इतनी भ्रामक बात चल रही है तो एक-एक चप्पा जमीन काश्तकारों ने और लोगों ने जोत ली है। आप जानते हैं कि गायों को घर में खिलाकर और खूंटे में बांध कर आप उससे अच्छा दूध नहीं ले सकते और यह भी शास्त्रियों का मत है कि वह ऐसा करने से बंध्या हो जाती हैं और बाद में जिसका नतीजा यह होता है कि वह कत्लखानों में भेज दी जाती हैं। तो उनके लिये चरागाह की आज एक समस्या है। किसानों के पास जहां आज आधा एकड़ भूमि पर कैपिटा पड़ रही है, उनकी गायों की गोचर भूमि की एक समस्या है और उसे कैसे हल किया जाय यह भी एक समस्या है। आज किसी तरह वे किसान अपने बैलों को रखे हुए हैं और गायों को उन्होंने खदेड़ दिया है। यदि आप इस तरह के पशुओं के लिये कोई समुचित व्यवस्था नहीं करेंगे तो यह विधेयक कोई ज्यादा लाभप्रद सिद्ध नहीं होगा और जो आप इससे आशा लगाते हैं उसके विपरीत परिणाम निकलेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विधेयक के साथ-साथ सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ गयी है कि वह ऐसे पशुओं के लिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उचित व्यवस्था करे। यह राज्य का कर्त्तव्य है, व्यक्ति का नहीं। गांधी जी ने भी कहा है कि इस तरह के पशुओं के लालन-पालन का दायित्व सरकार के ऊपर आना चाहिये और जो लोग उनको पाल सकें उनके ऊपर जाना चाहिये। इस तरह से गो सदनों की आवश्यकता आज प्रत्येक जिले में है। तहसील में भी गो सदन होना चाहिये। पूर्वी जिलों में यह चीज नहीं हो सकती इसलिये कि वहां भूमि इतनी कम है। कहीं लोग गायों के सींग तोड़ देते हैं कहीं टांग। मुझे अभी पता चला है कि दो तीन आदमियों ने मिल कर उनके खेत में जो एक गाय घुस आयी थी उसकी जबान खींच ली। उसकी जबान निकल आई और नतीजा यह हुआ कि वह एक महीने के बाद मर गई। तो इस तरह के पशुओं की हम किस तरह से रक्षा कर सकते हैं यह सोचना हम सब का काम है और यह हमारा दायित्व है। हम जानते हैं और जैसा कि हमारे भाइयों ने अपने मनोभाव प्रगट किये कि जो सम्मानित मुस्लिम वर्ग है वह इस तरह के मांस को पसन्द नहीं करता। यह उनकी गरीबी है, वह आबोहवा है जिसमें वह रखे गये हैं और जिसके असर से आज यह परिस्थिति है तो मैं समझता हूं कि बहुत से विवेकपूर्ण व्यक्ति स्वेच्छा से मांस खाना छोड़ देंगे। बहुत से हिन्दू बकरे आदि का मांस खाना उनके लिये छोड़ देंगे और तब आप गो के लिये कुछ त्याग करके, ऐसा मनोभाव रख कर गो को एक संरक्षण देंगे और इस प्रकार आप वास्तविक रूप में उसकी रक्षा कर सकते हैं। मैं इस विधेयक को देख नहीं सका था और इसलिये मैं इसके ब्योरे में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैंने संकेत में कहा कि यह विवेकपूर्ण विधेयक है। जहां तक विदेशी यात्रियों का संबंध है और यदि जलवायु की दृष्टि से उनके लिये आवश्यक है तो हमें उसे मानना चाहिये। हम एक निरपेक्ष राज्य की घोषणा करते हैं और हम किसी तरह पर भी एक सीमित और जड़ राज्य की कल्पना नहीं करते हैं कि जिसमें हमारा विकास न हो सके। बुद्धि और हृदय का संतुलन हमेशा होना चाहिये और तभी हमारा देश और संसार उत्थान की ओर जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपना निवेदन प्रस्तुत करता हूं।

* **श्री उम्मेदसिंह** (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के लिये सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। गाय का क्या महत्व है इस पर कुछ विशेष कहना नहीं रह जाता है। सर सीताराम कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशें मौजूद हैं। उन्होंने गोवंश के महत्वपर प्रकाश डाला है और भारतीयों के लिये, इस देश के रहने वालों के लिये गाय का महत्व समझाना कुछ मेरी समझ में एक बेकार सी बात है। गो वंश और खास कर गो माता यह हमारी उन मान्यताओं में से है कि जिन पर हम लोगों ने पहले भी हजारों वर्षों से प्राण न्योछावर किये हैं। तो इस लिये इस पर अधिक कहना कि इसका महत्व क्या है यह बिलकुल व्यर्थ होगा। यह विधेयक पढ़ने से मालूम होता है कि सरकार ने इस बात की कोशिश की है कि जहां तक हो सके इससे धार्मिक भावनाओं का कोई सम्बन्ध न रहे। यहां तक कि गो मांस की डेफीनीशन में उन्होंने जो बाहर से आवे और पीपों में बन्द हो उसको गो मांस की डेफिनीशन से निकाल दिया और धारा ५ में उन्होंने इससे भी आगे बढ़ने की कोशिश की जो बाहर से गोमांस आता है और पीपों में बन्द है वह तो गो मांस है ही नहीं। मगर धारा ५ की टिप्पणी में गोमांस को भी कह दिया है कि गोमांस रेलवे यात्रियों के लिये और वायुयानों के यात्रियों के लिये इस्तेमाल हो सकता है तो उसका तात्पर्य यह निकला कि, समझ में नहीं आता है कि गवर्नमेंट की मंशा क्या है, कि रेलवे यात्रियों के लिये मोहर बन्द पीपों में गो मांस आवेगा मगर वह गोमांस है नहीं। तो हो सकता है इस्तेमाल हो सकता है। इसके माने यह है कि गो कट सकती है। हमने तो यह माने इसके लगाये मगर सही नतीजे पर नहीं पहुंचे। शायद सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी हो तो समझ में आवे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार ने इस विधेयक को डरते-डरते पेश किया, शायद यह झलक न हो जाय कि सेक्युलेरिज्म से प्रेरित हो गई इसलिये नहीं। मालूम यह होता है क्योंकि अच्छा कहा जाय या न कहा जाय, कि धार्मिक भावना से नहीं बल्कि आर्थिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उम्मेदसिंह]

महत्व पर यह विधेयक रख रही है। जैसा माननीय सुल्तान आलम खां साहब ने कहा है कि हम इसविधेयक का स्वागत इस लिये भी करते हैं कि मुस्लिम और हिन्दूज में इत्तहाद बढ़ावेगा। तो अगर यह लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किये हैं तो साफ जाहिर है कि गोवध का प्रश्न सैकड़ों वर्षों से हिन्दू-मुसलमान की एकता को नष्ट करता रहा है। तो यह बात कही भी गयी है कि अगर ज्यादा लोग, ज्यादा तादाद के लोग इस सूबे के, इस प्रदेश के ऐसे हैं कि जिनकी मान्यताओं पर और जिनकी, मैं धार्मिक शब्द का भी इस्तेमाल करूंगा, धार्मिक भावनाओं पर गोवध होने से प्रभाव पड़ता है तो दूसरे फिरके वाले अगर कोई है तो उनको यह चाहिये कि वे खुशी से कहें कि मैं तो धार्मिक भावनाओं की इज्जत करता हूं और गोवध बन्द होना चाहिये। तो मैंने जहां तक सुल्तान आलम खां साहब को समझा उन्होंने तो इस भावना से प्रेरित हो कर कहा कि मैं इस विधेयक का इसलिये स्वागत कर रहा हूं कि जो हिन्दू मुसलमान में डिफरेंसेज हैं वे रफा होंगे और इत्तेहाद बढ़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि डरते-डरते जो इसके नकायस हैं उन पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने यह कह दिया कि बाहर से अगर गोमांस आता है तो वह गोमांस नहीं है, या रेलवे यात्रियों के लिये और वायुयान पर सफर करने वालों के लिये गोमांस इस्तेमाल हो सकता है। तो वह गोमांस चाहे बाहर से भी न आया हो इसी प्रदेश में गोवंश या गोवध हुआ हो, वह मांस भी इस्तेमाल हो सकता है और डिजीज्ड, मरीज गौवंश बैल या गौवें मारी जा सकती हैं। इससे भी साफ जाहिर है कि गवर्नमेंट भी डर रही है कि कहीं यह खयाल न हो कि वह धार्मिक भावनाओं से प्रेरित हैं। तो मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा माननीय सुल्तान आलम खां ने कहा, वह यह डर छुड़ा रहे हैं। इस डर को छोड़ करके हिम्मत के साथ गवर्नमेंट ने जहां यह विधेयक पेश किया है कि गोवध बन्द हो, वहां सही मानो में गोवध बन्दी इस प्रदेश में हो जाय और यही मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि वह इन त्रुटियों को जो कि बिल में आ गयी है, उनको दूर करने की कोशिश करे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
५ सितम्बर, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६ पर)

सूची ऐसे कृषि फार्मों की जो जिला बरेली, मिर्जापुर तथा बाराबंकी में सन् १९५० से १९५४ ई० तक स्थापित किये गये।

जिला बरेली

नं० शुमार	नाम फार्म होल्डर	रकबा एकड़ में	सरकारी मालगुजारी रु०	आ०	पा०
१	२	३	४		
१	भगवानदास पुत्र नरायनदास, मोहनस्वरूप पुत्र शिम्भूसहाय, मु० धन का कुवर बेवा वारिस ठाकन लाल जाति कुर्मी निवासी सहोडा	७८	१५२	२	९
२	कुतुबुद्दीन पुत्र वजीरुद्दीन जाति राई निग्गुलडया अता उसैन।	६२	३७०	१२	६
३	बल्देव पुत्र नोनी व अनोखे व जोरा व पुत्र नन्देराम स्पलप पुत्र ज्वालाप्रसाद, रामलाल पुत्र डल्लू टुन्डी, राम प्रसाद पुत्र भोले, मु० लछमा बेवा ज्वालाप्रसाद जाति कुर्मी, निवासी नदेली	६२	२२२	०	९
४	भगवतीप्रसाद पुत्र अम्बाप्रसाद, जाति ब्रह्मण, निवासी बरेली, मोहल्ला साहूकारा	७१	१०५	२	०
५	रामभरोसे लाल पुत्र तोताराम, जाति कुर्मी, नि० चठिया।	६४	२९७	१५	९
६	सरदार वीर विकण सिंह पुत्र सरदार लछमीनरायन, जाति कायस्थ व कैप्टन कृपा राम पुत्र उदयी राम व गोपीराम पुत्र नोनीराम नि० पचपेड़ा	९१	४३९	१०	६
७	मु० कृष्णाकुवांरी बेवा निर्भान सिंह व देवेंदरसिंह पुत्र नारायणसिंह व मु० रामरती व सरदार सिंह पुत्र फूलसिंह जाति ठाकुर निवासी भोजपुर	६७	४०१	३	९
८	वजीर अहमद पुत्र शफीक अहमद व मु० महबूबा स्त्री शफीक अहमद व मु० सुगरा बेवा जमील अहमद व मु० फुवरा स्त्री मोहम्मद इलयास व अलताफ हुसेन पुत्र अताहुसेन जाति राई निवासी जुनाह जवाहर ..	५०	११६	३	३
९	मरगूब अहमद व मासूम अहमद पुत्र अमीर अहमद व मकबूल अहमद पुत्र महबूब अहमद राई, निवासी मुडया नवी बक्श	१३९	११६	२	६
१०	निरजनसिंह पुत्र ख्याली राम व सोहनसिंह पुत्र जी सुख राम व दर्शनसिंह व रघुबीरसिंह पुत्र भुआसिंह व बाबू ब्रजमोहन सिंह पुत्र धनसिंह व सुन्दर सिंह पुत्र जयवीर सिंह, जाति जाट	३२६	१२११	०	९
११	अगनलाल पुत्र राम बहादुर जाति कायस्थ, नि० बरेली, मोहल्ला भूड	८१	२४४	११	९

नं० शुमार	नाम फार्म होल्डर	रकबा एकड़ में		सरकारी मालगुजारी	
१	२	३		४	
			रु०	आ०	पा०
१२	मु० सुखदेवी पत्नी पदमसिंह व मु० शकुन्तलादेवी पत्नी पदमसिंह व नरेंद्रपालसिंह व पुत्र पदमसिंह व शिम्भूसिंह पुत्र जयबीरसिंह जाति राजपूत, नि० डय्या बोझ	५१	२५४	१२	९
१३	तेजासिंह फिजा दीवानसिंह पुत्र गिनजासिंह व हरजेंद्रसिंह पुत्र देवासिंह व नौनिहालसिंह व रघुपालसिंह व पुत्र ठाकुरसिंह दलीपसिंह व बल्देवसिंह व शोभासिंह पुत्र ईश्वरसिंह व पालासिंह व गंगासिंह व गुलचरन सिंह व कलवंतसिंह पुत्र खजनसिंह व निधानसिंह व पूरनसिंह पुत्र हीरासिंह, जाति जाट, निवासी डय्या बोझ	१०७	४७३	५	९
१४	मोहनस्वरूप पुत्र शिम्भूसहाय जाति कुर्मी निवासी सहोडा	१९४	७२०	०	०
१५	मलसिंह व सोवरनसिंह व करतारसिंह पुत्र इन्द्रसिंह व मक्खनसिंह व बसतीसिंह व विरसासिंह पुत्र पालासिंह व बख्शी सिंह व जड़ैल सिंह पुत्र जोधा सिंह व इकबाल सिंह व भूरासिंह व अमरसिंह व चन्दनसिंह पुत्र भजासिंह व तिलोकसिंह व बूटासिंह बेटा जिदासिंह व जगन्नाथ सिंह पुत्र सरवन्त व नन्दपाल पुत्र मथुरालाल, जाति सिख, निवासी दैय्या बोझ	७०	३०१	२	०
१६	जहूसल हक पुत्र इमामुलहक जुबेरी निवासी मुरेड	१२२	३८८	१४	३
१७	मु० इस्लाम बानो स्त्री सुभान अहमद जुबेरी निवासी कस्बा मरहरा कस्बा एटा	६२	१९५	१३	०
१८	केवलराम पुत्र नन्दराम जाति कुर्मी नि० भरौनी	७३	५४	१४	३
१९	अफसर मोहम्मद खां व सरदार मोहम्मद खां सुल्तान मोहम्मद खां, एजाज मोहम्मद खां, अलताफ मोहम्मद खां, पिसरान ताज मोहम्मद खां, व इमलयाज मोहम्मद खां, पुत्र मुमताज मोहम्मद खां व मु० गौहरताज बेगम जौजा मुम्ताज मोहम्मद खां व मु० इकला मियां बेगम जौजा ताज मोहम्मद खां व मु० सखरी पुत्री निसार मोहम्मद खां निवासी रहमदपुर कलां जिला बुलन्दशहर	३४९	१३०४	११	३
२०	मु० कलसूम बेगम पुत्री मजीदुल्ला खां, नि० पिपरया	६४	२०९	९	३
२१	गुरजीतसिंह पुत्र धनसिंह, जाति शेख निवासी उत्तरसिया मोहलिया	८०	२७४	१४	९
२२	याकूब खां पुत्र वजीर खां, जाति पठान, नि० पिपरया	८०	२९२	२	६

नं० शुमार	नाम फार्म होल्डर	रकबा एकड में	सरकारी मालगुजारी		
१	२	३	४		
			रु०	आ०	पा०
२३	मेजर जनरल दीवान मिसरीचन्द पुत्र प्रानलेख दीवान टेकचन्द व दीवान मिसरीचन्द जूनियर पुत्र मेजर जनरल दीवान मिसरीचन्द व श्रीमती राज कुवारी मिसिज मिसरीचन्द स्त्री मेजर जनरल दीवान सिंह, मिसरी चन्द व रानी साहब श्रीमती प्रीतम कुंवर जौजा राजा जुगल कुंवर जाति छत्री निवासी सहसपुर विलारी जिला मुरादाबाद	५४२	१९७५	६	३
२४	हरीशचन्द पुत्र लाला होरीलाल व श्रीमती आसालता पत्नी हरीशचन्द्र व गिरीशचन्द व हरीशचन्द पुत्र व मु० सयाकुवारी स्त्री हरीशचन्द व सुरेशचन्द पुत्र लाला होरी लाल व मु० प्रभादेवी पत्नी सुरेशचन्द्र व मु० लक्ष्मीदेवी बेवा लाला होरीलाल व बाबूराम पुत्र रत्नलाल व रमेशचन्द्र पुत्र लाला होरीलाल व मु० वीनारानी जौजा रमेशचन्द्र प्रतापचन्द्र व मु० इन्द्रादेवी पुत्री रमेशचन्द्र निवासी दुनका श्रीराम मूर्ति व कृष्ण पुत्र रायबहादुर श्री लाला मूलचन्द व मु० प्रभामूर्ति जौजा राममूर्ति व कृष्णमूर्ति पुत्री श्रीराम मूर्ति व चेतनमूर्ति पुत्री राममूर्ति नि० पीलीभीत व फजललुरहमान व अख्तर हुसेन व अता हुसेन व हफीजुल रहमान पुत्र गण श्री हाफीज मोहम्मद हुसेन व हाजी अब्दुल सलाम पुत्री अब्दुल रजाक व अजीजुल रहमान पुत्र मोहम्सुलेमान व न्याज अहमद पुत्र अब्दुल गफूर दजहूर अहमद पुत्र कमरुद्दीन व जलील अहमद खां पुत्र रहमत खां नि० जोखनपुर श्री फजल अहमद व मुहम्मद इदरीस व जलील अहमद पिसरान मोहम्मद सुलेमान नि० गिरधरपुर	१७८	७२२	०	०
२५	श्रीराम कोहली व गुलाबराय कोहली पुत्र हरजसराय कोहली निवासी न्यू देहली व दलीपराम कोहली व फकीर चन्द कोहली पुत्र हरजसराय कोहली, जाति कोहली, निवासी न्यू देहली व श्री हरजसराय कोहली व शंकरदास कोहली जाति छत्री निवासी पिपलया सिलीजागीर, परगना रिछा	२८३	१०३८	३	६
२६	श्रीमती लज्जादेवी पत्नी रामस्वरूप व कुमारी विमला गोयल पुत्री श्यामविहारी लाल व लक्ष्मीनरायन पुत्र मोहननरायन व श्री वीरेंद्रवती पुत्री हरीसिंह निवासी बरेली मोहल्ला बिहारीपुर	२१४	७४८	१४	९
२७	मुहम्मद यासीन पुत्र मोहम्मद लतीफ व मोहम्मद अख्तर पुत्र मोहम्मद यासीन व मोहम्मद लतीफ पुत्र मोहम्मद अलताफ जाति राई निवासी सिली जागीर	५२	२०३	८	६

नं० शुमार	नाम फार्म होल्डर	रकबा एकड़ में	सरकारी मालगुजारी	
१	२	३	४	
			रु० आ०	पा०
२८	विशनस्वरूप तेजपाल पुत्र गण तोताराम व मु० तसोदेवी पुत्री सोहनलाल जाति कुर्मी नि० चठया	८८	३०५ ११	३
२९	तेजपाल पुत्र तोताराम व मु० रामकुवर पुत्री बेगचन्द जाति कुर्मी निवासी चठिया	७६	२६७ १०	३
३०	बहादुरसिंह, नरायनपाल सिंह व जगतपालसिंह पुत्र केदारसिंह, शांतीदेवी स्त्री जगतपाल सिंह व बचनसिंह पुत्र जगीसिंह साकिन कुल्छाराज सिंह पुत्र जसवन्त सिंह सा० भगवंत पुर, नरायनसिंह व बिशरामसिंह पुत्र गोकुलसिंह ठाकुर निवासी लीलौर शिवरत्नलाल पुत्र अयोध्याप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी पीलीभीत	२२५	५६९ १२	०
३१	बहादुरसिंह व रामपालसिंह व जगतपाल सिंह पुत्र केदारसिंह शांतीदेवी स्त्री जगतपाल सिंह बचनसिंह पुत्र जगीसिंह निवासी कुल्छा, हरीराजसिंह पुत्र जसवंत सिंह साकिन भगवंतपुर नरायनसिंह बिश्रामसिंह पुत्र गोकुलसिंह जाति ठाकुर निवासी लीलौर रमेशचन्द पुत्र भगवान जाति ब्राह्मण निवासी बरौर	१६२	४३८ ८	३
३२	अम्बाप्रसाद पुत्र नोनीराम जाति कुर्मी निवासी कठरी	५९	२०५ ११	३
३३	अम्बाप्रसाद पुत्र नोनीराम झाअरराम, मोहनलाल पुत्र नन्दराम व सद्प्रसाद पुत्र नोनीराम, श्यामलाल शिव दयाल पुत्र लालजी जाति कुर्मी निवासी कठरी	१०१	४६८ १०	३
३४	पोथीराम पुत्र पूरनलाल व गनेशीदेवी पत्नी पोथीराम जयरामसिंह, केशरीलाल पुत्र पोथीराम रामकली स्त्री जयराम सिंह, मोहनवती स्त्री केशरीलाल, नेमकुमारी स्त्री जयरामसिंह मु० कौशल्या देवी स्त्री दुलीचन्द व भान कुमारी पुत्री दुलीचन्द जाति कुर्मी निवासी कानपुर भगवानदास व सीताराम व रामविलास पुत्र श्यामलाल व मु० कोकलादेवी बेवा श्यामलाल व बिमलादेवी पत्नी भगवानदास व मदनमोहनलाल पुत्र भगवानदास व मजूदेवी पत्नी भगवानदास जाति ब्रह्मण नि० पीलीभीत	११५	४०० ८	६
३५	शांतीप्रयन्न पुत्र श्री वृन्दमहन्त परशुरामजी साकिन ऋषिकेश	८६	३०२ ६	९
३६	भवनचन्द पुत्र हीरालाल जाति वैश्य नि० दुमका	२४०	९३६ ८	३
३७	राममूर्ति लाल पुत्र ठाकुरदास वैश्य निवासी धौरा	२३२	८८४ ०	९

नं० शुमार	नाम फार्म होल्डर	रकबा एकड़ में	सरकारी मालगुजारी
१	२	३	४
			रु० आ० पा०
३८	वीरेंद्रमोहन चौधरी व चन्द्रमोहन चौधरी पुत्र श्री श्यामनारायन व वीरेंद्रमोहन व राजेंद्रमोहन व शैलेन्द्र मोहन व भूपेंद्रमोहन पुत्र चन्द्रमोहन देवेंद्रमोहन धर्मेंद्र मोहन राजेंद्रमोहन पुत्र वीरेंद्रमोहन, मु० सुशीला पत्नी वीरेंद्रमोहन निवासी बरेली व महाबीरसहाय पुत्र रामसहाय नि० तिलहर	६२५	२,००० ० ०
३९	पोथीराम पुत्र पूरनलाल व गनेशीदेवी स्त्री पोथी राम जयरामसिंह व केशरीलाल पुत्र पोथीराम व राम कली स्त्री जयराम सिंह व सोहनवती स्त्री केशरीलाल नेमकुमारी स्त्री जयराम सिंह मु० कौशल्या देवी स्त्री दुलीचन्द भानकुमारी पुत्री दुलीचन्द जाति कुर्मी निवासी करनपुर भगवानदास व सीताराम व रामबिलास पुत्र श्यामलाल व मु० कोकला देवी बेवा श्यामलाल व विमला देवी बेवा भगवानदास व मदन मोहन लाल पुत्र भगवान दास व मुजू देवी पुत्री भगवान दास जाति ब्राह्मण निवासी पीलीभीत	७८	२७१ १२ ९
४०	नरेंद्रभान सिंह पुत्र अभयराज सिंह निवासी गुलडया भवानी	१५२	६९९ १० ३
४१	रुद्रराजसिंह पुत्र राम दास सिंह निवासी विद्यौली	१००	४३८ ० ६
४२	रामधारी पांडे व लालजी पांडे पुत्र गण खेश्वरपांडे निवासी जिला देवरिया	६४	१३० ० ०
४३	श्री हेम सिंह पुत्र अचवल सिंह जाति राजपूत नि० नगला कोशी जिला मेरठ वारिदहाल करीमगंज	९६	१९६ ७ ०
४४	श्री कृष्णकुमार पुत्र बल्देवसहाय श्रीवास्तव नि० जिला देवरिया	१२१	३९४ १ ३
४५	कामेश्वरीप्रसाद नरायन सिंह पुत्र कजेश्वरीप्रसाद नरायन सिंह रियासत सलीमगढ़ जिला देवरिया	८७	२२७ १३ ३
४६	देवनरायन पुत्र रामबल जैसवाल निवासी देवरिया	८६	१९९ ९ ६
४७	श्री पोलासिंह व शमशेर सिंह व दीवानसिंह पुत्र मेहरसिंह व जतयनपाल सिंह पुत्र अजीत सिंह व बलवन्तसिंह व जगवंत सिंह पुत्र नवरंजग सिंह व भरपूर सिंह पुत्र नरायन सिंह इकबालसिंह व अजीत सिंह पुत्र रतनसिंह व भाग पुत्र मेहरसिंह सदाकौर व हरवंस कौर स्त्री भागसिंह नि० वहीपुर ।	५१५	१६६० ० ९

विधान सभा

नं० शुमार	नाम फार्म होल्डर	रकबा एकड़ में		सरकारी मालगुजारी	
१	२	३		४	
		रु०	आ०	पा०	
४८	शिवचरन सिंह व अमरसिंह कपूरसिंह पुत्र सुचीत सिंह व सुचीतसिंह पुत्र भतेसिंह अमरसिंह, पुत्र नरायन सिंह, मुबारिक पुत्र सुचीसिंह जाति सिख	७६	३२८	१	९
४९	तारासिंह व संतोकसिंह पुत्र बलवन्त सिंह व करतार सिंह पुत्र सोजसिंह जयमल सिंह पुत्र सुधाकर सिंह, प्यारा पुत्र हजारीसिंह ईश्वरसिंह हरवंस सिंह पुत्र हरनाम सिंह व रतन सिंह वचन सिंह व किशन सिंह	१२२	४४६	१५	३
५०	कुंवर जयपाल सिंह पुत्र कल्यानसिंह जाति ठाकुर हरसू नगला।	२२४	१०८	८	३
५१	हरनाम सिंह पुत्र गन्दासिंह व मोहर सिंह व नरायन सिंह सैरनसिंह जाति सिख ग्रामवासी	११२	३५९	९	९
५२	दुर्गाप्रसाद व टीकाराम जाति कुर्मी वहीपुर	७४	३६६	१०	६
५३	धरमपाल सिंह पुत्र होरीपाल कुर्मी नि० इख्वा खुशहाल	१०३	४६२	९	३
५४	मेजर दारासिंह पुत्र किशनसिंह व बलवीरसिंह पुत्र दारासिंह ब्रजमोहनलाल पुत्र प्यारेलाल सिख साकिन फूलपुर	७६	३३६	५	३
५५	अब्दुल रशीद पुत्र अहमद अली व अब्दुल हकीम व अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल गफूर शेख नि० टांडा बहेड़ी	२०८	४१८	८	०
५६	मेजर मेलसिंह पुत्र तारासिंह व गोपालसिंह पुत्र जगमल सिंह निवासी जिला लुधियाना।	११८	६८१	६	०
५७	दीनानाथ पुत्र श्यामलाल व पूरनसिंह पुत्र गोकुल सिंह व साहबसिंह पुत्र भोलासिंह व शेरसिंह पुत्र भोलासिंह गौरीशंकर पुत्र गनेशराय ग्रामवासी	३८०	१५६९	०	०
५८	पं० बुधसेन पुत्र रामचन्दर जाति ब्राह्मण ग्रामवासी सिरसा।	७०	१९८	६	०
५९	दीनानाथ पुत्र श्यामलाल ब्राह्मण निवासी सिरसा	९७	४०७	०	०
६०	गौरीशंकर पुत्र गनेशराय ब्राह्मण निवासी सिरसा	९७	३८४	४	०
६१	पूरनसिंह पुत्र गोकिलसिंह जाति ब्रह्मण निवासी सिरसा	८९	३३८	०	०
६२	इम्तयाज अहमद पुत्र इरशाद अली जाति राई	७०	२३०	१५	११
६३	फजल मोहम्मद खां पुत्र अब्दुल अऊब खां जाति पठान निवासी ठिणा।	५०	२१२	७	११
६४	दलीपसिंह पुत्र जयमलसिंह जाट नि० बरेली	१२१	४२८	०	०
६५	महेश सिंह पुत्र पदमसिंह जाट नि० बरेली	१६८	८३७	१३	०

नं० शुमार	नाम फार्म होल्डर	रकबा एकड़ में	सरकारी मालगुजारी		
१	२	३	४		
			रु०	आ०	पा०
६६	परषोत्तम दास मैनेजर कोआपरेटिव फार्म जुगनु नगर।	१४७	२३४	१	०
६७	दी केसरे सुगर वर्क्स लिमिटेड बहेड़ी	३८८	६४३	१५	०
६८	शंतोष कुमारी पुत्री मुशद्दीलाल ब्राह्मण ग्राम वासी	६८	२४८	६	३
६९	महबूबशाह पुत्र फूलशाह आयु ३ वर्ष	६४	२१३	२	३
७०	चूरामनसिंह पुत्र तारीफसिंह जाट निवासी डांडी अभयचन्द	९५	३९७	१४	६
७१	नूर मोहम्मद खां पुत्र अब्दुलरऊफ खां पठान ग्रामवासी व खैरूल निसा पत्नी नूर मोहम्मद खां	९४	३००	०	०
७२	फजल मोहम्मद खां पुत्र अब्दुल रऊफ खां पठान ग्रामवासी	५१	१९२	१३	३
७३	प्यारे मियां पुत्र रहीम बख्श शेख निवासी बरेली।	६९	२१०	८	०
७४	हेमसिंह पुत्र अछपलसिंह जाति ठाकुर निवासी नगला काशी	८७	३६८	६	३
७५	मुकटलाल पुत्र मिश्रीलाल ब्राह्मण निवासी गंगोह	६९	२०५	७	६
७६	राधेश्याम पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी समाना	५१	२३५	१३	९
७७	श्रीमती रामदेवी पत्नी श्री लक्ष्मीनरायन जाति ब्राह्मण निवासी हरदुआगंज	२२०	३७८	९	९
७८	मुकटबिहारीलाल पुत्र बल्देवप्रसाद अग्रवाल नि० बरेली	२०५	७७६	७	९
७९	कुंवर भगवानसहाय पुत्र नरायनदास व मु० मुलीला वती कुंवर दावाधिकारीणी व कुंवरमोहन स्वरूप पुत्र शिम्भूसहाय व मु० धन का कुंवर बेवा वारिस राय बहादुर कुंवर ढाकनलाल कुर्मी ग्रामवासी सहोडा	१९९	३८८	१	०
८०	कुंवर भगवानसहाय पुत्र नरायनदास व मु० लीलावती दावाधिकारिणी राय बहादुर कुंवर ठाकनलाल नि० सहोडा	१०१	२१४	३	०

जिला मिर्जापुर

क्रम संख्या	नाम-फार्म तथा मालिक या नाम ट्रस्ट के	क्षेत्रफल एकड़ में	मालगुजारी रुपया
१—गोपालपुर तहसील मिर्जापुर व	गोपालपुर श्री अभय कुमार इत्यादि कोआपरेटिव फार्म सोसाइटी लि०	४०७९	८२५
२—बंदौली तहसील मिर्जापुर	,,	५६५	२००
३—रामपुर अतरी त० मिर्जापुर	नागरस लिमिटेड कम्पनी गोलागली बनारस मैनेजर जगनमोहन दास	८९०	७०
४—अतरीदातिन त० मिर्जापुर	,,	२३५	१८३—४—०
५—दटिया बिशुनपुर परगना सक्तेशगढ़ तहसील चुनार	श्री बीरबल व प्रकाश बल शर्मा	१८७५	१२००
६—अटारी परगना सक्तेशगढ़ तहसील चुनार	श्री इन्द्र राम शर्मा	६१९	९१६
७—खट खरिया परगना भगवत तहसील चुनार	श्री प्रेमनाथ व श्री ब्रह्मन्यनाथ तिवारी	६३७	२२९

जिला बाराबंकी

	फार्म कर्ता का नाम	रकबा एकड़	मालगुजारी रु०	आ०	पा०
१	श्री रुपनारायण पुत्र श्री रामकिशुन, हरीराम पुत्र नारायणदास व श्री सत्यप्रेमी जी पुत्र श्री रामलाल मिश्र ग्राम भटेहटा परगना देवा, जिला बाराबंकी	१०३	४६४	१४	६
२	पुश्कल नाबालिग बविलायत मादरेखुद, मुसम्मत कमला पुत्री मदन मोहन निवासी लखनऊ बैजनाथरोड ग्राम पलिया मसूदपुर परगना देवा जिला बाराबंकी,	६२	२७२	१५	९
३	नेबिलेट फार्म जिला बाराबंकी, परगना प्रतापगंज	१३९	११३१	०	०

	फार्म कर्ता का नाम	क्षेत्रफल एकड़ में		मालगुजारी रु०	
				रु०	आ० पा०
४	पद्मपत सिन्घानिया व कैलाशपतराम व लक्ष्मी पतराम पिसरान कमलापतराम सिंघानिया निवासी कमलाटावर कानपुर व बाबूविशुनदयाल व परकाशचन्द्र व लक्ष्मीकांत पिसरान द्वारिकादास झुनझुन वाला व महाबीरप्रसाद व श्यामसुन्दर व अंणकुमार सुत जुथा-लाल झुनझुनवाला निवासी गुटैइया शहर कानपुर ग्राम गौरीयामऊ परगना रुदौली जिला बाराबंकी	३०१	४८०	१०	०
५	ठाकुर लखपतिसिंह पुत्र रामपालसिंह व शिवपरताप. सिंह व गिरजेशप्रतापसिंह नावालिगान पुत्र ठाकुर लखपति सिंह व गिरीशप्रकाश सिंह पुत्र गयाबख्शसिंह साकिन धनकौली परगना डौड़ियाखेर जिला उन्नाव। तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी	२९४	१४१९	७	६
६	साहेबजादा मुहम्मद अमीरहैदर खां पुत्र महाराजा मुहम्मद अली मुहम्मद खां साकिन महमूदाबाद जिला सीतापुर, तहसील फतेहपुर जिरा बाराबंकी।	२३०	२७०	१२	३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२ पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र १९५५ के ८ में रामनगर के लिये श्री श्रीचन्द द्वारा पूंछे गये तारांकित प्रश्न १७ के उत्तर में उल्लिखित अनुसूची:

क्रम संख्या	क्वार्टर की श्रेणी	उसमें रहने वाले का पद	मासिक किराया जो लिया जाता है		
			रु०	आ०	पा०
१	चार्जमैन क्वार्टर	फोरमैन मैकेनिक	२४	८	०
२	मैकेनिक क्वार्टर नं० १	ट्रैक्टर आपरेटर	१०	८	०
३	,, २	,,	१०	०	०
४	,, ३	,,	१०	८	०
५	,, ४	,,	८	०	०
६	वर्कमैन क्वार्टर १	स्टाक मैन	५	८	०
७	,, २	,,	५	५	
८	वर्कमैन क्वार्टर ३	*श्रमिक	..		
		६			

*४ वर्कमैन क्वार्टर श्रमिकों को बिना किराये के रहने के लिये दे दिये गये हैं क्यों कि उपरोक्त फार्म पर श्रमिकों के रहने के लिये स्थान का अभाव है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३ पर)

इलाका खास, रामपुर के जिलेदारों की सूची

१—श्री अनवार हुसेन
२—श्री अता उल्ला खां
३—श्री अमजद हुसेन खां
४—श्री निहाल उद्दीन खां
५—श्री महमूद अली
६—श्री सै० अजीज शाह
७—श्री रामेश्वर दयाल
८—श्री हामिद रजा खां
९—श्री सै० यासीन मियां
१०—श्री नजीब अहमद खां
११—श्री बाबूराम पुत्र श्री हजारीलाल
१२—श्री वाजिद अली खां
१३—श्री सलामत उल्ला खां
१४—श्री अब्दुल वहीद खां
१५—श्री मोहम्मद सिवतेन
१६—श्री जंगबहादुर
१७—श्री रूपनरायण सिंह
१८—श्री मोहब्बत शाह खां
१९—श्री छम्मी खां
२०—श्री मंजूर अहमद खां
२१—श्री नजाकत अली खां
२२—श्री रामस्वरूप सिंह
२३—श्री सै० नजर अली
२४—श्री नादिर शाह खां
२५—श्री लियाकत अली
२६—श्री सरदार दूला खां
२७—श्री फजलउल कादिर
२८—श्री मुश्ताक हुसेन
२९—श्री लियाकत हुसेन
३०—श्री बाबूराम पुत्र श्री हरप्रसाद
३१—श्री मुहम्मद यूनुस
३२—श्री कामताप्रसाद
३३—श्री मुहम्मद हुसेन खां
३४—श्री नजाकत हुसेन खां
३५—श्री सैयद सफदर अली
३६—श्री राधेश्याम।
३७—श्री बनवारी लाल
३८—श्री बाबूराम पुत्र श्री शिवलाल
३९—श्री काजी अनवार हुसैन
४०—श्री अजमत अली खां
४१—श्री अख्तर हुसेन
४२—श्री तेजबहादुर
४३—श्री सैयद अली मीर
४४—श्री जगदीशनरायण
४५—श्री सुल्तान हसन
४६—श्री अब्दुल रऊफ खां
४७—श्री इख्त्यार हुसेन
४८—श्री तवसनुल हुसेन
४९—श्री राजकिशोर
५०—श्री लालबहादुर
५१—श्री दूल्हा खां
५२—श्री बेचा खां
५३—श्री निजावत अली खां
५४—श्री अब्दुल वहाव खां
५५—श्री शफीकुल रहमान खां
५६—श्री साबिर हुसेन
५७—श्री अमीर हुसेन खां
५८—श्री सौकत हुसेन
५९—श्री अब्दुल रहमान खां
६०—श्री कलबे अली खां

इलाका खास, रामपुर के जिलेदारों की सूची

६१—श्री सलामत अली खां

६२—श्री रामचन्द्रसहाय पुत्र श्री श्यामलाल

६३—श्री अब्दुल हुसेन खां

६४—श्री रोशनलाल

६५—श्री छोटेलाल

६६—श्री भूरा खां

६७—श्री लेखराज

६८—श्री रामभरोसेलाल

६९—श्री फज्ले अहमद खां स्थानापन्न सरवराहकार, परन्तु इनके स्थान पर श्री रामचरणलाल कार्य कर रहे हैं।

७०—श्री नफीस अहमद खां (मुअत्तल हैं) इनके स्थान पर श्री अमानत अली खां कार्य कर रहे हैं।

७१—श्री वाजिद हुसेन (मुअत्तल हैं) इनके स्थान पर श्री त्रिलोकचन्द कार्य कर रहे हैं।

७२—श्री हामिद हुसेन खां (मुअत्तल हैं) इनके स्थान पर श्री लईक अहमद खां कार्य कर रहे हैं।

७३—श्री रामचन्द्रसहाय पुत्र श्री शंकरलाल। इनके स्थान पर श्री अजमत अली खां कार्य कर रहे हैं।

७४—श्री लियाकत उल्ला खां। इनके स्थान पर श्री दीनाचन्द कार्य कर रहे हैं।

७५—श्री मौ० अली खां। इनके स्थान पर श्री ओमप्रकाश कार्य कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११३ पर)

बीज की किस्म जो बीज भंडारों में रक्खी गई

क्रम-संख्या	बीज गोदाम के नाम	तहसील	खरीफ				
			धान	गेहूं	जौ	चना	मटर
१	गुलहरिया सहकारी बीज भंडार	सदर	एन २२, टी १००, टी ९,	पी ५२, सी० १३, १६५	..	..	..
२	भतहट सहकारी बीज भंडार ..	,,	एन २२, टी १००, टी ९, सरयां	पी ५२, सी० १३, १६५, ७७५,	..	..	..
३	मनीराम सहकारी बीज भंडार. .	,,	एन २२	पी ५२	..	..	..
४	साराहारी सहकारी बीज भंडार	,,	एन २२, सरया, जड़हन, भदई	पी ५२, ७७५	८७, टी २५,	..	..
५	पिपरौली सहकारी बीज भंडार. .	,,	एन २२, सरया, सोन-करछा स्थानीय	पी ५२, ७७५, ७६०	..	स्थानीय	..
६	जगदीशपुर सहकारी बीज भंडार	,,	एन २२, टी १००	पी ५२, सी १३	..	..	..
७	चौरीचौरा सहकारी बीज भंडार	,,	एन २२, सरया	पी ५२, ७७५	..	..	..
८	सहजनवा गन्ना बीज भंडार	,,	एन २२, सरया	पी ५२, ७७५	..	..	..
९	पिपराईच गन्ना बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी १००, टी ९, सरया	पी ५२, सी १३, १६५, ७७५	..	..	..
१०	कुनराघाट कृषि बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी १००	पी ५२, सी १३	..	..	..
११	कुनराघाट कृषि स्कूल में बीज भंडार	,,	एन २२, टी १००	पी ५२, सी १३,	..	..	..
१२	श्याम देवरवा सहकारी बीज भंडार	महाराजगंज	एन २२, टी १००, टी ९, सरया	पी ५२, सी १३, १६५, ७७५	..	..	..

अवध विधान सभा

बीज की किस्म जो बीज-भंडार में रखी गयी

क्रम-संख्या	बीज गोदाम के नाम	तहसील	खरीफ				
			धान	गेहूँ	जौ	चना	मटर
१३	परतावल सहकारी बीज भंडार (मुख्य)	महाराज गंज	एन २२, टी १००, टी ९, सरया	पी ५२, सी १३, १६५, ७७५	..	..	..
१४	देरवा सहकारी बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी १००, टी ९, सरया	पी ५२, सी १३, १६५, ७७५	..	..	..
१५	भितौली सहकारी बीज भंडार ..	,,	एन २२, सरया, सोन-करछा, टी ३६,	पी ५२, ७७५. ७६०.	२५१	..	..
१६	महाराजगंज कृषि बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी १००, २३	पी ५२, सी १३,	..	..	१६३
१७	घुघली गन्ना भंडार (मुख्य) ..	,,	एन २२, सरया	पी ५२, ७७५	..	..	..
१८	सिसवा गन्ना भंडार (मुख्य) ..	,,	एन २२, सरया,	पी ५२, ७७५	..	..	..
१९	मिथौरा सहकारी भंडार (मुख्य) पथरंगा में	,,	एन २२, सरया, टी २६	पी ५२, ७७५	के १२	..	..
२०	निचलौल सहकारी बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२	पी ५२	..	..	..
२१	बरहा सहकारी बीज भंडार ..	,,	एन २२, सरया	पी ५२, ७७५	..	..	..
२२	गरौरा सहकारी बीज भंडार ..	,,	एन २२	पी ५२	..	..	..
२३	नौतनवा सहकारी बीज भंडार..	फरेंदा	एन २२, सरया, टी २६, मनसरा	पी ५२, ७७५,	के १२	टी ५८	..
२४	लक्ष्मीपुर सहकारी बीज भंडार	,,	एन २२, टी ९, सरया, टी ३६, टी २६, टी ५,	पी ५२, १६५, ७७५	२५१, के १२ स्थानीय	..	..
२५	बृजभानगंज गन्ना बीज भंडार (मुख्य)	,,	अरली, लेट	..	..	..	कल्यान, स्थानीय
२६	कैम्पियरगंज कृषि बीज भंडार .. (मुख्य)	,,	एन २२, टी १००, एन २२ ए०	पी ५२, सी १३,	..	..	जौनपुर

अवध विधान सभा

२७	पिपीगंज सहकारी बीज भंडार (मुख्य) ,,	एन २२, सरया	पी ५२, ७७५	..	..	..
२८	धरवार में बेलीपार सहकारी बीज भंडार बसंगांव	एन० २२, सरया	पी ५२, ७७५	..	..	.
२९	धरवार में गगाहा बीज भंडार (मुख्य) ,,	एन २२, सरया, टी ३६,	पी ५२, ७७५	२५१	..	..
३०	बसंगांव कृषि बीज भंडार (मुख्य) ,,	एन २२,	पी ५२,	..	..	..
३१	कोठा, सहकारी बीज भंडार (मुख्य) ,,	एन २२, सरया	पी ५२, ७७५	..	..	..
३२	भैंस बाजार सहकारी बीज भंडार (मुख्य)	एन० २२,	पी ५२,	..	..	..
३३	अड़ांव जगदीश सहकारी बीज भंडार ,, (मुख्य)	एन २२, टी १००, सरया, टी ३६	पी ५२, सी १३, ७७५	२५१	..	..
३४	गोला बाजार सहकारी बीज भंडार ,, (मुख्य)	एन २२, टी १००, सरया	पी ५२, सी १३, ७७५	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	बीज गोदाम के नाम	तहसील	रबी				
			धान	गेहूं	जौ	चना	मटर
१	गुलहरिया सहकारी बीज भंडार	सदर	एन० २२, सरया, टी ३६, टी २६, जड़हन २३,	पी ५२ ७७५	२५१, के १२	८७	१६३
२	भतहट सहकारी बीज भंडार	,,	एन २२, सरया, सोनकरछा, टी ३६ जड़हन भदई, २३,	पी ५२, ७७५, ७६०,	२५१	८७, टी २५,	१६३
३	मनीराम सहकारी बीज भंडार. .	,,	एन २२, टी १००, टी ३६, जड़हन २३,	पी ५२, सी १३	२५१	८७	१६३
४	साराहारी सहकारी बीज भंडार	,,	एन २२, टी ९, टी ३६, जड़हन, एन २२ए.	पी ५२, १६५	२५१	८७	जौनपुर
५	पिपरौली सहकारी बीज भंडार	,,	एन २२, टी १००, टी ३६, टी ५, जड़हन, स्थानीय	पी ५२, सी १३,	२५१, स्थानीय	८७ स्थानीय	. .
६	जगदीशपुर सहकारी बीज भंडार	सदर	एन २२, टी ३६, जड़हन भदई, २३,	पी ५२	२५१	८७, टी २५	१६३
७	चौरी चौरा सहकारी बीज भंडार	,,	एन २२, टी ३६, मनसरा एन २२ ए,	पी ५२	२५१	टी ५८	जौनपुर
८	सहजनवा गन्ना बीज भंडार . .	,,	एन २२, स्थानीय	पी ५२	. .	स्थानीय	. .
९	पिपराईच गन्ना बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, सरया, सोनकरछा, टी ३६, जड़हन, भदई, स्थानीय, २३,	पी ५२, ७७५, ७६०	२५१	८७, टी २५, स्थानीय	१६३
१०	कुनराघाट कृषि बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी ९, सरया, सोनकरछा, टी ३६ टी २६, जड़हन २३,	पी ५२, १६५, ७७५ ७६०	२५१, के १२	८७	१६७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

११	कुनराघाट कृषि स्कूल में बीज भंडार	,,	एन २२, टी ९, सरया, टी ३६, जड़हन, मनसरा, २३ प्रथम	पी ५२, १६५, ७७५	२५१	८७, टी ५८	१६३, कल्यानपुर
१२	श्याम देवरा सहकारी बीज भंडार	महाराजगंज	एन २२, टी १००, सरया, टी ३६, टी २६, जड़हन, भदई, २३,	पी ५२, सी १३, ७७५	२५१, के १२	८७, टी २५	१६३
१३	परतावल सहकारी बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, सोनकरछा, टी ३६ जड़हन, भदई, २३,	पी ५२, ७६०	२५१	८७, टी २५,	१६३
१४	देरवा सहकारी बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, सरया, टी ३६, जड़हन भदई २३,	पी ५२, ७७५	२५१	८७, टी २५	१६३
१५	भितौली सहकारी बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी १००, टी ३६, स्थानीय, २३, एन २२, ए	पी ५२, सी १३,	२५१	स्थानीय	१६३जौनपुर
१६	महाराजगंज कृषि बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी ९, टी ३६, भदई	पी ५२, १६५	२५१	टी २५	..
१७	घुघली गन्ना भंडार (मुख्य) ..	,,	टी ९	१६५	..	..	..
१८	सिसवा गन्ना भंडार (मुख्य) ..	,,	एन २२, टी ९,	पी ५२, १६५	..	..	..
१९	भिथौरा सहकारी भंडार (मुख्य) पथरंगा में	,,	एन २२, टी ५, स्थानीय लेट	पी ५२	स्थानीय,	स्थानीय	स्थानीय
२०	निचलौल सहकारी बीज भंडार, (मुख्य)	,,	एन २२, टी ९, टी ३६, टी ५, जड़हन, २३,	पी ५२, १६५	२५१, स्थानीय	८७	१६३
२१	बरहा सहकारी बीज भंडार	,,	एन २२, टी ३६, जड़हन २३,	पी ५२,	२५१	८७	१६३
२२	गरौरा सहकारी बीज भंडार	,,	एन २२, टी ३६, जड़हन, २३,	पी ५२	२५१	८७	१६३
२३	नौतनवा सहकारी बीज भंडार	फरेंदा	एन २२, टी ३६, भदई, लेट	पी ५२	२५१	टी २५	स्थानीय
२४	लक्ष्मीपुर सहकारी बीज भंडार	,,	एन २२, टी ३६, टी ५, स्थानीय	पी ५२	२५१, स्थानीय	स्थानीय	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	बीज गोदाम के नाम	तहसील	रबी				
			धान	गेहूं	जौ	चना	मटर
२५	बृजभानगंज गन्ना बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, स्थानीय, लेट	पी ५२	..	स्थानीय	स्थानीय
२६	कैम्पियरगंज कृषि बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी ३६, भदई, २३, एन २२ए	पी ५२	२५१	टी २५,	१६३, जौनपुर
२७	पीपीगंज सहकारी बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी ९, टी ५, स्थानीय, लेट	पी ५२, १६५	स्थानीय	स्थानीय	स्थानीय
२८	धरवार में बेलीपार सहकारी बीज भंडार	बंसगांव	एन २२, टी ९, टी ३६, टी ५, जड़हन, स्थानीय, लेट	पी ५२, १६५	२५१, स्थानीय	८७ स्थानीय	स्थानीय
२९	धरवार में गगाहा बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी १००, टी ३६, भदई, एन २२ए	पी ५२, सी १३	२५१	टी २५	जौनपुर
३०	बंसगांव कृषि बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी ३६, जड़हन, भदई २३ एन २२ ए	पी ५२	२५१	८७, टी २५	१६३, जौनपुर
३१	कोठा, सहकारी बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी १००, टी ५, स्थानीय लेट	पी ५२, सी १३	स्थानीय	स्थानीय	स्थानीय
३२	भैंस बाजार, सहकारी बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी ३६, जड़हन, २३	पी ५२, सी १३,	२५१	८७	१६३
३३	अड़ांव जगदीश सहकारी बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी १००, टी ५, २२ लेट	पी ५२, सी १३	स्थानीय	..	१६३ स्थानीय
३४	गोलाबाजार सहकारी बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी १००, टी ३६, टी ५, स्थानीय, लेट	पी ५२, सी १३,	२५१, स्थानीय	स्थानीय	स्थानीय

अनुपूरक प्रश्न सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११७ पर)

Extract from the Land Reforms Commissioner, U. P.'s letter No. 941-988/(ii) -A-35, dated Lucknow, February 18,1955 to All District Officers in U. P., except Almora, Garhwal & Tehri-Garhwal.

Subject—Recruitment of lekhpals as a result of reorganization of the service of patwaris.

---

* * * * *

(c) In cases, where the work and conduct have been satisfactory but the lekhpal has failed to pass the examination, the period of probation may be extended by you for one year. The lekhpal will be examined again in the month of November, 1955, and if he fails his services will be terminated.

(d) Lekhpals, who have failed in the examination and whose work and conduct have also not been satisfactory, should not be retained in service.

* * * * *

Extract from Land Reforms Commissioner's letter No. 2902-48/ (4)-84-IIA, dated June 10, 1955 to All the District Officers in U. P. except Basti, Almora, Garhwal and Tehri-Garhwal.

Subject—**Recruitment of lekhpals as a result of reorganization of service of patwaris.**

In partial modification of orders contained in para 3 of my circular letter No. 941-988/(4)-II-35, dated February 18, 1955, on the above subject, I am to state that those purely temporary and officiating lekhpals who were ineligible but were due to some misnderstanding given either the whole or a substantial portion of the training in November-December 1954 but were not allowed to take the special lekhpals' examination held in January 1955 and those candidates who did not receive any training but have officiated for two years as lekhpals will be allowed to sit at the supplementary examination which will be held in January 1956. I am, therefore to advise that such lekhpals will continue to work on their posts until further orders unless their retention is considered undesirable for other reasons.

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११८ पर)

१—बन्दोवस्त अधिकारी (चकबन्दी)	१
२—चकबन्दी अधिकारी	३
३—सहायक चकबन्दी अधिकारी	१७
४—चकबन्दी कर्ता	४८
५—पेशी कानूनगो	१
६—लिपिक, ड्राफ्टसमैन तथा ट्रेसर	३८
७—चकबन्दी अमीन (लेखपाल)	१९७
८—दफ्तरी, चपरासी, चौकीदार, ड्राइवर, मेहतर इत्यादि ..	९९
योग ..	४०४

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—६८ एल० ए०,—१९५५—७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा